मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 58 | अंक : 1 | जुलाई, 2017 | पृष्ठ : 56 (पञ्चाङ्ग सहित) | मूल्य : ₹15

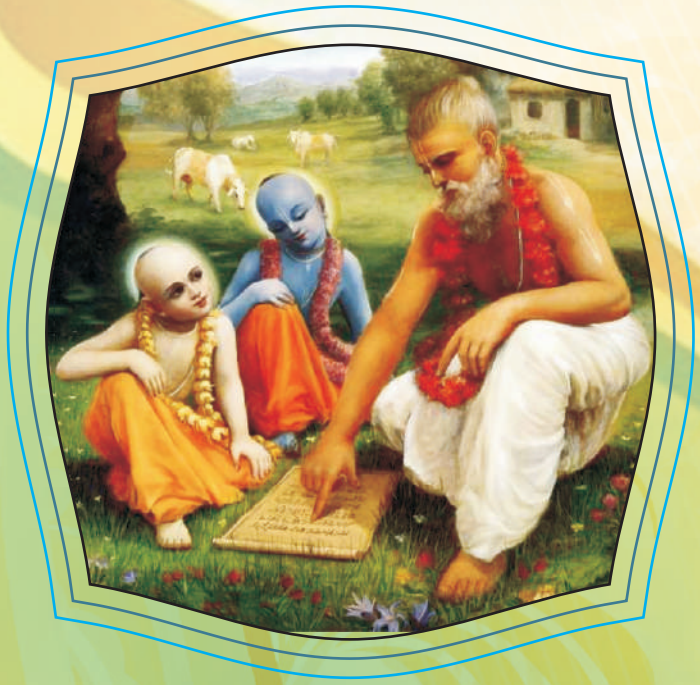

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

योगः कर्मसु कौशलम्

ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय खुल चुके हैं। अवकाश के पश्चात पुनः कार्य की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से यह संधि काल है। पढ़ने-पढ़ाने की एक तरह से यांत्रिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद गुरुजन एवं विद्यार्थी पुनर्बलन (Recharge) के लिए कुछ आराम, बल्कि यों कहें कि वे अपने कार्य का टेस्ट चेंज करना चाहते हैं। ग्रीष्मावकाश का समय निश्चय ही टेस्ट चेंज का समय था। शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने देशाटन, हॉबी क्लासेज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में स्वयं को व्यस्त रखा है और अब वे एक नई ऊर्जा, नई ताकत एवं नए संकल्प के साथ शिक्षा की मशाल हाथ में थाम कर माँ सरस्वती के मन्दिरों में आए हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनन्दन करते हुए सुखमय एवं यशमय शैक्षणिक सत्र 2017-18 की मंगलकामना करता हूँ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इस वर्ष राजकीय विद्यालयों के परिणाम बहुत उत्तम रहे हैं। समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विद्यालयों का जो महिमावंदन इस वर्ष हुआ है, उसे जानकर बहुत प्रसन्नता होती है। बोर्ड परीक्षा परिणाम संख्यात्मक (टारगेट 100%) एवं गुणवत्ता (मिशन मेरिट) दोनों दृष्टियों से उत्तम, सराहनीय रहे हैं। इस प्रकार टारगेट शत प्रतिशत एवं मिशन मेरिट अभियान बखूबी सफल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे उत्तम अभियान हमारी व्यवस्था के नियमित अंग बनें। मैं शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उत्कृष्टता की ओर आपके कदम निरन्तर आगे बढ़ते रहें और एक नए समाज की रचना के सूत्रधार आप बनें। मुझे मेरी टीम एज्यूकेशन की क्षमता एवं योग्यता में कोई संशय नहीं है।

पिछले माह, 21 जून के दिन अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आवसर पर विश्व के 190 से भी अधिक देशों में योगाभ्यास किए गए। इस अवसर पर योग के क्षेत्र में कई नए प्रतिमान स्थापित हुए जिनकी जानकारी मीडिया के माध्यम से आपको है। योग निश्चय ही मन और बुद्धि को स्थिरता प्रदान करने का अद्भुत चिन्तन है। योग के माध्यम से व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः ही होने लगता है। योग सुस्वास्थ्य एवं सुखी जीवन का आधार है। श्रीमद्भगवतगीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं -**''योगः कर्मसु कौशलम्।''** इसका आशय हमें अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता एवं मनोयोगपूर्वक पालन करने से है। इससे हमें अपने कार्यों में सहज ही कुशलता प्राप्त हो जाएगी। हमें गर्व होना चाहिए कि योग का उपहार विश्व को देने का उदात्त काम भारतवर्ष ने किया है। विद्यालयों में नियमित रूप से योग करवाया जाना चाहिए।

विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों से मेरी अपील है कि वे शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियों की सुनियोजित योजना-विद्यालय की वार्षिक योजना एवं टीचर डायरी के रूप में संधारित करना सुनिश्चित करें। टीचर डायरी शिक्षण एवं गृहकार्य ही नहीं अपितु शिक्षक द्वारा वर्ष भर में किए गए अन्य कार्यों का दर्पण होती है। डायरी का विधिवत संधारण करना तथा सत्रान्त में अथवा बीच में स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ता होने पर विद्यालय में उसे जमा करवाया जाना परमावश्यक है। ऐसा करना स्वयं शिक्षक का उत्तरदायित्व है। निरीक्षण अधिकारियों से मैं चाहूँगा कि ये निरीक्षण के समय इसका अवलोकन करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन में इस आशय की प्रविष्टि करें। मैं चाहूँगा कि मुझसे मिलने आने वाले शिक्षक अपनी शिक्षण नियोजन डायरी साथ में लाएँ तथा मुझे इसका अवलोकन करवाएँ।

इस माह में गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। गुरु पूर्णिमा हमें गुरु-शिष्य की उज्ज्वल परम्परा का भान कराती है। गुरु को गोविन्द से भी बड़ा बताने की प्रकृति भारतीय संस्कृति का दैदीप्यमान पक्ष है। यहाँ गुरु-शिष्य सम्बन्ध अर्थ आधारित न होकर आत्मीयता से परिपूर्ण सम्बन्ध होते हैं। मैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी गुरुजन एवं विद्यार्थी वृन्द को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

> “श्रीमद्भगवतगीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं- ''योगः कर्मसु कौशलम्।'' इसका आशय हमें अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा, प्रामाणिकता एवं मनोयोगपूर्वक पालन करने से है। इससे हमें अपने कार्यों में सहज ही कुशलता प्राप्त हो जाएगी।”

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।

In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 58 | अंक : 1 | आषाढ़–श्रावण २०७४ | जुलाई, 2017

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

❁

वरिष्ठ सम्पादक
प्रकाश चन्द्र जाटोलिया

❁

सम्पादक
गोमाराम जीनगर

❁

सह सम्पादक
मुकेश व्यास

❁

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर–334 011
दूरभाष : 0151–2528875
फैक्स : 0151–2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **–वरिष्ठ संपादक**

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- सफल होने के साथ-साथ, श्रेष्ठ मानव भी बनें 5

आलेख

- कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास 6
  सलिज वर्मा
- भारतीय राजनीति के 'तिलक' 8
  डॉ. जयप्रकाश राजपुरोहित
- चन्द्रशेखर आजाद का चिन्तन 10
  रमेश कुमार शर्मा
- एक पाती अपनों के नाम 11
  सुनीता चावला
- चेतना का स्वर 13
  महेश कुमार चतुर्वेदी
- अधिगम में पुनर्बलन कितना जरूरी 14
  शिवनारायण शर्मा
- वृक्षारोपण का अभिनव पर्व 15
  संदीप कुमार छलानी
- बालिकाओं में आत्मरक्षा 43
  जगदीश सेन
- अंधविश्वास और कुरीतियाँ 46
  डॉ. भरत शर्मा 'भरत'
- शिक्षक की सबसे बड़ी सेवा 47
  डॉ. वृद्धिचन्द गोठवाल
- राजस्थान की जनसंख्या के विविध आयाम 48
  डॉ. अजय जोशी
- जनसंख्या वृद्धि-घटती समृद्धि 49
  सुभाष चन्द्र कस्वाँ

रपट

- शिक्षामंत्री के प्रयासों से राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को पदवेश का निःशुल्क वितरण 50
  अमित शर्मा

इस मास का गीत

- लक्ष्य तक पहुँचे बिना... 16
  संकलन : **मुरलीधर सोलंकी**

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4
- आदेश-परिपत्र 17–42
- शाला प्रांगण से 52
- चतुर्दिक समाचार 53
- हमारे भामाशाह 54
- व्यंग्य चित्र : **रामबाबू माथुर** 7, 9

पुस्तक समीक्षा 51

- राजस्थान में जनजागरण एवं पत्रकारिता
  लेखक–डॉ. रामचन्द्र रुण्डला
  समीक्षक–**जानकीनारायण श्रीमाली**

शिविरा पञ्चाङ्ग : 2017-18
विशेष रंगीन चार पृष्ठ
27–30

मुख्य आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर

▼ परिचय

नथमल डिडेल

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस. बैच 2013) के अत्यन्त ऊर्जस्वी युवा अधिकारी श्री नथमल डिडेल ने 12 मई, 2017 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का पदभार ग्रहण किया। आपका जन्म दिनांक 10 अगस्त 1990 है, आप जीव विज्ञान विषय के स्नातक और भूगोल विषय के अधिस्नातक हैं। राज्य सेवा में आपकी प्रथम कार्यग्रहण तिथि 02 सितम्बर 2013 है। आपके पिता श्री सीताराम डिडेल सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं। धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका बलारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस.) की अधिकारी हैं। मूलतः डिडिया खुर्द, तहसील-जायल, जिला- नागौर (राजस्थान) के रहने वाले श्री नथमल डिडेल भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणाधीन अवधि में क्रमशः भीलवाड़ा और जालोर के सहायक कलक्टर रहे।

सवाईमाधोपुर में उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा जिला परिषद चित्तौड़गढ़ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाएँ देने के पश्चात आपने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के रूप में कार्यभार सम्भाला है।

विनम्र, सरल, शान्त, दृढ़ निश्चयी, साहित्यप्रेमी और शिक्षा के प्रति संवेदनशील निदेशक महोदय आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों को वास्तव में आदर्श एवं उत्कृष्ट बनाने, इनमें अधिकतम नामांकन, पूर्ण समय ठहराव और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान राज्य को अग्रणी बनाने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। कार्यों को त्वरित और श्रेष्ठतम रूप में सम्पादित करवाना आपकी प्राथमिकताओं में है।

-वरिष्ठ सम्पादक

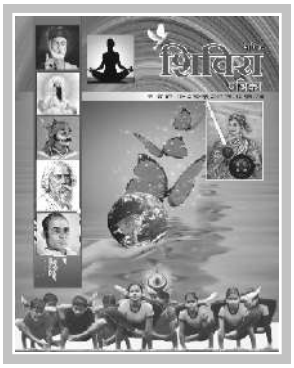

पाठकों की बात

- शिविरा पत्रिका के मई-जून अंक के मुख पृष्ठ पर अंकित चित्र योग विद्या में कुशलता प्राप्त कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने का संदेश दे रहे हैं। समाज सुधारक, साहित्यकार, वीर शिरोमणि जो कि हमारे राष्ट्र के युवाओं को प्रेरित कर सच्ची राष्ट्र भक्ति के साथ प्रेमभाव की भावना को उजागर करते हैं। डॉ. शिवराज भारतीय द्वारा कबीर की शिक्षा द्वारा आडम्बरों का त्याग कर सच्चाई एवं संस्कारों को ग्रहण करने का आह्वान किया गया है। डॉ. गिरीशदत्त शर्मा का लेख 'भारतीय संस्कृति में पर्यावरणीय संरक्षण' समझने एवं मनन करने योग्य है। डॉ. रेणुका व्यास 'नीलम' का मातृत्व दिवस पर लिखा गया लेख अनुकरणीय है। शिविरा पत्रिका में नवोदित लेखकों, कवियों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का अवसर मिलता है जो कि शिक्षा विभाग एवं ज्ञान-पिपासुओं के लिए उल्लेखनीय है। पत्रिका में प्रतिमाह नवीनता व सजीवता से पाठकों का उत्साहवर्धन होता है एवं अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने का अवसर मिलता है।

सालगराम परिहार, बाड़मेर

- माह मई-जून 2017 का शिविरा अंक मिला। कवर पृष्ठ पर संतों, शूरमाओं के आकर्षक चित्रों से सुसज्जित/आन-बान-शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का आदमकद चित्र प्रेरणाप्रद। 'अपनों से अपनी बात' में मंत्री महोदय द्वारा सभी से निरन्तर कर्मशील रहने की मार्मिक अपील प्रेरणादायी लगी। श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा नवीन सत्र में नये उत्साह जोश-खरोश के साथ कर्म क्षेत्र में उतरने की अपील हृदयस्पर्शी लगी। वरिष्ठ संपादक द्वारा प्रस्तुत अवलोकन वृत्तान्त सकारात्मक, प्रेरणाप्रद और मन को छूने वाला लगा। पुस्तक समीक्षा सारगर्भित, विभिन्न जयन्ती आलेख प्रेरणावर्द्धक लगे। संतुलित संकलन व संपादन के लिए सम्पादक मंडल को बधाई।

हजारी राम विश्नोई, जोधपुर

- शिविरा मई-जून 2017 का अंक नए आकर्षक कलेवर के साथ समय पर उपलब्ध हुआ। 'अपनों से अपनी बात' में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग की बात की। निदेशक महोदय बी.एल. स्वर्णकार द्वारा दिशाकल्प के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में SDMC. तथा PTA. के माध्यम से प्रभावी संचालन और विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच 'सखा संगम' जैसे आयोजन की ओर प्रेरित किया। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रधानता कवर पर स्पष्ट झलक रही है। आवरण की सुन्दरता व श्रेष्ठ चित्र संयोजन पर आवरणकर्त्ता को विशेष बधाई। मो. इदरीस खान का आलेख 'योग व खेलों में दक्षता बढाना' पठनीय है। इसी संदर्भ में तरुण कुमार सोलंकी का 'दिव्य विचार शिक्षकों के लिए ध्यान' भी उपयोगी रहा। पुस्तक समीक्षा में 'दो फाड़' व 'वक्त की ठण्डी रेत पर' की गई समीक्षा के साथ प्रमोद कुमार चमोली की पुस्तक 'सेल्फियास हैं सब' की समीक्षा आधुनिक संदर्भ के साथ जीवन के यथार्थ को प्रकट करती है। कन्हैयालाल सेठिया की चेतावणी (मायड़ रां हेळो) का संकलन पुरानी यादों को ताजा कर देता है। सम्पादन की सहज व सरलता पूरी पुस्तक को मोतियों की माला के रूप में निरूपित करने पर सम्पादक मण्डल को बधाई एवं शुभकामनाएँ।

अंगद बिश्नोई, फलौदी

- शिविरा माह मई-जून 2017 के अंक में 'नागार्जुन की यथार्थ चेतना एवं लोक दृष्टि' हेमन्त गुप्ता 'पंकज' का लेख अच्छा लगा। बल्लू राम मीणा का आलेख 'बढ़ता वैश्विक तापमान, घटती धरातलीय आर्द्रता और पर्यावरण संरक्षण' वर्तमान में बढ़ रही गर्मी के दिनों की संख्या के प्रति भविष्य के लिए सजग करता है। इसी संदर्भ से शिक्षा को जोड़ने वाला आलेख डॉ. दुर्गा भोजक का 'प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर न हो शिक्षा' श्रेष्ठ लगा। आवरणीय सुन्दरता में योग के चित्र के साथ पृथ्वी व प्राकृतिक सुन्दरता की प्रतीक तितलियाँ तथा महापुरुषों के चित्र चार चाँद लगा रहे हैं। कवर डिजाइनर को बधाई। अंक में शामिल विषयानुरूप शृंखलाबद्ध आलेख अंक को विशेषांक में तब्दील करता है भले ही इसे पर्यावरण शिक्षा विशेषांक नहीं दर्शाया है। सम्पादकीय कुशलता एवं सम्पादक मण्डल की श्रेष्ठता अंक से स्वयं ही सिद्ध होती है।

भीष्म कुमार महर्षि, बीकानेर

सत्यमेव जयते

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

सफल होने के साथ-साथ, श्रेष्ठ मानव भी बनें

नवीन शिक्षा सत्र में ग्रीष्मावकाश के पश्चात सभी विद्यार्थियों, सम्मानित शिक्षकों, अभिभावकों और भामाशाहों का हार्दिक अभिनंदन!

शैक्षिक गुणवत्ता के लिए गत सत्र में किए गए कठोर परिश्रम का ही सुफल रहा कि सम्पूर्ण राज्य में स्कूली शिक्षा के परीक्षा परिणामों में गुणात्मक उन्नयन हुआ। यह उन्नयन विशेषकर राजकीय विद्यालयों के अग्रणी रूप में रहने से और भी सुखद रहा। राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उच्चतम अंकों के साथ सफलता अर्जित कर गौरव बढ़ाया।

स्वच्छ आकर्षक विद्यालय भवन, कुशल प्रबंधन, उच्च शैक्षिक वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से राजकीय विद्यालयों का वैशिष्ट्य बना।

नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम और द्वितीय चरण के प्रवेशोत्सव से विद्यालयों में उत्साहजनक नामांकन हुआ है। स्थानीय सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन और विकास समितियों (SDMC) के बेहतरीन तालमेल से राजकीय विद्यालय प्रत्येक समुदाय का अपनत्व पाकर 'अपना विशिष्ट विद्यालय' बन रहा है।

बालिका प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रत्येक वर्ग में शिक्षा के प्रति जाग्रति आई है। परीक्षा परिणामों में बालिकाओं के उच्चतम स्थान समाज में बालिका शिक्षा के प्रति बदलते सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है।

नवीन शिक्षा सत्र में भी हमें अपूर्व उत्साह और लगन के साथ प्रत्येक बालक-बालिका को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है अपितु उन्हें इस प्रकार भी संस्कारित करना है कि वे सफल होने के साथ-साथ, श्रेष्ठ मानव भी बनें।

जुलाई माह में गुरुपूर्णिमा, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, चन्द्रशेखर आजाद जयन्ती, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती और उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द जयन्ती है, महापुरुषों का प्रेरणादायी जीवन चरित्र हमारा पाथेय बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।

(नथमल डिडेल)

"नवीन शिक्षा सत्र में भी हमें अपूर्व उत्साह और लगन के साथ प्रत्येक बालक-बालिका को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है अपितु उन्हें इस प्रकार भी संस्कारित करना है कि वे सफल होने के साथ-साथ, श्रेष्ठ मानव भी बनें।"

जयन्ती

कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास

❒ सलिज वर्मा

छायावाद की स्तम्भ महादेवी वर्मा ने लिखा है–''हमारा देश निराशा के गहन अंधकार में साधक, साहित्यकारों से ही आलोक पाता रहा है। जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। आज भी जो समाज हमारे सामने है, वह तुलसी का निर्माण है। हम पौराणिक राम को नहीं जानते, तुलसी के राम को जानते हैं।''

हजारों कवियों की प्रतिभाएँ जब एक काया में समाती हैं– तब कोई एक तुलसीदास बनता है। भाषा जिसके समक्ष आत्मसमर्पण करती है, छंद जिस पर न्योछावर होते हैं, मंत्र स्वयं जिसे सिद्ध करते हैं, शब्द और अर्थ अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिसकी ओर टकटकी लगाकर देखते हैं, सरस्वती जिसकी विद्याएँ देखकर अचरज करती है, कविताएँ और कलाएँ जिसके समक्ष घुटने टेककर बैठ जाती है, उसे तुलसीदास कहते हैं।

जब किसी समाज की संस्कृति और सभ्यता एक पाँव पर खड़े होकर वर्षों तपस्या करती है, जब लोकभाषा सदियों तक लोक की जिह्वा पर यात्रा करती है, जब नदियाँ, पर्वत, पेड़, झरने, धरती, आकाश आदि मनुष्य से वर्षों सत्संग करते हैं, जब सुर, राग–रागिनियाँ, वाद्ययंत्र सालों सरगम का रियाज करते हैं, तब कहीं एक तुलसी सधता है। ऐसा तुलसी जो पूरी धरती का आँगन पवित्र करता है, जो इस महादेश के करोड़ों जनों का संवाद बनता है, सुबह की प्रार्थना और शाम की आरती बनता है। जिस राम की पूजा आज हमारा देश करता है और जिस राम के बिना पूरा हिन्दू समाज अधूरा है, वह राम गोस्वामी तुलसीदास की काव्य साधना से अवतरित हुआ है। जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा महर्षि वाल्मीकि ने की थी उस राम को बाबा ने सजीव किया और जन–जन के हृदय में बैठाया। जिस तरह बुद्ध ने अपने दर्शन को संस्कृत के पांडित्य से मुक्त किया और पाली के माध्यम से उस देश की सीमाओं के पार

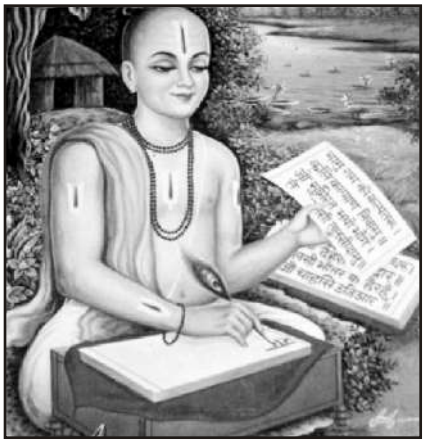

पहुँचाया, उसी तरह बाबा ने संस्कृत का दामन छोड़कर अवधी में कविताई की और लोक दुलारे बने।

भारतीय कविता से अगर बाबा के योगदान को अलग कर दिया जाए तो कितने प्रवचनकार मौन हो जाएँगे, कितने मंदिरों के पट बंद हो जाएँगे, कितनी रामलीलाओं के कलाकार अपनी वेशभूषा उतारकर रख देंगे, कितने कवि दोहा और चौपाई भूल जाएँगे, कितने लोगों के घर पुस्तकों से खाली हो जाएँगे, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

हिन्दी साहित्य के आकाश के परम नक्षत्र, भक्तिकाल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, भक्त तथा समाज सुधारक तुलसीदास का जन्म संवत 1589 को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार ''लाज न आई आपको दौरे आएहु नाथ'' सुननी पड़ी जिससे इनका जीवन परिवर्तित हो गया। पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी। इनका अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता। इनका देहांत संवत 1680 में काशी के असी घाट पर हुआ–

संवत सोलह सौ असी, असी गंग के तीर।
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर।।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके महत्त्व के सम्बन्ध में लिखा है– ''तुलसी का महत्त्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया है। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। गियर्सन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था और यह तो बहुत लोगों ने कई बार कहा है कि उनकी रामायण भारत की बाइबिल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे।'' महात्मा तुलसीदास सचमुच ही हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य थे। पराधीनता के समय में एक ओर उन्होंने **'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं'** की बात की तो दूसरी रामराज्य का आदर्श स्थापित कर पराधीन भारत की संघर्ष की प्रेरणा दी।

गोस्वामी तुलसीदास के समस्त साहित्य का प्रमुख विषय राम भक्ति ही है। राम के शील, शक्ति और सौन्दर्य से सुसज्जित लोक रक्षक रूप का चित्रण करना तुलसी का प्रमुख उद्देश्य है। तुलसीदास ने अपने समय के प्रचलित प्रायः सभी शास्त्रीय तथा लोक शैलियों में काव्य रचना की है। भाषा की दृष्टि से तुलसीदास का ब्रज और अवधी पर समान रूप से अधिकार है। स्वामी, सेवक, भाई, माता, पिता, पत्नी और राजा के उच्चतम आदर्शों का एकत्र मिलन तुलसी के कालजयी साहित्य में दृष्टिगोचर होता है।

गोस्वामी जी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानंद की शिष्य परम्परा में थे। इन्होंने समय को देखते हुए लोकभाषा में 'रामायण' लिखा। इसमें व्यास से वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो–ब्राह्मण रक्षा, देवादि विविध योनियों का यथोचित सम्मान, प्राचीन

संस्कृति और वेदमार्ग का मण्डन तथा उस समय के विधर्मी अत्याचारों, सामाजिक दोषों एवं पंथवाद की आलोचना की गयी है। गोस्वामी जी पंथ व सम्प्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होंने व्यास से भ्रातृप्रेम, स्वराज्य के सिद्धांत, रामराज्य का आदर्श, अत्याचारों से बचने और शत्रु पर विजयी होने के उपाय; सभी राजनीतिक बातें खुले शब्दों में उस कड़ी जासूसी के जमाने में भी बतलायीं, परन्तु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न था। लोगों ने उनको समझा नहीं। रामचरितमानस का राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने झुंझलाकर कहा–

रामायण अनुहरत सिख,
जग भई भारत रीति।
तुलसी काठहि को सुनै,
कलि कुचालि पर प्रीति।।

स्वामी रामानंद की शिष्य परम्परा और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय में अन्तर्युक्त तुलसी की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक न थी। उनके ग्रन्थों में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का सुन्दर समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त आदि साम्प्रदायिक भावनाओं और पूजा पद्धतियों का समन्वय भी उनकी रचनाओं में पाया जाता है। वे आदर्श समुच्चयवादी सन्त कवि थे। घोर अशान्ति के समय में तुलसीदास ने तत्कालीन परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करके समाज में व्याप्त वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया। इन्होंने इस विषमता को दूर करने के लिए समन्वय की प्रवृत्ति को अपनाया। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण तुलसीदास लोकनायक कहलाए। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ''तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विराट चेष्टा है। उनके काव्य में ज्ञान और भक्ति, सगुण और निर्गुण, गार्हस्थ और वैराग्य, शैव और वैष्णव, राजा और प्रजा, शील और सौंदर्य आदि के समन्वय की भावपूर्ण झाँकी देखी जा सकती है–

जो जन रूखे विषय–रस चिकने राम–सनेह।
तुलसी ने प्रिय राम के कानन बसहिं के गेह।।

तुलसी ने अपने आराध्य श्रीराम के व्यक्तित्व में शील और सौन्दर्य का अनोखा समन्वय किया है। जिसमें स्थल–स्थल पर राम के अनेक गुणों का बखान किया है–

स्याम गौर किमि कहौं बखानीं।
गिरा अनयन नयन बिनु बानी।।

''युग पुरुष गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित ब्रज व अवधी भाषा में रचना करते हुए वृन्द के छप्पय, कुण्डलियाँ, कबीर के दोहे, सूर और विद्यापति की गीत पद्धति, जायसी की दोहा, चौपाई शैली, रहीम के बरवै आदि को अपनी अद्भुत ग्राहिका शक्ति के द्वारा आत्मसात किया था। जिन्होंने चिर पिपासाकुल संसार के संतप्त पथिकों के लिए सुशीतल सुधा–स्रोतस्विनी पुण्य सरिता–रामभक्ति मंदाकिनी की धवलधारा बहा दी, जिन्होंने भक्त–भ्रमरों के अर्थ कृत–वाटिका में भाव–कुंज कलिकाओं से अनुराग मकरंद प्रस्तरित किया, जिन्होंने साहित्य–सेवियों के सम्मुख भगवती भारती की प्रियतम प्रतिभा प्रत्यक्ष करा दी है, उनका भला प्रातः स्मरणीय नाम किस अभागे आस्तिक के हृदय–पटल पर अंकित नहीं होगा, जिसका रामचरित मानस भारतीय समाज के मन–मंदिर का इष्टदेव हो रहा है, जिनकी अभूतपूर्व रचना समस्त संसार में समादरणीय स्थान पाती जा रही है, उन रसित कविश्वर लोकललाम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से परिचित न होना महान आश्चर्य का विषय है।'' प्रस्तुत पंक्तियाँ हिन्दी के महान साहित्यकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। इन पंक्तियों के गर्भ में महाकवि तुलसीदास की महानता का समस्त

अर्थ दिया है। उन्होंने ऐसे समय में अपने उद्गारों को कविता के रूप में प्रकट किया जबकि अधिकतर लोगों में निराशा व अकर्मण्यता की भावना जोर पकड़ रही थी। उन्होंने अपनी सुषमामयी कविता कामिनी के माध्यम से ऐसा मंत्र पढ़ा कि जनता सर्प की भाँति फुंकार उठी। तुलसी का ही प्रभाव है जो हम कर्त्तव्यविमुख व्यक्तियों का अलख जगाने का ढोंग कम ही देखते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह सभी कुछ लोक–कल्याण की भावना से युक्त है। उनकी समस्त रचनाओं में लोकरंजन व लोकमंगल की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

उनकी रचनाओं में नवीनता का श्रेय उनकी उचित एवं आदर्श भावनाओं को जाता है। उन्होंने हर स्थान पर आदर्श को प्राथमिकता दी है। आदर्श को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विषय को स्वीकार किया और अनुपयुक्त विषयों को त्याग दिया। उन्होंने किसी सम्प्रदाय का संचालन किए बिना स्वतंत्र भावनाओं को समस्त भारतीय संस्कृति के रोम–रोम में इस प्रकार पहुँचा दिया कि सर्वसाधारण को इसका आभास नहीं होता। तुलसी के उद्गार लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे ही परन्तु उनकी लोकप्रियता का श्रेय उनकी काव्य शैली को जाता है। उनके भाव स्वतः अर्थात् मूल रूप से उत्तम हैं हीं साथ ही उनको इतने कमनीय ढंग से कहा गया है वह तुलसीदास को लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर देते हैं, उनमें हृदयवाद और बुद्धिवाद का मंजुल समन्वय है जो उनकी लोकप्रियता में और वृद्धि करता है। लोक कल्याण की भावना के विषय में उन्होंने कहा है–

कीरति भनति भूत बेलि सोई।
सुरसरि राम सब हित होई।।

सचमुच कवि की काव्य कला अद्भुत थी, उन्होंने कल्याण को ध्यान में रखते हुए भक्तिपूर्ण कविता की। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने कुछ यूँ कहा–

''कविता करके तुलसी न लसे।
कविता लसी पा तुलसी की कला।।''

प्रधानाचार्या
रा.उ.मा.वि. रोझां,
लूणकरणसर, बीकानेर
मो. 9414143728

जयन्ती

भारतीय राजनीति के 'तिलक'

❒ डॉ. जयप्रकाश राजपुरोहित

भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का कालखंड अंग्रेजों के शासन से माना जाता है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के पिता यदि राजा राममोहन राय को, आध्यात्मिक पिता स्वामी दयानंद को मानें तो आधुनिक भारतीय राजनीति के पिता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को माना जाना चाहिए। उनके परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय राजनीति में असंतोष का जनक कहा, क्योंकि शांत अंग्रेज साम्राज्य के लिए वो दावानल सिद्ध हुए। भारत में प्लासी के युद्ध के बाद से ही सुदृढ़ होती अंग्रेज सत्ता को पहली ही सामूहिक चुनौती मिली 1857 की क्रांति से। लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेज शासन ने संचार, सूचना, सेना और षड़यंत्र जैसे तरीकों से भारत में अपने पैर मजबूती से जमा लिए। इस सत्ता पर संकट के बादलों का काम जिस महापुरुष ने सबसे पहले किया, वे थे तिलक।

जब 1857 में गाँव-गाँव में रोटी और कमल क्राँति सूचक के रूप में बनते जा रहे थे, ऐसे में 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पार्वती बाई की कोख से गंगाधर तिलक के घर केशव तिलक का जन्म हुआ। ये ही आगे लोकमान्य और बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए।

उन्होंने अपनी स्नातक पढ़ाई के बाद गणित शिक्षण का काम किया। लेकिन शीघ्र ही वे पत्रकारिता में आ गए। उनका कहना था कि ''समाज और अपने कल्याण के लिए साधु बनना जरूरी नहीं है, हम सबके बीच रहकर भी अपना कल्याण कर सकते है।'' तिलक उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने भारत में एलएलबी. की शिक्षा प्राप्त की थी। 1884 में तिलक ने दक्कन शिक्षण संस्थान का प्रारम्भ किया, उन्हें लगता था कि शिक्षा से ही भारतीयों में स्वराज्य के प्रति जागरूकता लायी जा सकती है। इस संस्थान ने कई विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की। फर्ग्युसन कॉलेज उनमें से ही एक था जिसमें स्वयं उन्होंने गणित

पढ़ाया था। रोचक बात ये है कि ये कॉलेज में छात्रों को गणित के साथ संस्कृत और विज्ञान भी पढ़ाया करते थे। इससे उनकी बहुलक्षणी प्रतिभा का पता चलता है।

1890 में उन्होंने कांग्रेस में सक्रियता से भाग लेना प्रारम्भ किया। उन्हें कांग्रेस की शांत-समर्थक छवि पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि इस विचारधारा से अंग्रेज कभी भी भारतीयों को स्वराज नहीं देंगे।

हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक कालखंड को दो हिस्सों में देख सकते हैं-तिलक से पहले और तिलक की सक्रियता के बाद। तिलक से पहले कांग्रेस शायद अंग्रेजों के सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य करती थी। इसमें वार्षिक अधिवेशन होते थे। लोग अंग्रेजों से बेहतर तालमेल पर चर्चा करते थे। अंग्रेज अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाता था। इस तरह कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों तक भारतीयों की समस्याएँ सूक्ष्मीकृत होकर पहुँचती थी और कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों की भावनाएँ परिष्कृत होकर भारतीयों तक पहुँचती थी। स्पष्ट नहीं था कि कांग्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में रणनीति क्या है, लेकिन 1890 से तिलक और अन्य नेताओं के प्रयासों से जनमानस में कांग्रेस का अधिकाधिक प्रभाव बढ़ा। अंग्रेजों ने इन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहा जबकि भारतीय लोगों के लिए ये प्रखर स्वतंत्रता की ज्योति बने। अपने समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार शुरू किया। मराठी भाषा में उन्होंने 'केसरी' और अंग्रेजी में 'मराठा' समाचार पत्र निकाले। उस समय के नवशिक्षित भारतीय वर्ग को वास्तविक राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य इन्हीं दो समाचार पत्रों ने किया। एक समय ऐसा भी आया जब 'केसरी' के पाठकों की संख्या भारत में किसी भी अन्य अखबार से सर्वाधिक थी। समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने जो पत्रकारिता के देशी मानदंड स्थापित किए वो आज भी भारत के पत्रकारिता जगत के लिए प्रोत्साहन के स्रोत हैं।

1896 में तत्कालीन बंबई प्रेजीडेंसी में पड़े भयानक अकाल के समय तिलक अपने साथियों के साथ पूरी ताकत के साथ जुटे। अनेक स्थानों पर राहत शिविर खोले और अनाज आदि वितरित किया गया। 1897 के बंबई-महाराष्ट्र के प्लेग में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई शिविर, अस्पताल आदि की स्थापना की। इनके सेवा कार्यों से लोगों में इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता गया। इनके समाचार पत्र, सेवा कार्य आदि के सहयोगी प्रमुख मित्र थे- विष्णु कृष्ण चिपलूनकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी, वी.एस. आप्टे। इन सबने कंधे से कंधा मिलाकर शैक्षिक, पत्रकारिता और सेवा कार्यों में तिलक

सिंधु से आसाम तक
योगी-शिला से मानसर
गूँजते हैं विश्व जननी
प्रार्थना के उच्च स्वर।
सुप्त भावों को जगा
उत्साह का संचार कर,
ले चलें हम राष्ट्र नौका को
भँवर से पारकर।।

का सहयोग किया।

अंग्रेजों की लोकविरोधी नीति को उन्होंने अपने समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा, इससे वे अंग्रेजों को अपने बड़े शत्रु लगने लगे। इनका लिखा प्रसिद्ध वाक्य 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा' क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम की गंगोत्री बन गया। जिस समय में सामान्य लोग, नेता और भारतीयों को एक बड़ा वर्ग 'स्वराज्य' इस शब्द की भावना तक नहीं जानता था, अंग्रेजों को ही अपना शासक स्वीकार कर चुका था, ऐसे समय में इन्होंने स्वराज्य का शंख फूँक दिया।

1894 में तिलक ने 'गणेश उत्सव' और 1895 ई. में 'शिवाजी उत्सव' प्रारम्भ करवाया। वस्तुतः ये दो उत्सव तिलक का सारा राजनीतिक दर्शन समझने के लिए प्रतीक हो सकते हैं। 'गणेश पूजन' जो कि महाराष्ट्र के घर-घर में भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता था, उसे तिलक ने सामाजिक स्वरूप प्रदान कर दिया। धार्मिक जुलूस के बहाने लोग एक दूसरे के नजदीक आए। इसमें सभी जातियों के लोग थे। धनी भी थे, निर्धन भी । शिक्षित भी थे और अशिक्षित भी। तिलक ने भेदभाव का बाँध तोड़ दिया। ऐसे ही 'शिवाजी उत्सव' से तिलक ने लोगों में राजनीतिक स्वतंत्रता का बीजारोपण किया। लोगों ने शिवाजी को स्मरण किया, उनके जीवन पर चर्चा हुई। शिवाजी के बलिदान, त्याग, समर्पण की आमजन में भावना भर गयी। विपरीत परिस्थितियों में जैसे शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की वैसे ही अंग्रेजों से टक्कर लेकर भारतीय अपना अधिकार पुनः ले सकते हैं- ऐसी लोगों की मनः स्थिति बनी। यही तिलक का लक्ष्य था। तिलक ने इन दो उत्सवों के माध्यम से महाराष्ट्र की धरती पर एकतां, राष्ट्रवाद, संगठन, समर्पण, सेवा और शक्ति का प्रवाह खड़ा कर दिया। इससे दूसरे प्रान्तों में भी जागरण हुआ।

कांग्रेस में जनहित के कार्यों, स्वराज और शोषण के विरोध की प्रवृत्ति बढ़ी। इस प्रवृत्ति का सबसे पहला व्यापक स्वरूप सामने आया 1905 के बंग-भंग विरोधी आन्दोलन के रूप में। 1905-07 के स्वदेशी आंदोलन के मूर्तिकारों में उनका प्रमुख स्थान था। स्वदेशी आंदोलन से बंगाल का विभाजन तो रुक गया लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये दो हिस्सों में टूट गयी। इन्हें नरम दल और गरम दल कहा गया। गरम दल में लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक और विपिन चन्द्र पाल थे। इस गुट को लाल-बाल-पाल कहा गया। पार्टी में विभाजन का लाभ उठाकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर मांडले, म्यांमार (बर्मा) की जेल में निर्वासित कर दिया और 6 वर्ष के निर्वासन की सजा दी। कारावास में तिलक के लेखन का नया स्वरूप सामने आया। उन्होंने 'गीता रहस्य' पुस्तक लिखी। भारत में सबसे अधिक सम्मानित 'श्रीमद्भगवदगीता' पर यह तिलक की टीका थी। गीता के कर्म, संन्यास, भक्ति, मुक्ति के दर्शन को तिलक ने अपने शब्दों में पिरोया। आज भी गीता पर लिखे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में इस ग्रंथ का प्रमुख स्थान है।

प्रथम विश्वयुद्ध से ठीक पहले वे फिर से भारतीय राजनीति में कूद पड़े। कांग्रेस जब नेतृत्व में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह कर रही थी, ऐसे में एनीबिसेन्ट के साथ मिलकर तिलक ने स्वराज की माँग करते हुए 'होमरूल लीग' की स्थापना की। इन्होंने कांग्रेस में काम करना फिर से शुरू किया। 1918 ई. में ये इंग्लैण्ड गए और कई प्रमुख नेताओं से मिले। लेबर पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध स्थापित

किए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इस पार्टी का झुकाव भारत की स्वतंत्रता की तरफ अधिक है। यह अनुमान आगे चलकर 1947 में सिद्ध हो गया। इनकी पुस्तक 'रिसर्चेज इनटु द एंटिक्विटी ऑफ वेदाज' पर टिप्पणी करते हुए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉ. ब्लूमफील्ड ने लिखा ''लेखक नम्रता के साथ सूचित करता है कि ऋग्वेद का रचनाकाल ईसा के जन्म से चार हजार वर्ष पहले से कम नहीं हो सकता और हिन्दू परम्परा के साथ इसका काल ईसा के 6000 वर्ष पूर्व होना चाहिए। हिन्दुओं को प्रचुर कल्पना-शक्ति के बारे में कुछ भी स्वीकार करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि मैं पुस्तक के कुछ पन्ने उलट कर उसे मुस्कुराहट के साथ अलग रख दूँगा। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई और मुझे लगा कि कोई असाधारण घटना हो गई है। सबसे पहले मैं लेखक की इस बात से प्रभावित हुआ कि इन्होंने वैदिक साहित्य और इस विषय से संबंधित पाश्चात्य साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है। शीघ्र ही मेरा सतही अध्ययन गंभीर अध्ययन में बदल गया। उपहास की भावना के स्थान पर मैं लेखक की बातों का कायल होने लगा। निस्संदेह यह पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में सनसनी पैदा करने वाली है। तिलक की खोज के परिणामों को समझने में काफी समय लगेगा।''

इनकी लिखी पुस्तक 'द आर्कटिक होम इन दि वेदाज' ने प्राचीन आर्य उद्भव पर शोध किया। इनके अनुसार आर्यों के रहने का स्थान उत्तरी ध्रुव से मिलता-जुलता था। कुछ समय पहले हुए शोध के अनुसार कई लाख वर्ष पहले के भारत का मध्य हिस्सा ही उत्तरी ध्रुव रहा था। भूगोल का 'पृथ्वी के ध्रुवों का स्थान परिवर्तन' (Pole Shift Hypothesis) नामक सिद्धांत इनके किए अनुसंधान से संगत मेल खाता है। इसके अलावा भी तिलक के अनेक लेख, शोध और पुस्तकें निरंतर पाठकों के लिए आज भी ज्ञान-निर्झर बने हुए हैं।

1 अगस्त सन् 1920 ई. में बंबई में भारतीय राजनीति का यह सिंहनाद शांत हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गाँधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा।

खेतेश्वर मंदिर के पीछे, खेतेश्वर बस्ती,
गंगाशहर, बीकानेर-334401
मो: 9414012028

जयन्ती

चन्द्रशेखर आजाद का चिन्तन

❐ रमेश कुमार शर्मा

'यतेमहि स्वराज्ये', अर्थात् हम स्वराज्य हेतु सदैव यत्न करें, यह ऋग्वेद (5/66/6) की उक्ति है। इसी प्रकार यजुर्वेद (1/23) की स्पष्ट उक्ति है- वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः अर्थात हम अपने राष्ट्र में सावधान होकर पुरोहित या नेतृत्वकर्त्ता बनें। ये वेद ऋचाएँ देश की स्वतंत्रता और प्रगति के प्रति जागरूकता की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। विदेशी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रान्ति का अलख जगाने वाले 27 फरवरी, 1931 को शत्रु से घिर जाने के उपरान्त भी देह की अन्तिम श्वास तक युद्ध ठानते हुए, अपनी गोली से मृत्यु का वरण करने वाले चन्द्रशेखर आजाद ने कभी अपने साथियों से कहा था-

''अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रगति का चिन्तन हमें ही करना होगा। हम अपने देश को रामसे मेक्डोनाल्ड (तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री) या हर्बर्ट हूवर (तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति) या स्टालिन (सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी के तत्कालीन महामंत्री) के भरोसे नहीं छोड़ सकते।''

संक्षिप्त जीवनी

23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील के भाबरा गाँव में महान क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वर्ष 1921 में जब चन्द्रशेखर 15 वर्ष के बालक थे तभी से देश की हरियाली और समृद्धि को कानून के नाम पर नष्ट करने के ब्रिटिश सत्ता के षड़यंत्र से जनता को अवगत कराने लगे थे। एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ''लुटेरा विदेशी शासन नगरीय विकास के नाम पर देश की समृद्ध वन-गोचर भूमि उजाड़ता है और बंकिम बाबू के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहता।'' उन्होंने पशुपालकों एवं वनजीवियों से उनकी साझा उपयोग की भूमि छिन जाने से उनके बेरोजगार होने की समस्या पर जनता का ध्यान

आकृष्ट किया और सभा में 'वन्दे मातरम्' का उद्घोष गुँजाया। 'वन्दे मातरम्' उद्घोष लगाना शासन विरोधी गतिविधि माना जाता था। अतः चन्द्रशेखर को मुख्य अपराधी मानते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम 'आजाद' बताया। पिता का नाम पूछे जाने पर पिता का नाम 'स्वतंत्र' बताया और घर का पता पूछे जाने पर उत्तर दिया- जेलखाना। उन्हें दण्ड के रूप में निर्वस्त्र पीठ पर 15 बेंत मारे गए। प्रत्येक बेंत-प्रहार पर उन्होंने 'भारत माता की जय' के उद्घोष लगाए। तभी चन्द्रशेखर के नाम के साथ 'आजाद' जुड़ गया। काकोरी काण्ड के शहीद महान देशभक्त रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खाँ से प्रेरित होकर चन्द्रशेखर आजाद ने 8 दिसम्बर 1928 को 'हिन्दुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना' की स्थापना की, जिसके वे आजीवन प्रधान सेनापति रहे। विख्यात क्रान्तिकारी भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण, दुर्गा भाभी, भाई परमानन्द, फणीन्द्र नाथ घोष आदि उनके सहयोगी थे। 17 नवम्बर 1928 को लाला लाजपतराय की वीरगति हुई। उसके 21 दिन पश्चात 8 दिसम्बर 1928 को लालाजी के हत्यारे सांडर्स का वध करने और लालाजी के दिखाए मार्ग पर चलने के उद्देश्य से स्थापित 'हिन्दुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना' ने दो वर्ष तक ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ाये रखी। सांडर्स-वध के उपरान्त 8 अप्रैल 1929 को भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेम्बली में बम विस्फोट करने के बाद स्वयं गिरफ्तारी दे देने से आजाद के संगठन का कार्य शिथिल हुआ। 27 फरवरी, 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की सेना से घिर जाने पर आजाद ने अपनी कुल गोलियों का प्रयोग कर शत्रु के पन्द्रह सैनिकों को हताहत किया तथा अंतिम सोलहवीं गोली अपनी ही कनपटी पर दाग कर 25 वर्ष की आयु में भव्य वीरगति प्राप्त की।

चन्द्रशेखर आजाद एक योद्धा होने के साथ कवि का हृदय भी रखते थे। शहादत से कुछ दिनों पहले लिखी उनकी कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-

किस तरह से जंग लड़ते हैं वतन के वास्ते,
किस तरह से जान देते हैं वतन के वास्ते
फकत दुनिया में बताने यह तुम्हें आए थे हम
खुश रहो अहले वतन, चलते हैं, वन्दे मातरम्।

आजाद की यह कविता उनके चिन्तन के राजनैतिक और साहित्यिक दोनों आयामों को चित्रित करती है।

चिन्तन-कण

चन्द्रशेखर आजाद के चिन्तन के मुख्य बिन्दु जो उनके संवादों और कतिपय उद्बोधनों से लिए गए हैं, इस प्रकार हैं।

- दुःख या सुख भाग्य के अधीन हैं। हम भारतवासी परतंत्र हैं, इसलिए हमें सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।
- स्वतंत्रता के लिए निर्णायक युद्ध लड़ने की आकांक्षा संजोये क्रान्तिकारी वीरों को स्वतः गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। गिरफ्तारी समाचार पत्रों की सुर्खी बन सकती है जिससे हमें अपने चिन्तन की अभिव्यक्ति का अवसर मिल सकता है। किन्तु इससे सशस्त्र संग्राम के मार्ग में व्यवधान खड़ा होता है। हमें अपना समय

क्रान्तिकारी वीरों का विराट संगठन खड़ा करने में लगाना चाहिए। (असेम्बली बम विस्फोट उपरांत भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा स्वतः गिरफ्तारी देने पर प्रतिक्रिया)

- देश के युवकों को आलस्य त्यागकर सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम के लिए कटिबद्ध होना होगा। 1857 की महान क्रान्ति में अटूट विश्वास रखकर, संगठित होकर हमें युद्ध लड़ना होगा। रूस, फ्राँस या किसी भी अन्य देश में 1857 की भारतीय क्रांति से अधिक भव्य क्रान्ति नहीं हुई। भले ही सन् 57 में हम हारे हो पर तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे आदि वीरों ने जिस अनूठी धीरोदात्तता का परिचय दिया, उसके कारण उनकी तुलना अन्य देशों के क्रान्तिनायकों से नहीं हो सकती। अतः हमें क्रान्ति का कार्य सीखने के लिए किसी दूसरे देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। (भगतसिंह द्वारा क्रान्तिकार्य सीखने हेतु रूस जाने की इच्छा जताने पर दी गई सीख)
- हमें 'वन्दे मातरम्' गीत का लक्ष्य सदैव आँखों में सँजाये रखना है। सुजला, सुफला मातृभूमि और देश की जनता की प्रसन्नता ही हमारे संघर्ष का लक्ष्य है। जब भी देश स्वतंत्र होता है और हमारे हाथों में शासन की बागडोर आती है तो हम अपनी पर्वतमालाओं पर एक भी वृक्ष नहीं कटने देंगे। गायों और सभी पालतू दुधारू पशुओं के लिए बने चरागाहों में से एक वर्ग इंच भी किसी अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होने देंगे। जगदीश चन्द्र बसु लाख प्रयोग कर समझायें कि पेड़ों में प्राण होते है पर अंग्रेज विदेशी है, इसलिए वे हमारी शस्य श्यामला मातृभूमि को बंजर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। परन्तु हमें सावधान सचेष्ट होकर देश की हरियाली और समृद्धि बनाये रखनी होगी। (15 वर्ष की आयु में जनसभा संबोधन)

6/134 मुक्ता प्रसाद नगर
बीकानेर- 334004
मो: 9636291556

एस.आई.क्यू.ई.

एक पाती अपनों के नाम

❐ सुनीता चावला

संस्थाप्रधान साथियों,

शिविरा का अंक जब आपके हाथों में होगा, तो ग्रीष्मावकाश के बाद शैक्षिक सत्र 2017-18 आरंभ हो चुका होगा। विद्यालय का प्रांगण बच्चों की चहल-पहल एवं क्रीड़ाओं से गुंजायमान होगा। ये बच्चे नये सत्र में नये सपने एवं अरमानों को संजोए हुए जोश एवं उल्लास के साथ विद्यालय आए हैं।

इस सत्र में यकीनन विद्यालय को और बेहतर बनाने, कुछ नया करने के लिए आपके मन में भी कई विचार योजना का रूप ले रहे होंगे। आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षक साथियों के साथ इन योजनाओं को साझा कर विद्यालय कार्यों में उनकी सहभागिता के साथ कुछ अलग और उम्दा करने का विचार भी कर रहे होंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि संस्थाप्रधान की सारी ऊर्जा एवं ध्यान बोर्ड कक्षाओं अथवा पूर्व बोर्ड कक्षाओं तक ही केन्द्रित रहता है। संभवतः आपकी सोच यही होती है कि हमारे विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएँगे। जब विद्यार्थी अच्छे अंकों से परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं, तो विद्यालय एवं समाज दोनों ही गौरवान्वित होते हैं। हमारे देश में वर्तमान परीक्षा का आधार बौद्धिक कौशल होता है। हम इमारत को बुलन्द करना चाह रहे हैं, इसलिए उसकी नींव पर भी विशेष ध्यान देना है। पौधा पल्लवित तभी होगा जब उसकी जड़ें जमीन को पकड़ेगी। विचारणीय है कि यह सब कैसे होगा?

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के गुणात्मक सुधार के लिए कई योजनाएँ संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों के माध्यम से लागू की जाती हैं। विद्यालय की सफलता इन योजनाओं को श्रेष्ठ ढंग से लागू करने में दृष्टिगोचर होती है तथा विद्यार्थी भी लाभान्वित होते हैं।

एनसीएफ-2005 एवं आरटीई-2009 की मंशा के अनुरूप गत दो सत्रों से हमारे विद्यालयों में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजूकेशन (एसआईक्यूई.) कार्यक्रम चल रहा है। राज्य सरकार ने एसआईक्यूई. के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा बाल केन्द्रित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के लिए सीखना-सिखाना एवं समग्र विकास करना है। समग्र विकास के लिए मनोयोगात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया जाता है। आरटीई-2009 के तहत आयु वर्ग 06 से 14 के बच्चों को विद्यालय में आयु अनुरूप प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश के बाद बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा स्तर तक लाने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के हर पक्ष का विकास भी सुनिश्चित किया जाता है।

प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले शिक्षक, ग्रीष्मावकाश में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा बाल केन्द्रित शिक्षण विधा पर छः दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की कार्यक्रम पर बेहतर समझ और पकड़ बनी है। उनकी भ्रांतियाँ भी दूर हुई है और नई विधाओं से परिचय भी हुआ है। इससे शिक्षकवृन्द कक्षा में बच्चों के साथ अधिक स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएँगे।

आदरणीय मित्रों, आप सभी अपने विद्यालय में शैक्षिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपके माध्यम से शिक्षकों को तत्काल सम्बलन मिलता है। आप जिस कार्य को प्राथमिकता देंगे, वह कार्य स्वतः ही शिक्षकों की प्राथमिकता में आ जाएगा। इसलिए अन्य कार्यों के साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों एवं उनमें अध्यापन करवाने बाबत शिक्षकों को समय-समय पर आपके विशेष ध्यान, मार्गदर्शन एवं सम्बलन की आवश्यकता है।

आरटीई-2009 की धारा-29 के तहत विद्यालय के कैचमेंट एरिया में रहने वाले, विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चे विद्यालय में प्रवेश लें, नियमित आएँ एवं ड्रॉप आउट नहीं हों, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारे विद्यालयों का वातावरण बालमित्र हो।

शिक्षक-बालकों के बीच आत्मीय संबंध हो। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने से पहले यह आवश्यक है कि उन्हें विद्यालय से जोड़ा जाए ताकि बच्चे समय पर एवं प्रतिदिन विद्यालय आएँ। हमें इसकी शुरुआत प्रार्थना सभा से करनी होगी। प्रार्थना सभा में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बच्चों के स्तर अनुरूप प्रार्थना, कविता, देश-भक्ति गीत, भाव-भंगिमा सुर-लय के साथ सुगम संगीत के माध्यम से सिखाए जाएँ। यदि एक बार बच्चों के गले सध गए तो संगीत इनके जीवन में समा जाएगा। प्रतिदिन बच्चों को योग क्रियाएँ करवाई जाएँ। योग के माध्यम से शरीर और मन एक होता है, इससे बच्चों की मानसिक ऊर्जा, एकाग्रता बढ़ती है तथा रक्तसंचार का प्रवाह सुचारू रहता है बच्चों को सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में मदद मिलेगी।

साथियों, आपके विद्यालय में हैडटीचर प्राथमिक कक्षाओं के प्रभारी हैं। आप हैडटीचर का प्रभार किसी भी अध्यापक/व्याख्याता को आवंटित कर सकते हैं। यदि विद्यालय में कोई शिक्षक/व्याख्याता मुख्य संदर्भ व्यक्ति है, तो उसे प्राथमिकता से हैडटीचर बनाया जाए। हैड टीचर को प्राथमिक कक्षाओं में कम से कम एक विषय कालांश का अध्यापन कार्य अवश्य आवंटित करें। हैड टीचर द्वारा योजना बनाकर अध्यापन करवाने, चैकलिस्ट भरने एवं कार्यपत्रक निर्माण आदि कार्य करने से उन्हें पर्याप्त अनुभव मिलेगा और वे अपना दायित्व बखूबी निर्वाह कर पाएँगे। हैड टीचर सप्ताह में कम से कम एक बार प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों से बच्चों की शैक्षिक एवं अन्य प्रगति तथा वर्तमान स्थिति पर चर्चा अवश्य करेंगे। यदि शिक्षक अपने कार्य में कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो यथा संभव विचार-विमर्श द्वारा अथवा संस्थाप्रधान को अवगत करवाते हुए उसके समाधान का प्रयास भी विद्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी संधारित करें।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं भी प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य का सप्ताह में कम से कम तीन विषय कालांश का अवलोकन करेंगे। इससे आपको विद्यालय में कार्यक्रम की वस्तुस्थिति का भी पता चलेगा तथा शिक्षकों को सम्बलन देना आसान होगा।

कक्षा अवलोकन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:-

- कक्षा अवलोकन से पूर्व यह जानना जरूरी है कि आपको किन बिन्दुओं को देखना है। इसके लिए अवलोकन प्रपत्र को भली-भाँति पढ़ लेवें। यह प्रपत्र संस्थाप्रधान हैड बुक में संलग्न है, इसे विभागीय वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
- सम्पूर्ण कालांश के दौरान कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं का अवलोकन करें। शिक्षक को अपनी योजना के अनुरूप कक्षा-कक्षीय कार्य करने देवें। अवलोकन के दौरान प्रपत्र नहीं भरें, न ही शिक्षक से कोई वार्तालाप करें ताकि शिक्षक का ध्यान अपने कार्य पर ही केन्द्रित रहे।
- अवलोकन में यह देखना जरूरी है कि योजना अनुरूप कक्षा में कार्य हो रहा है। योजना का उद्देश्यों से संरेखन (Allignment) है या नहीं।
- शिक्षण के दौरान किस सहायक सामग्री का उपयोग किया गया है। विषय वस्तु के अनुरूप गतिविधियाँ हो रही है या नहीं?
- समूह-2 के बच्चों के पूर्व ज्ञान को टटोल कर योजना का निर्माण एवं तद्नुरूप कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया संचालित है या नहीं, उनके कमजोर पहलुओं को साधने का क्या प्रयास किया जा रहा है।
- सम्पूर्ण कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में शिक्षक को सम्बलन की आवश्यकता कहाँ पर है।
- विषय शिक्षण को कला से जोड़े जाने के प्रयास।
- शिक्षक द्वारा अपने कार्य की समीक्षा एवं यह जानने का प्रयास कि बच्चों ने कितना सीखा।

अवलोकन के उपरान्त कक्षा के बच्चों से भी बातचीत करें, इससे बच्चों को अच्छा महसूस होगा। वे प्रसन्न एवं उत्साहित होंगे, क्योंकि उनके विद्यालय की 'बड़ी, सबसे बड़ी मैडम/बड़े सर' उनसे संवाद कर रहे हैं। ऐसा करने से आप बच्चों की वस्तुस्थिति से अवगत होंगे। शिक्षक की योजना डायरी को अवश्य देखें एवं आवश्यकता अनुरूप निर्देश व सुझाव डायरी में भी अंकित करें।

बच्चों की प्रगति को जानने के लिए पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें मुख्य रूप से आधार रेखा आकलन, चयनित कार्यपत्रक (वर्कशीट), आकलन पत्रक, योगात्मक आकलन के पत्रक होते हैं। इनके निर्माण में विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। प्रश्न ऐसे हों, जिनसे बच्चों की विषयवस्तु की जानकारी, समझ, स्मरण शक्ति, ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग, विश्लेषण एवं सृजनात्मकता को पहचाना जा सके। प्रश्नों के उत्तर वस्तुनिष्ठ हों एवं उनमें व्यापकता का समावेश हो। वर्कशीट एवं योगात्मक आकलन के पत्रक में समूह-2 के बच्चों के लिए भी प्रश्न शामिल होने चाहिए। इनमें मौखिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाए।

पोर्टफोलियो की नियमित जाँच भी आवश्यक है। जाँचकर्त्ता शिक्षक बच्चों द्वारा हल किए गए प्रपत्र को भली-भाँति पढ़कर प्रत्येक गलती/त्रुटि को चिह्नित करें तथा बच्चों को सही से अवगत करवाते हुए सुधार कार्य करवाया जाना अपेक्षित है, जाँचकर्त्ता द्वारा अंकित टिप्पणी में सकारात्मक भाषा में बच्चे की वर्तमान स्थिति तथा आगे किस प्रकार के सुधार कार्य की आवश्यकता है, को भी लिखना है। जाँचकर्त्ता शिक्षक को हस्ताक्षर अंकित करने के साथ तिथि भी अंकित करनी चाहिए।

आत्मीय सुहृदों, आप गत वर्षों में भी मेहनत एवं सकारात्मक भावना से अपने विद्यालय के विकास को नया आयाम देते आए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने सार्थक प्रयास एवं प्रभावशाली नेतृत्व से एक बार फिर अपने विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को सर्वोच्च तरजीह देते हुए सतत एवं व्यापक आकलन विधा के माध्यम से सभी बच्चों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ताकि हर बच्चा अपने कक्षा स्तर तक पहुँच सके। हमारे प्रयास इतने समर्पित एवं गंभीर हों कि भविष्य में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के उन्नयन के लिए किसी नये कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस नहीं हो। इन प्रयासों के उपरान्त जो भी सफलता अथवा अनुभव आप महसूस करते हैं, उन्हें आप शिविरा प्रकाशन के माध्यम से साझा कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ।

एसआईक्यूई. प्रभारी
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
मो: 9414426063

प्रार्थना

चेतना का स्वर

❐ महेश कुमार चतुर्वेदी

इस चराचर जगत में भी प्राणी अपने जीवनयापन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रियाशील रहते है। वे सांसारिक जीवन में मोह माया के वशीभूत हो दैहिक-भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हुए अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। किन्तु आत्मोद्धार हेतु जो व्यक्ति अपना सारा जीवन खपा देते है; ऐसे महान व्यक्ति बिरले ही देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति की शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा की लौ परमपिता परमेश्वर से लगा अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते है। प्रभु प्राप्ति हेतु जीव जप-तप, ध्यान (योग-प्राणायाम), भजन-कीर्तन, पूजा-पाठ, प्रार्थना आदि कई क्रिया-कलापों की ओर प्रवृत्त होता है। उन क्रियाओं में सबसे सहज-सरल क्रिया है-'प्रार्थना'।

आइए प्रार्थना के स्वरूप को पहचानें। प्रार्थना आत्मा की शांति का दूसरा नाम है। प्रार्थना परम पिता परमेश्वर से तारतम्य स्थापित करने का सरल एवं सुगम माध्यम है। प्रार्थना धर्म और जीवन को जोड़ने की कड़ी है। प्रार्थना किसी असीम शक्ति का आकर्षण है तो उसे पाने का द्वार भी है। प्रार्थना आत्मबल बढ़ाने के साथ आत्मोद्धार का मार्ग है। जीवन के भटकाव एवं अंधकार से उबरने के लिए प्रार्थना उजाले का अजस्र स्त्रोत है। प्रार्थना भटकाव से मुक्ति दिलाकर जीवन को सन्मार्ग की ओर अग्रेषित कर सदकार्यों के करने का प्रेरणास्त्रोत है। प्रार्थना विपत्ति और मुसीबत में आशा की किरण है। उसके लिए आवश्यक है प्रार्थना सच्चे मन से की जाएँ।

प्रार्थना आत्मा की खुराक है। प्रार्थना आत्मा का स्पन्दन है। आत्मा की धड़कन है। प्रार्थना मन की मिठास है। प्रार्थना दीन-दुखियों की पुकार है, तो प्रार्थना दुर्बल असहायों का सम्बल है। प्रार्थना कही मस्ती का आलम है तो कही मन का आर्तनाद है। प्रार्थना सत्कर्मों की राह है। सारे रूप में कहे-प्रार्थना सुखों का खजाना है।

प्रार्थना की शक्ति किसी से छिपी नहीं है। प्रार्थना चमत्कारिक शक्तियों से ओत-प्रोत है। वे शक्तियाँ हमें ईश्वर की ओर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर यह सच है तो आइए हम अपने जीवन में प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान दें। जगत् नियता परमपिता परमेश्वर जिसे हम ईश्वर कहते हैं के चरणों में जीवन के अमूल्य क्षण समर्पित करने का नियम बना लें।

ईश्वर के प्रति अगाध आस्था के साथ शुद्ध मन से नियमितता एवं सतत अभ्यास प्रार्थना की पहली प्राथमिकता है। यह भी कहते हैं कि ईश्वर अनेक नामों एवं रूपों में व्याप्त है, उनमें से किसी एक अभीष्ट नाम और विद्यमान स्वरूप को अपना आराध्य देव मानकर सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। उसके सुंदर स्वरूप का ध्यान कर उसके नाम को भजना ही प्रार्थना का एक रूप है। इसलिए एकेश्वरवाद में ईश्वर एक है (भले ही उनके नाम व स्वरूप अनेक हो) को लेकर कहा है-

एकै साधै सब सधे, सब साधे सब जाए।
जो तू सींचे मूल को, फूले-फले अघाय।।

प्रार्थना की दूसरी शर्त है बिना फल की इच्छा किए प्रार्थना करना। इसीलिए गीता में कहा है-

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्।

आज के भौतिक युग में इंसान बहुत दुखी-संतप्त एवं अभावग्रस्त होकर तनाव में जी रहा है। ऐसे में वह ईश्वरीय प्रार्थना की अग्रसर तो होता है किन्तु प्रार्थना से पहले ही वह ईश्वर से कुछ न कुछ माँग अवश्य करता है। इसके लिए कहा गया है कि-प्रार्थना में याचना के स्वर नहीं चेतना के स्वर होने चाहिए। प्रार्थना का सच्चा मर्म यही है कि-निर्लिप्त भाव से निष्काम भक्ति ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। आप तो उसे परम पिता को भजते रहिए। उसे याद करते रहिए। उसकी पूजा, अर्चना, ध्यान सेवा करते रहिए। उसे क्या देना है? कब देना है और कितना देना है? उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए। सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व से परे होकर नास्तिकता की बात करते है; उनके लिए कहा गया है-परमपिता परमेश्वर की सत्ता का विरोध कर अपने अहंकार की पुष्टि मत करो। ईश्वर में विश्वास करों। इसी में सब की भलाई है। भारतीय संस्कृति में यह परम्परा विद्यमान है कि किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर की पूजा अर्चना अथवा प्रार्थना के माध्यम से उन्हें याद करें ताकि हमारा प्रारंभ किया कार्य निर्विघ्न रूप से सफल हो सके। पूर्ण हो सके। इसी अवधारणा को लेकर हमारे विद्यालयों में दैनिक शिक्षण कार्य से पहले प्रार्थना की जाती है, ताकि विद्यार्थियों में आत्मा की शुद्धि के साथ एकाग्रता, दृढ़ता और सद्गुणों का विकास हो सके।

विद्यालय में बालकों को प्रार्थना के महत्त्व को समझा कर उसकी सार्थकता एवं उपयोगिता के महत्त्व पर प्रकाश डालकर उनमें मन से प्रार्थना करने की प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है। भारत देश एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अतः प्रार्थना में सर्वधर्म प्रार्थना को स्थान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बालकों को यह भी बताना चाहिए कि हमारा देश कई धर्मों एवं जातियों वाला देश है। अतः हमें सब धर्मों का आदर करते हुए आपस में भाईचारा और एकता से रहना चाहिए। ऊँच-नीच, अमीरी-गरीबी के भेद को मिटाकर आपस में समता का विकास करना चाहिए। यही प्रार्थना का संदेश है।

विद्यालय में महज खानापूर्ति या नाम मात्र की न होकर सरस, मधुर एवं तन्मयता से की जाने वाली प्रार्थना हो। प्रार्थना जीवत्व हो। साज-आवाज के साथ हो तो कहने ही क्या?

प्रार्थना के ऐसे सुन्दरतम एवं मनोरम वातावरण से बालक आत्म-शुद्धि को प्राप्त करते हैं तथा आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई के अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तथा आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई के अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में सर्वजन हिताय की भावना को लेकर आइए हम भी यह प्रार्थना करें-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुखः भाग्भवेत्।।

से.नि.प्र.अ. (राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत)
देवेन्द्र टॉकीज के पीछे
छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ (राज.)
मो. 9460607990

शौक्षिक चिंतन

अधिगम में पुनर्बलन कितना जरूरी

❒ शिवनारायण शर्मा

कक्षा-कक्ष में शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं विभिन्न विधाओं का शिक्षण में प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह तभी संभव हो पाता है जब विद्यार्थियों का अधिगम प्रभावी बने।

अपने इस प्रयास में शिक्षक प्रोत्साहन, प्रशंसा व पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। इससे उनका मन प्रसन्नता व आनंद से सराबोर होकर उनके द्वारा की गई अनुक्रिया की आवृत्ति करने लगता है। यह आवृत्ति शनैः शनैः सहज क्रिया में बदलकर ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करती है। इससे विद्यार्थियों का अधिगम पुष्ट होता है। प्रोत्साहन से लेकर पुरस्कार की यह प्रक्रिया मनोविज्ञान में 'पुनर्बलन' कहलाती है। पुनर्बलन द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन के सुदृढ़ीकरण को बल मिलता है। पुनर्बलन शैक्षिक के साथ-साथ सहशैक्षिक क्षेत्र में भी अनूठा महत्त्व रखता है।

पुनर्बलन की इस अवधारणा को सर्वप्रथम अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1911 में स्पष्ट किया था। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जिस प्रतिक्रिया से छात्रों को प्रशंसा मिलती है तथा उन्हें संतोष होता हैं वे वैसी ही परिस्थिति पुनः प्रकट होने पर उस क्रिया को पुनः करने लगते है। मसलन एक विद्यार्थी वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान अर्जित करता है जब तालियों की गड़गड़ाहट से प्रसन्नता जाहिर कर उसे पुरस्कार से नवाज़ा जाता है तब इस सकारात्मक पुनर्बलन से प्रभावित होकर वह विद्यार्थी जिला तथा राज्य स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता है।

इसके विपरीत यदि कोई छात्र प्रथम बार किसी संगीत प्रतियोगिता में भाग लेता है तथा उसका संगीत सुनकर कोई यह टिप्पणी करे कि 'अरे तुम्हारा कंठ तो फटे बाँस की तरह है', इस टिप्पणी से वह छात्र नकारात्मक पुनर्बलन का शिकार हो जाता है तथा भविष्य में संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने से कतराने लगता है।

विद्यार्थियों को कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने पर शाबास, Very Good, Nice आदि कहकर जो प्रोत्साहन दिया जाता हैं वह पुनर्बलन कहलाता है। हलसी, डीसी एवं एगिथ ने अपनी पुस्तक 'The Psychology of Learning' में पुनर्बलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'पुनर्बलन एक उत्तेजनापूर्ण घटना है जो किसी क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया के रूप में की जाए, वह प्रतिक्रिया उस क्रिया की आवृत्ति की इच्छा को प्रबल करती है। पुनर्बलन तत्काल दिया जाना आवश्यक है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के बहुत देर बाद दिया जाने वाला पुनर्बलन कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता है।

मनोवैज्ञानिक ट्रेवर्स ने इस सम्बन्ध में एक प्रयोग किया। उसने विद्यार्थियों को जर्मन शब्दों के अंग्रेजी में तत्सम शब्द बनाना सीखने के लिए उनके तीन समूह बनाए। प्रथम समूह द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर उसने तत्काल पुनर्बलन दिया, दूसरे समूह को थोड़ी देर बाद तथा तीसरे समूह को पुनर्बलन नहीं दिया गया। परिणाम में पाया गया कि प्रथम समूह का अधिगम स्तर सर्वश्रेष्ठ पाया गया तथा तीसरे समूह का अधिगम स्तर निम्नतम रहा। अतः स्पष्ट है कि तत्काल दिए जाने वाले पुनर्बलन का बड़ा महत्व है। हल के अनुसार पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है।

पुनर्बलन का संप्रत्यय स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का केन्द्र बिन्दु है। जो शिक्षक पुनर्बलन कौशल में सिद्धहस्त होते हैं उनके विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि में वृद्धि होती है, अधिगम प्रक्रिया में गतिशीलता आती है, विद्यार्थियों की अनुक्रिया सहज होने लगती है तथा उनके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।

विद्यार्थियों में पुनर्बलन को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है। मसलन भौतिकशास्त्र की प्रयोगशाला में ओम के नियम के सत्यापन के दौरान कोई छात्र परिपथ में लगे विभवमापी से विभव (V) तथा धारामापी से विद्युतधारा (I) की रीडिंग लेकर V तथा I के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में दर्शाता है तब शिक्षक उसकी प्रशंसा में Very Good, Excellent कहता है, तो वह छात्र प्रोत्साहित होकर बार-बार प्रयोग की पुनरावृत्ति कर अपने परिणाम की पुष्टि करता है। इससे छात्र में प्रायोगिक कौशल की पृष्ठभूमि तैयार होती है तथा ओम का नियम R=V/I उसके ज्ञान का स्थायी अंग बन जाता है। पुनर्बलन द्वारा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा उनका अधिगम परिपक्व व पुष्ट बनता है। अपने शिक्षक से पुनर्बलन पाने पर विद्यार्थी पाठ के विकास में रुचि दिखाते हैं, उनके अवांछनीय व्यवहार पर भी रोक लगती है तथा शिक्षण के एक उचित वातावरण का निर्माण होता है।

अध्यापक पुनर्बलन कौशल का प्रयोग मूल्यांकन के स्तर पर भी कर सकते हैं। पुनर्बलन सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। उक्त दोनों पुनर्बलन शाब्दिक व अशाब्दिक हो सकते हैं। पुनर्बलन के कई अन्य भेद भी होते हैं, जैसे- छात्र द्वारा बताए गए आधे-अधूरे उत्तर को शिक्षक द्वारा उसे संदर्भ या प्रसंग याद दिलाकर पूरा करवाया जा सकता है। इसे 'सहायतार्थ पुनर्बलन' कहते हैं।

विद्यार्थी की उच्च उपलब्धि हेतु मसलन वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में विजेता रहने आदि अवसरों पर उसे प्रशंसा - पत्र, पारितोषिक तथा स्मृति - चिह्न देकर नवाज़ा जाना चाहिए। यह 'लम्बी प्रक्रिया का ठोस पुनर्बलन' कहलाता है।

मेधावी तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर उनका व्यक्तिगत पुनर्बलन भी शिक्षकों को करना चाहिए। प्रायोगिक कार्य के दौरान छात्र के समीप जाकर उनके सफल क्रिया-कलापों की प्रशंसा करना 'सामीप्य पुनर्बलन' है।

परन्तु शिक्षण में पुनर्बलन के अति उपयोग से भी शिक्षक को बचना चाहिए अन्यथा छात्र उन्हें शिक्षक का तकिया कलाम समझ कर उसका उपहास उड़ाने लगते हैं।

फिर भी कुछ विशेष सावधानियों के साथ उपयुक्त अवसर पर शिक्षक पुनर्बलन कौशल का उपयोग अपने शिक्षण में करता है तो इससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्द्धन होता है, उनकी अधिगम की गति में वृद्धि होती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, छात्र-शिक्षक सम्बन्ध मधुर बनते हैं तथा सृजनात्मकता एवं रचनात्मक गतिविधियों के लिए एक उर्वर पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी
गिलूण्ड, राजसमंद-313207
मो. 9610706740

वन महोत्सव

वृक्षारोपण का अभिनव पर्व

❐ संदीप कुमार छलानी

वृक्ष और वनों का मानव सभ्यता से चिर-पुरातन सम्बन्ध रहा है। फिर भारतीय संस्कृति तो पुष्पित और पल्लवित ही अरण्यों में हुई है। अरण्य न केवल हमारे युगद्रष्टा पूर्वज ऋषि-मुनियों के निवास स्थल थे बल्कि विद्या अध्ययन के केंद्र तथा अन्वेषण एवं शोध की प्रयोगशाला भी थे।

वृक्षों का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है:-

रविश्चंद्रो द्या वृक्षा नद्यौगावाश्च सज्जना:
ऐते परोपकाराय युगे देवैन निर्मिता: ।

अर्थात् वृक्ष को सूर्य, चंद्रमा, नदी एवं सज्जन पुरुषों के समकक्ष परोपकारी बताया है। इतना ही नहीं वृक्षों में देवत्व की प्रतिष्ठा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणं अर्थात वृक्षों में, मैं पीपल हूँ। वृक्षों के अप्रतिम महत्त्व के पीछे केवल आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की भावना ही नहीं है बल्कि इनका बहुमूल्य जीवनोपयोगी आधार है।

वृक्ष जीवन के आधार:- एक मानव बिना भोजन के कई दिनों तक तथा बिना जल के कई घण्टों तक जीवित रह सकता है, किन्तु बिना प्राणवायु के तो कुछ क्षण जीवित रहने की भी सम्भावना नहीं है। एक स्वस्थ युवा व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 550 लीटर प्राणवायु ऑक्सीजन का उपभोग करता है जिसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभाव में असंभव है। विश्व भर की जीवनदायिनी नदियाँ एवं जलधाराओं का उद्गम स्थल भी वन-क्षेत्र ही हैं। ये वृक्ष ही हैं, जो हिमानी की पिघली बर्फ और पर्वतीय क्षेत्र की तीव्र ढालों से बहते वर्षा जल के वेग को शिव की जटाओं के सदृश्य थामकर, उनको विशाल नदियों का स्वरूप प्रदान करते हैं। भूगोलशास्त्र के अनुसार जब जल- वाष्प, बादल बनकर आसमान में मंडराते हैं, तो उस समय वृक्षों से निकली शीतल वायु से क्रिया कर संघनित होने से ही वे वर्षा करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष जल वृष्टि एवं अप्रत्यक्ष रूप से नदियों को जल पहुँचाने में वृक्षों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है ही, साथ ही भूमिगत जलस्तर बनाए रखने में वृक्ष ही सक्षम है।

वृक्षों का आर्थिक महत्त्व:- वर्ष 1954-55 में भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 22% था, जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 21.23% है तथा संरक्षित वन क्षेत्र (अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान) देश के कुल क्षेत्रफल का 4.8% क्षेत्र पर विस्तृत है। लगभग 7 करोड़ लोग जीवनयापन के लिए सीधे-सीधे वनों पर निर्भर हैं। योजना आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 में भारत में 2.3 करोड़ घन मीटर इमारती लकड़ी एवं 3.06 करोड़ घन मीटर ईंधन-लकड़ी का उत्पादन वनों से प्राप्त हुआ। इसके आलावा वनों से अनेकानेक पुष्प, फल, कंदमूल, घास, औषधीय पादपों एवं शहद, लाख, गोंद, मसाले, मोम, वसा, आदि पदार्थों तथा कागज, दियासलाई, चमड़ा उद्योग आदि के लिए प्राप्त होने वाले कच्चे माल को जोड़ दिया जाए तो इनसे प्राप्त आर्थिक लाभ का सहज आकलन भी मुश्किल है।

वृक्षों का पारिस्थितिकी एवं कृषि पर प्रभाव:- वन अस्सी प्रतिशत से अधिक स्थलीय जीव प्रजातियों का घर हैं, साथ ही वनों से उद्गम होने वाली तथा वनों से गुजरने वाली नदियाँ जलीय जीवों एवं पक्षियों की शरण-स्थली है। अत: पारिस्थितिकीय रूप से वन अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। भारत की अधिसंख्य जनता (लगभग 52%) जो कि रोजगार एवं जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है। चूँकि भारतीय कृषि मुख्यत: मानसून पर निर्भर है, अत: कृषि भी अप्रत्यक्ष रूप से वनों से ही प्रभावित होती है। अकाल एवं मरुस्थलीकरण के कारण प्रति वर्ष 120 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हम खो देते हैं। जबकि यही वृक्ष यदि खेतों की मेड पर लगाये जाएँ तो तीव्र वायु या जल-प्रवाह के समय ये रक्षा-पट्टिका का कार्य करते हैं। खेत के मध्य फलदार पेड़ लगाकर किसान अपनी आमदनी का स्थाई जरिया बना सकता है, जिससे सूखे की स्थिति में भी उसके परिवार एवं पशुधन का पालन-पोषण हो सके।

संभवत: वृक्षों के इन्ही उत्तम लाभों को पहिचान कर हमारे पूर्वजों ने वृक्षारोपण एवं वृक्ष पालन को हमारी परम्पराओं में गूंथ दिया था।

वृक्षों, पर्यावरण एवं मानवीय सभ्यता का पौराणिक सम्बन्ध :- वैदिक काल से ही हमारे ऋषि-मुनियों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का उत्कट भाव एवं चिंतन परिलक्षित होता है। यजुर्वेद के शांति-पाठ में अदृश्य आकाश, पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पति के शांत अर्थात् संतुलित रहने की कामना की गई है। अथर्वण ऋषि ने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में प्रार्थना की है कि मैं भूमि के जिस भाग पर खनन करूँ, वहाँ शीघ्र ही हरियाली छा जाए। पशु एवं वनस्पति जगत के प्रति मनुष्य साहचर्य की भावना रखे, यही कामना अथर्ववेद में की गई है। रामायणकाल में, दंडक वन में गोदावरी नदी के तट पर माता सीता के निवास पंचवटी के मनोरम दृश्य का वर्णन रामायण के अलावा, भवभूति की उत्तर रामचरित, तुलसीदासकृत रामचरितमानस और कालिदासकृत रघुवंश में भी मिलता है। महाभारत काल में चाहे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा गोपालन हो अथवा पांडवों का वनवास, भारत का प्राचीन साहित्य वृक्ष और वन के बिना अधूरा है। उत्तरवर्ती साहित्य में कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम् में कण्व ऋषि के आश्रम में पली शकुंतला तो अपने चारों ओर के परिवेश से इतनी एकात्म और तदाकार हो गई थी कि उसकी विदाई के समय तो पशु-पक्षी ही नहीं वनस्पति जगत भी उदास हो गया था। भारतीय साहित्य के अलावा दर्शन में भी वृक्षों एवं प्रकृति के प्रति पर्याप्त चिंतन मिलता है। संख्या दर्शन में प्रकृति और पुरुष के समवाय से सृष्टि की उत्पति का सिद्धांत हो अथवा वैशेषिक में पञ्च महाभूतों का प्रतिपादन, सभी में वृक्षों का अन्तर्निहित महत्त्व स्वत: स्पष्ट है। जैन दर्शन में भी सभी जीवों के प्रति अहिंसा का सूत्र एक-इन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों एवं वनस्पति जगत के प्रति भी सदाशयता को समाहित करता है। विश्व में पर्यावरण के प्रति इतना सूक्ष्म चिंतन अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसके अलावा पारसी समुदाय द्वारा मृत्यूपरांत शव को पक्षियों के हवाले करना जीवों के प्रति हमारी सद्भावना का दुर्लभतम उदहारण है। पर्यावरण प्रेमी जम्भ गुरु का आह्वान 'सर साठे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण' एवं विश्नोई समाज द्वारा वृक्षों एवं वन्य जीवों के

प्रति प्रेम एवं बलिदान की गाथाएँ आधुनिक युग में हमारी प्राचीन परम्पराओं का नया अध्याय है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अभयारण्यों को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया गया था। राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की परम्परा का आरंभ सम्राट अशोक ने किया जो मुग़ल काल तक अनवरत चलती रही। स्थान-स्थान पर नवीन उदय लगाकर देश की श्री और सुषमा में उन्होंने वृद्धि की। कश्मीर के शालीमार एवं निशात बाग़ आज भी इसके साक्षी हैं। वनों का ह्रास तथा संरक्षण की आवश्यकता: विगत दो शताब्दियों में वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की परम्परा क्षीण हुई है, बल्कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय वनों का जो अनियंत्रित दोहन किया उसके दुष्परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं और अगर समय रहते नहीं चेते तो न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियाँ भोगने के लिए मजबूर होंगी। ब्रिटिश शासन ने भारत के वनों को इमारती लकड़ी एवं औद्योगीकरण के दौर में ईंधन के लिए जमकर काटा। सैकड़ों-हजारों हेक्टेयर में विस्तृत विविध देशी वनस्पतियों को साफ़ कर वहाँ केवल इमारती एवं व्यापारिक रूप से लाभदायक लकड़ी वाले वृक्षों के एकल उत्पादन (Monoculture) को प्रायोजित किया, जिससे भारतीय वन-संपदा एवं वन-भूमि की उर्वरक क्षमता एवं उत्पादकता को उसी प्रकार से हानि हुई जिस प्रकार से कृषि-क्षेत्र में परम्परागत मिश्रित कृषि को त्याग कर एकल फ़सल उत्पादन को बढ़ावा देने से हुई। इसके अतिरिक्त इन लकड़ी-उत्पादक वृक्षों के वानिकी उत्पादन के कारण परम्परागत चारागाह एवं वन्य जीवों के संवर्धन के लिए आवश्यक वनस्पति प्रजातियों को या तो पूर्णत: नष्ट कर दिया अथवा विलुप्ति के कगार पर पहुँचा दिया। चारागाह नष्ट होने एवं वन्यजीवों की खाद्य एवं शरणस्थली वनस्पति के नष्ट होने के कारण शाकाहारी वन्यजीवों को पर्याप्त भोजन का अभाव होने लगा। शाकाहारी जीवों की संख्या घटने के कारण उन पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीवों जैसे बाघ, सिंह, चीता, तेंदुआ, जंगली भेड़ियों आदि की संख्या या तो अत्यधिक कम हो गई अथवा वे विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए। इस प्रकार जैव-विविधता को अपने देवताओं के वाहनों, उनके अवतारों के रूप में अपनी श्रद्धा के केंद्र के रूप में देखने और संरक्षित करने वाला देश आज अपनी अमूल्य धरोहर को विलुप्त होने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

वन संरक्षण एवं वन महोत्सव:- वन एवं वृक्षों के इसी महत्त्व को समझते हुए तत्कालीन कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने सन् 1950 में, वृक्षारोपण के आन्दोलन का रूप देने के लिए वन महोत्सव मनाने की शुरुआत की। जो प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यही देश भर में मानसून का समय भी रहता है। जिससे इस अवधि में रोपित वृक्षों के स्थापित होने एवं संवर्धन की संभावना प्रबल हो जाती है। वन महोत्सव के दौरान वन विभाग, शिक्षण संस्थानों, विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाता है। नागरिकों को वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्तमान में राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' में वृक्षारोपण एक अभिन्न कार्य के रूप में शामिल है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को कम से कम एक वृक्ष लगाने एवं उसके संवर्धन के संकल्प के साथ वन महोत्सव को सफल बनाकर वन एवं पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए।

सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर
मो: 9784794786

इस मास का गीत

लक्ष्य तक पहुँचे बिना...

लक्ष्य तक पहुँचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा।
लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं,
किन्तु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं,
जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा।।
लक्ष्य तक...।।

धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता
देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेध करता
लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा।।
लक्ष्य तक...।।

बस वही है पथिक जो पथ पर निरन्तर अग्रसर हो,
हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो।
हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा।।
लक्ष्य तक...।।

बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचतीं,
कालिमा का नाश करतीं, ज्योति जगमग जगत धरती
ज्योति के हम पुँज फिर हमको अमा से भीति कैसा।।
लक्ष्य तक...।।

आज तो अति ही निकट है देख लो वह लक्ष्य अपना,
पग बढ़ाते ही चलो बस शीघ्र होगा सत्य सपना।
धर्म पथ के पथिक को फिर देव दक्षिण वाम कैसा।।
लक्ष्य तक...।।

संकलन : **मुरलीधर सोलंकी** शा.शि.,
जवाहर स्कूल के पास, भीनासर,
बीकानेर (राज.)
मो. 9414012038

आदेश-परिपत्र : जुलाई, 2017

● 1. विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अकुंश लगाने हेतु दिशा–निर्देश। ● 2. आरटीई. के सम्बन्ध में आरटीई एक्ट, 2009 राज्य नियम 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य। ● 3. शनिवारीय बाल सभा कार्यक्रम के अन्तर्गत दादी–नानी को आमंत्रित कर प्रेरक एवं मनोरंजक पारम्परिक कहानियों का वाचन करवाए जाने बाबत। ● 4. आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने सम्बन्धी आदेश। ● 5. अखिल भारतीय सेवाएँ (राजस्थान) पेंशनर्स समिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पेंशनर्स के मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वर्ष 2017 हेतु। ● 6. आरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in पर प्रा./उ.प्रा. गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों द्वारा कार्य करने में आ रही तकनीकी/सामान्य समस्याओं का निस्तारण करने बाबत। ● 7. राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की दिनांक 09.12.16 से प्रभावी अधिसूचना। ● 8. विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के आधार नम्बर अनिवार्य किए जाने के संबंध में। ● 9. विद्यालय को प्राप्त सहायता राशि/क्राउड फण्डिंग के प्रबन्धन में SDMC./SMC. की भूमिका के सम्बन्ध में। ● 10. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) छात्रवृत्ति भुगतान बाबत। ● 11. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में नियम 6 डी के परन्तुक (iii) में वर्णित 'पंचायत समितियों में कम से कम पाँच (5) वर्ष की सेवा की हो' के स्थान पर 'पंचायत समितियों में कम से कम तीन (3) वर्ष की सेवा की हो' किए जाने हेतु नियम संशोधन बाबत। ● 12. 'सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार' योजनान्तर्गत वर्ष–2014 एवं 2015 हेतु सूची। ● 13. हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाइड्स संगठन की राज्य कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु। ● 14. विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक मूल भूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में। ● 15. विद्यालयों/कार्यालयों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश। ● 16. अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान बाबत संशोधन। 17. विद्यालय प्रसारण।

1. विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अकुंश लगाने हेतु दिशा–निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/बाल संरक्षण/2016/ दिनांक : 18–05–2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय ● विषयः विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अकुंश लगाने हेतु दिशा–निर्देश। ● संदर्भः उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक : प.24(4) शिक्षा–6/2014 जयपुर, दिनांक : 20.07.2016

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश हेतु कार्ययोजना के प्रारूप निर्माण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक : 20.04.2017 को कार्यालय हाजा स्थित उप निदेशक (माध्यमिक) के कक्ष में प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा फील्ड में सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाप्रधानों, शिक्षकों, कार्मिकों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी कराने का निर्णय लिया गया।

विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षित, संरक्षित एवं सर्वांगीण विकासोन्मुख वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है, लेकिन लैंगिक असमानता एवं अवांछित छेड़छाड़ की घटनाएँ इसे चुनौतीपूर्ण रूप से बाधित करती रहती है। अतः समसामयिक परिस्थितियों में संस्थाप्रधानों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, विद्यालय के अन्य कार्मिकों तथा अभिभावकों में जागरूकता अभिवृद्धि एवं पारस्परिक समन्वय की तीव्र आवश्यकता है।

वर्तमान में राज्य में विभिन्न कक्षाओं में विद्यालयी पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण विषयवस्तु में सामाजिक, लैंगिक और अन्य विभेदकारी तत्वों को हतोत्साहित करते हुए सकारात्मक विषयवस्तु का समावेश किया गया है। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता को भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया है।

उपर्युक्त समस्त प्रावधानों एवं प्रयासों की विद्यालयों में व्यावहारिक तथा प्रभावी स्वरूप में क्रियान्विति हेतु विभिन्न स्तरों पर अग्रांकित विवरणानुसार तत्काल कार्यवाही सम्पादित की जानी अपेक्षित हैः–

1. विद्यालय के समस्त कार्यरत कार्मिकों, शिक्षकों, SDMC. व SMC. के सदस्यों को 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012' की कतिपय धाराओं यथा धारा–19 (i) एवं 21 में विहित प्रावधान, जो समस्त कार्मिकों को दायित्वबद्ध करते हैं कि बाल/यौन प्रताड़ना से सम्बन्धित घटनाओं पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए, की अवगति प्रदान करवाते हुए प्रत्येक स्तर पर इसकी सख्ती से पालना हेतु पाबन्द किया जाए।
2. उत्पीड़न एवं प्रताड़ना के शिकार बालक–बालिकाओं के साथ घटने वाली घटना के सम्बन्ध में तत्काल सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से रिपोर्ट फाइल की जाए।
3. विद्यालय स्तर पर इस हेतु समस्त कार्मिकों एवं SDMC. व SMC. के सदस्यों व विद्यार्थियों का आमुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता व समानता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
4. विद्यालय में उत्तरदायी भूमिका में निबद्ध कार्मिकों द्वारा इस तरह के अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर सम्बन्धित पक्ष/व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए।
5. विद्यालय के कक्षा–कक्षों में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएँ। यथा–कक्ष में शिक्षक व्यवहार करते समय परम्परागत सोच से इतर एक समानता का समावेशी वातावरण निर्मित करें।
6. विज्ञ शिक्षकों द्वारा किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में बालक–बालिकाओं का अभिमुखीकरण किया जाए। विद्यालय में इस हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
7. विद्यार्थियों के मध्य समानता एवं पारस्परिक सौहार्द्र का वातावरण विकसित करने हेतु विभिन्न प्रेरक गतिविधियाँ व प्रतियोगिताएँ

आयोजित की जाए।

8. किशोर बालिकाओं के मध्य स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने एवं उन्हें उक्तानुरूप सुरक्षा सुनिश्चित करवाये जाने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यकलाप व गतिविधियाँ आयोजित की जाए।
9. आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को किशोरावस्था की संवेगात्मक चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। वार्डन एवं अन्य स्टाफ विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनकी पारिवारिक माहौल में देखभाल करें। यदि आवासीय विद्यालयों में बालिकाएँ भी आवासित हैं, तो महिला स्टाफ को ही वरीयता के आधार पर वहाँ नियोजित किया जाए।
10. विद्यालय स्तर पर उपर्युक्त समस्याओं से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निस्तारण/स्पष्टीकरण हेतु संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक), एक पुरुष शिक्षक एवं एक महिला शिक्षक, एक छात्र, एक छात्रा तथा एक गैर शैक्षणिक कार्मिक की समिति का गठन किया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि इस समिति के समस्त सदस्य लैंगिक संवेदनशील व समानता के पक्षधर हों।
11. विद्यालय में विधिवत रूप से शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसके सम्बन्ध में समस्त विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से अवगति प्रदान की जाए। इस पेटिका को उपर्युक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से खोला जाए तथा प्राप्त शिकायतों का पंजीयन इस हेतु संधारित अभिलेख पंजिका में किया जाए। इस प्रकार प्राप्त समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
12. यदि सम्भव हो तो विद्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार चिह्नित स्थानों पर लिखित चेतावनी सहित CCTV कैमरे लगाए जाएँ।
13. सभी शिक्षक कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर सूक्ष्म निरीक्षण की वृत्ति अपनाएँ। यदि किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन में आकस्मिक गिरावट, अरुचि अथवा अवसाद के लक्षण नजर आएँ, तो उस स्थिति में पूर्ण सावधानी एवं संवेदनशीलता बरतते हुए उचित निर्देशन एवं परामर्श देकर पुनः मुख्य धारा में लाने के सभी सम्भव प्रयास किए जाएँ। गम्भीर प्रयास के पश्चात् भी सुधार/उपचार के लक्षण नजर नहीं आने पर आवश्यकतानुसार मनोचिकित्सक की सेवाएँ प्राप्त की जाए। यदि विद्यार्थी के उपर्युक्त लक्षणों की पृष्ठभूमि में कोई उत्पीड़न/प्रताड़ना की घटना प्रकाश में आए, तो त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
14. विद्यालय के सूचनापट्ट तथा सुदृश्य स्थानों पर Child Help Line से सम्बन्धित दूरभाषः 1098 का स्पष्ट अंकन किया जाए तथा इस बारे में समस्त विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए।

अतः समस्त उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, संस्थाप्रधान, शिक्षकगण एवं अन्य विद्यालयी स्टाफ से यह अपेक्षा की जाती है कि लैंगिक समानता के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें एवं विद्यालयों में पूर्णतः भयमुक्त एवं विभेदमुक्त वातावरण के निर्माण में अपना भरसक योगदान प्रदान करें।

● **(नथमल डिडेल)** आइ.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

2. आरटीई. के सम्बन्ध में आरटीई. एक्ट, 2009 राज्य नियम 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य।

● कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत राज्य में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं ऐसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालय (जिनमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित है) में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों की 25 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया, भौतिक सत्यापन कार्य एवं गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि के भुगतान कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने एवं कार्य को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु NIC केन्द्र जयपुर के सहयोग से 29 जुलाई 2013 से आरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in पर गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ./जिशिअ. प्राशि./माशि. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से कार्य किया जा रहा है।

आरटीई पोर्टल पर Flow Base (चरणबद्ध रूप से) आधार पर कार्य किया जाता है। अर्थात् पोर्टल पर एक चरण (Step) का कार्य पूर्ण होने के बाद ही अगले चरण (Step) का कार्य किया जा सकता है। आरटीई वेब पोर्टल पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ./जिशिअ. प्राशि./ माशि.(प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से (Step By Step) राज्य सरकार/प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर ही निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशकार्य/भौतिक सत्यापन कार्य/पुनर्भरण कार्य समय पर संपादित किया जा सकता है तथा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित समस्त बालकों के संबंध में पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ./जिशिअ.(प्राशि./माशि.)/उपनिदेशक (प्राशि./माशि.) के कार्यालयों को नियमित रूप से आरटीई. पोर्टल पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा निर्धारित टाइम फ्रेम एवं समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करने एवं प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था करना आवश्यक है।

आरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in के होम पेज पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ, प्रवेश, भौतिक सत्यापन एवं पुनर्भरण के संबंध में जारी आदेश/दिशा-निर्देश तथा प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश आरटीई.

पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। अतः समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय तथा समस्त बीईईओ./जिशिअ. प्रा. शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/उपनिदेशक प्रा./मा. शिक्षा कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त समस्त की हार्ड कॉपी आरटीई. पोर्टल से डाउनलोड करके पत्रावली में संधारित कर लेवें जिससे कार्य नियमानुसार सही व समय पर संपादित किया जा सके।

राज्य सरकार ने पत्रांकः-प 9 (1)/शि-5/10 पार्ट/दिनांक 24.09.2013 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेट अप में आरटीई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनुभूत की जाने वाली कठिनाइयों के समाधान करने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर, समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों में आरटीई प्रकोष्ठ का गठन करने तथा प्रभारी अधिकारी घोषित करने के आदेश जारी किए हैं जिसकी पालना में माध्यमिक शिक्षा सेट अप के उक्त समस्त कार्यालयों द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। अतः माध्यमिक शिक्षा सेट अप के विद्यालयों एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा आरटीई. अधिनियम के क्रियान्वयन एवं आरटीई. पोर्टल पर कार्य करने में अनुभूत की जाने वाली समस्याओं के समाधान हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिशिअ. माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों से पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के आरटीई. अनुभाग द्वारा आरटीई. पोर्टल पर प्रदर्शित विभिन्न रिपोर्टर्स को डाउनलोड कर समीक्षा की जाती है। समीक्षा उपरान्त पाया गया कि कुछ प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालयों एवं सम्बन्धित बीईईओ./जि.शि.अ. प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने अथवा धीमी गति से कार्य करने की स्थितियाँ प्रकट हो रही हैं, जिसके कारण गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित समस्त बालकों की प्रथम/द्वितीय किश्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होता है अथवा विद्यालय पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित रह जाते हैं। विभिन्न गैर सरकारी विद्यालयों/जिशिअ. प्राशि./माशि. (प्रथम/द्वितीय)/बीईईओ. कार्यालयों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर टाइम फ्रेम के अनुसार समय पर कार्य संपादित नहीं करने/गैर सरकारी विद्यालयों की स्वयं की लापरवाही/विभिन्न कार्यालयों की शिथिलता के कारण पुनर्भरण राशि की प्रथम/द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं होने पर अनावश्यक रूप से प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को परिवेदनाएँ प्रेषित करना/पत्र व्यवहार किया जाता है। ऐसी परिवेदनाओं/पत्रों पर निदेशालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही/समाधान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को मानसिक/शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है अथवा फीस की माँग की जाती है अथवा विद्यालय से निष्कासन का प्रयास किया जाता है जिससे आरटीई. एक्ट 2009 की धारा 16 व 17 का उल्लंघन होता है। जबकि निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों/अभिभावकों का कोई दोष नहीं होता। अतः इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र क्रमांक : शिविरा/आरटीई./बी/सॉफ्टवेयर/ 18891/15-16/619 दिनांक 29.06.2016 के अतिक्रमण में निर्देशित किया जाता है कि-

A प्रा./उप्रा. एवं ऐसे मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय (जिनमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित है) द्वारा आरटीई. पोर्टल पर करणीय कार्य एवं दायित्व।

1. यदि किसी गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालय के लिए क्रमोन्नति आदेश जारी किए जाते हैं तो संबंधित उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालय का दायित्व होगा कि वह तत्काल माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति आदेश संलग्न करते हुए विद्यालय के स्तर में परिवर्तन करने बाबत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिशिअ. प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जिशिअ. माध्यमिक शिक्षा से पुष्टि करने के बाद जिशिअ. प्रारंभिक शिक्षा के लॉगइन से संबंधित विद्यालय को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में नाम परिवर्तन करेगा, जिससे वह विद्यालय माध्यमिक शिक्षा सेटअप में दिखाई देने लगेगा। इस संबंध में विद्यालय जिशिअ. माध्यमिक शिक्षा को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचित करेगा। आरटीई. से संबंधित आगामी समस्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा संपादित की जाएगी। यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नति के पश्चात तत्काल उपर्युक्तानुसार प्रार्थना पत्र संबंधित जिशिअ. प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण भौतिक सत्यापन कार्य अथवा भुगतान कार्य में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने/पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं होने पर विद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय का शाला भवन परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन (हिन्दी/अंग्रेजी)/विद्यालय का नाम परिवर्तन करने/क्रमोन्नति के आदेश विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं अथवा विद्यालय के ब्लॉक में परिवर्तन/वार्ड संख्या में परिवर्तन/विद्यालय द्वारा बैंक खाता संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में ही स्कूल प्रोफाइल में आरटीई. पोर्टल पर नियमानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
3. राज्य सरकार/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर/प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा समय-समय पर जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समयावधि में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य पूर्ण करना/स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना/एन्ट्री लेवल कक्षा में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित 25 प्रतिशत बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की सही सूचना आरटीई. पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना।
4. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित 25 प्रतिशत बालकों का भौतिक

सत्यापन होने पर उसी दिन भौतिक सत्यापन दल से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी 03 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सही-सही अपलोड कर लॉक करना।

5. सम्बन्धित बीईईओ./जिशिअ. प्राशि./माशि. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई. पोर्टल पर ऑनलाइन मिलान करने पर लगाए गए आक्षेप की 03 दिवस में नियमानुसार ऑनलाइन पूर्तिकर अनिवार्य रूप से पुनः लॉक करना।
6. संबंधित बीईईओ./जिशिअ. प्राशि./माशि. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई. पोर्टल पर ऑनलाइन मिलान करने पर सही पाए जाने पर Verified करने के 03 दिवस में प्रथम किश्त के भुगतान हेतु क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की हार्ड कॉपी पोर्टल से डाउनलोड कर (अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित बीईईओ./ जिशिअ. प्राशि./माशि. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय को राज्य सरकार/ विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करना तथा उसी दिन आरटीई. वेब पोर्टल पर इसका इन्द्राज करना।
7. शैक्षिक सत्र में द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की हार्ड कॉपी पोर्टल से डाउनलोड कर (अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित बीईईओ./जिशिअ. प्रा.शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय को राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करना तथा उसी दिन आरटीई. वेब पोर्टल पर इसका इन्द्राज करना।
8. आरटीई. एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को प्रवेश के समय पाठ्य-पुस्तकें तथा पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना।
9. गैर सरकारी विद्यालय द्वारा आरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in/ rajpsp.nic.in से नियमित रूप से आदेश/निर्देश डाउनलोड कर अद्यतन जानकारी प्राप्त करना।
10. आरटीई. एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के संबंध में आवश्यक समस्त अभिलेख/दस्तावेज (प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, क्लेम बिल आदि की प्रति) विद्यालय में सुरक्षित रखना।
11. यदि किसी भी प्राथमिक/उप्रा./माध्यमिक/उमा. गैर सरकारी विद्यालय की स्वयं की लापरवाही/शिथिलता के कारण आरटीई. पोर्टल पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में कार्य संपादित नहीं करने की स्थिति में (आरटीई. पोर्टल बंद हो जाने पर) कोई भी गैर सरकारी विद्यालय पुनर्भरण की प्रथम/द्वितीय किश्त के भुगतान से वंचित रहता है तो संबंधित विद्यालय इसके लिए उत्तरदायी होगा तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों से किसी भी प्रकार का शुल्क प्राप्त नहीं कर सकेगा और बालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने अथवा शाला से निष्कासन की कार्यवाही नहीं कर सकेगा। यदि विद्यालय द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो आरटीई. एक्ट 2009 की धारा 16 व 17 का उल्लंघन होगा। संबंधित गैर सरकारी विद्यालय उन बालकों की निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का उत्तरदायी होगा।

B बीईईओ./जिशिअ. प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा आरटीई. पोर्टल पर करणीय कार्य एवं दायित्व-

1. राज्य सरकार/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर/निदेशालय स्तर से समय-समय पर जारी टाइम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कार्यालय में कार्यरत एपीसी. आरटीई./आरटीई. प्रभारी अधिकारी की देखरेख में आरटीई. सेल का गठन कर नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए समय पर कार्यों को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार प्रा./उप्रा. गैर सरकारी विद्यालयों का संबंधित बीईईओ./जिशिअ. प्रा. शिक्षा तथा माध्यमिक/उ.मा. गैर सरकारी विद्यालयों का संबंधित जिशिअ. मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) द्वारा निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन करवाने हेतु आवश्यकतानुसार सत्यापन दलों का गठन करना, भौतिक सत्यापन दलों का प्रशिक्षण करवाना, ब्लॉक/जिले में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त ऐसे समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय जिनमें 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं पूर्व शैक्षिक सत्रों के क्रमोन्नत समस्त बालकों का भौतिक सत्यापन निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार पूर्ण करवाना।
3. भौतिक सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय स्तर पर अनुभवी कार्मिक/अधिकारी से जाँच करवाकर समस्त बिन्दुओं की पूर्ति एवं पुनर्भरण की स्पष्ट अनुशंसा सहित (कोई कॉलम खाली न हो) सत्यापन करने की तिथि से 03 दिवस में भौतिक सत्यापन दल के अध्यक्ष से संबंधित कार्यालय में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना।
4. ब्लॉक/जिले में भौतिक सत्यापन करवाए गए प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त होने की संख्या आरटीई. पोर्टल पर संबंधित कार्यालय द्वारा नियमित रूप से अपलोड करना।
5. ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालय जिनका भौतिक सत्यापन करवा दिया है, उन समस्त विद्यालयों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट करने के 03 दिवस में आरटीई. पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करवाना तथा उन समस्त विद्यालयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आगामी 03 दिवस में ऑनलाइन मिलान कर Verified करना।
6. ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय जिनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन मिलान करने पर कार्यालय द्वारा आक्षेप लगाए गए है उन आक्षेपों की पूर्ति संबंधित प्रा./उप्रा./मा./उ.मा. गैर सरकारी विद्यालयों से आगामी 03 दिवस में करवाना।
7. ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय जिनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आरटीई. पोर्टल पर संबंधित कार्यालय द्वारा ऑनलाइन Verified कर दी है उन

विद्यालयों से राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार प्रथम किश्त का क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की (अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी.) डाक से प्राप्त करना व तत्संबंधी रजिस्टर संधारित करना।

8. शैक्षिक सत्र में प्रथम/द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों से क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की (अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी.) डाक से प्राप्त करना व तत्संबंधी रजिस्टर संधारित करना।
9. प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से प्राप्त बजट राशि के अनुसार राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार प्रथम/द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु नियमानुसार पास ऑर्डर (भुगतान आदेश) आरटीई. पोर्टल से ऑनलाइन जारी कर बिल बनाकर कोषालय (ट्रेजरी) प्रेषित करते हुए पुनर्भरण राशि संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अंतरित करवाना।
10. बीईईओ./जिशिअ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा आरटीई. पोर्टल पर नियमित रूप से प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए पोर्टल से आदेश/निर्देशों को डाउनलोड करना, पोर्टल पर वांछित सूचनाओं को कार्यालय स्तर पर अपलोड करवाना, ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा./उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय जो निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार आरटीई. पोर्टल पर कार्य नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी करना तथा भुगतान से वंचित रहने की स्थिति में ऐसे गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूर्ण हो इसकी व्यवस्था करना।
11. जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालय में कार्यरत एपीसी. आरटीई./शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी तथा बीईईओ. कार्यालय में कार्यरत एबीईओ. (आरटीई. प्रभारी अधिकारी) की देखरेख में आरटीई. पोर्टल पर संपादित होने वाले विभिन्न कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
12. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक प.9(1)/शि-5/10 पार्ट दिनांक 24.09.2013 के अनुसरण में कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को आरटीई. प्रभारी अधिकारी घोषित कर आरटीई. पोर्टल पर संपादित होने वाले विभिन्न कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
13. बीईईओ./जिशिअ. प्राशि./माशि. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में आरटीई. से संबंधित समस्त अभिलेख (भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, क्लेम बिल की प्रति, आदेश/निर्देशों की पत्रावली) सुरक्षित रखना।
14. बीईईओ./जिशिअ. प्राशि./माशिक्षा. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में आरटीई. संबंधी कार्य संपादन हेतु पूर्णकालिक मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिक को दायित्व सौंपना।
15. राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम के अनुसार बीईईओ./जिशिअ. प्रा. शिक्षा./मा. शिक्षा. (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा समय पर आरटीई. पोर्टल पर कार्य सम्पादन नहीं करने के कारण यदि गैर सरकारी विद्यालय पुनर्भरण की प्रथम/द्वितीय किश्त के भुगतान से वंचित रहता है तो संबंधित उपनिदेशक प्रा. शिक्षा./मा. शिक्षा. कार्यालय द्वारा प्रकरण की जाँच कर जाँच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

C उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय आरटीई. पोर्टल से संबंधित करणीय कार्य एवं दायित्वः-

1. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में राज्य सरकार के पत्रांक प.9(1)शिक्षा-5/10 पार्ट दिनांक 24.09.13 के अनुसरण में कार्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक/उप निदेशक (कनिष्ठ) को आरटीई. प्रभारी अधिकारी घोषित कर आरटीई. सेल का गठन किया जाकर मण्डल के अधीन जिशिअ. मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर किए जाने वाले कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करना।
2. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में आरटीई. सैल द्वारा आरटीई. पोर्टल पर मण्डल के नियंत्रणाधीन समस्त बीईईओ./जिशिअ. प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई. संबंधी किए जाने वाले कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा कर संबंधित कार्यालयों को तत्संबंधी निर्देश प्रदान करना तथा की गई कार्यवाही की सूचना प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करना।
3. बीईईओ./जिशिअ. प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में लापरवाही/शिथिलता पायी जाने की स्थिति में प्रकरण की जाँच कर जाँच रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करना/अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करना।

उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश विद्यालय/अभिभावक/बालक/कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों के कार्य करने में सुविधा की दृष्टि से प्रसारित किए जा रहे है। उल्लेखनीय है कि मूल रूप में आरटीई. के संबंध में आरटीई. एक्ट 2009, राज्य नियम 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाना है।

● **निदेशक,** प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/प्रारं/आरटीई./बी/सॉफ्टवेयर/18891/ 17-18/ 27 दिनांक 11.5.2017

3. शनिवारीय बाल सभा कार्यक्रम के अन्तर्गत दादी-नानी को आमंत्रित कर प्रेरक एवं मनोरंजक पारम्परिक कहानियों का वाचन करवाए जाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा-माध्य/मा-स/प्रार्थना सभा/22251/2014-17/ दिनांकः 09.05.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-

प्रथम तथा द्वितीय ● विषयः शनिवारीय बाल सभा कार्यक्रम के अन्तर्गत दादी–नानी को आमंत्रित कर प्रेरक एवं मनोरंजक पारम्परिक कहानियों का वाचन करवाए जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिविरा पंचांग में सहशैक्षिक गतिविधियों के अन्तर्गत शनिवारीय बाल सभा के आयोजन बाबत् स्थाई निर्देश प्रदत्त हैं। इस क्रम में यह विचारित किया गया है कि पूर्व वर्षों में यह देखा जाता था कि बालक–बालिकाओं में अपनी दादी/नानी से कहानियाँ सुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी। परिवारों में दादी/नानी एवं बुजुर्ग भी बच्चों को बड़े चाव से पारम्परिक मूल्यों से संबंधित कहानियाँ सुनाते हैं। यह परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय परिवारों में चली आ रही है। ये कहानी सुनने–सुनाने की परम्परा बच्चों के मनोरंजन के साथ ही उन्हें संस्कारित भी करती है तथा प्राचीन भारतीय मूल्यों के प्रति बच्चों के बालमन में श्रद्धा भी उत्पन्न करती है। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसित होते थे। उक्त सांस्कृतिक संस्कारों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हेतु विद्यालयों में उपुर्यक्तानुसार वर्णित द्वितीय शनिवार को होने वाले बाल सभा कार्यक्रम में विद्यालय में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं की दादी/नानी अथवा किसी अन्य बुजुर्ग महिला को सानुरोध आमंत्रित करें तथा उन्हें बच्चों के साथ सहज संवाद करते हुए परम्परागत प्रेरक एवं मनोरंजक कहानियाँ बच्चों को सुनाने का कार्यक्रम आयोजित करें।

उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की पालना व्यक्तिगत रुचि लेते हुए क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में करवाए जाने हेतु सार्थक पहल करें तथा इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में समस्त संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आइ.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

4. आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने सम्बन्धी आदेश

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● आदेश

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से रामावि./राउमावि. में समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक : 8.8.16 के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांकः 26.09.2016 द्वारा समस्त रामावि./राउमावि. में आँगनबाड़ी केन्द्रों के समन्वयन, संचालन एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं. 1: भवन सम्बन्धी (Infrastructure) निर्देशों में समन्वित आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु विद्यालय परिसर में भवन/कक्ष उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रदान किए गए हैं।

दिनांकः 24.1.2017 को शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में ऐसे आँगनबाड़ी केन्द्र, जो भवन विहीन हैं, उनके निकटस्थ विद्यालय में भूमि उपलब्ध होने पर सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रधानाचार्य को आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

समस्त सम्बन्धित संस्थाप्रधान उपर्युक्त स्वीकृति के क्रम में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भूमि सम्बन्धी 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी कर समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) विभाग द्वारा भवन निर्माण करवाए जाने हेतु उक्त विभाग के ब्लॉक/जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करावें।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आइ.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

5. अखिल भारतीय सेवाएँ (राजस्थान) पेंशनर्स समिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पेंशनर्स के मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वर्ष 2017 हेतु।

● अखिल भारतीय सेवाएँ (राजस्थान) पेंशनर्स ऐसोसिएशन

अखिल भारतीय सेवाएँ (राजस्थान) पेंशनर्स समिति सेवानि. आइ.ए.एस., आइ.पी.एस. एवम् आइ.एफ.एस. अधिकारियों की एक रजिस्टर्ड संस्था है। संस्था ने सामाजिक सेवा क्षेत्र में कार्य करने हेतु अपने सदस्यों के सहयोग से सामाजिक कोष की स्थापना की है। संस्था इस कोष में राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के उपक्रमों, भारत सरकार एवम् भारत सरकार के उपक्रमों में तृतीय एवम् चतुर्थ श्रेणी के पदों से सेवानि. कर्मचारियों के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में सहयोग करना चाहती है, जिसके लिए यह योजना बनाकर प्रकाशित की जा रही है।

छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु निम्नलिखित शर्तें एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. छात्र/छात्रा के अभिभावक राजस्थान सरकार/भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार/भारत सरकार के उपक्रमों के सेवानिवृत्ति कर्मचारी (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा से) होने चाहिए तथा अभिभावक की वार्षिक आय रु. 3 लाख (तीन लाख रुपये) से अधिक न हो।
2. छात्र/छात्रा ने बोर्ड/यूनिवर्सिटी परीक्षा 70 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो।
3. छात्रवृत्ति टेक्निकल/प्रोफेशनल पाठ्यक्रम यथा मेडिकल, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., विधि, फैशन टेक्नोलॉजी, फूड क्राफ्ट ग्राफिक्स, मॉस कम्यूनिकेशन आदि पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को देय होगी।
4. छात्रवृत्ति की राशि अनुदान स्वरूप यथासंभव एकमुश्त स्वीकृत की जाएगी।
5. इच्छुक छात्र/छात्रा जो उपर्युक्त पात्रता रखते हों, अपने आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में संस्था के उपर्युक्त अंकित कार्यालय में दिनांक **30.09.2017** तक भिजवा सकते हैं।

छात्रवृत्ति की राशि संस्था के उपलब्ध संसाधन एवम् छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित की जावेगी। छात्रवृत्ति की राशि चैक द्वारा छात्र/छात्रा के पते पर भेजी जावेगी।

यह योजना सामाजिक सेवा का प्रयास है तथा केवल आवेदन करने एवम् पात्रता रखने से छात्रवृत्ति प्राप्त करने का किसी का अधिकार स्थापित नहीं करेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय अंतिम होगा। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के कार्यालय में कार्य दिवस पर प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्र

फोटो चिपकाएँ

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम.....
2. छात्र/छात्रा के माता का नाम.....
3. छात्र/छात्रा के पिता का नाम.....
4. निवास पत्र व्यवहार का पता.....
5. ईमेल, टेलीफोन नं. एवम् मोबाइल नं.....
6. आवेदक की जन्म तिथि.....
7. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता..... (गत बोर्ड/यूनिवर्सिटी परीक्षा परिणाम की फोटोकॉपी संलग्न करें)
8. पाठ्यक्रम का नाम एवं विवरण जिसमें अध्ययन कर रहा है, मय शिक्षण संस्थान का नाम.....
9. आवेदक के पिता/माता का नाम तथा राजकीय सेवा का पद जिससे सेवानिवृत्त हुए.....
10. आवेदक के पिता/माता की वार्षिक आय (पेंशन भुगतान आदेश की प्रति लगावे).....
11. अन्य किसी स्रोत से अगर वित्तीय सहायता प्राप्त है तो उसका विवरण दे दें।.....
12. अन्य कोई सूचना जो आवेदक देना चाहे।.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... पुत्र/पुत्री श्री..... इस संस्थान में .....पाठ्यक्रम के वर्ष/सेमेस्टर में अध्ययन कर रहा/रही है तथा इसके द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना सही है।

शिक्षण संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील

6. आरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in पर प्रा./उ.प्रा. गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों द्वारा कार्य करने में आ रही तकनीकी/सामान्य समस्याओं का निस्तारण करने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/प्रारं/RTE/B/सॉफ्टवेयर अपडेशन/18891/17-18/39 दिनांकः 24.05.2017 ● 1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त) 2. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (समस्त) ● विषयःआरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in पर प्रा./उ.प्रा. गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों द्वारा कार्य करने में आ रही तकनीकी/सामान्य समस्याओं का निस्तारण करने बाबत्। ● प्रसंगः इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांकः शिविरा/प्रारं/आरटीई./बी/सॉफ्टवेयर अपडेशन/18891/ 15-16/619 दिनांक 29.06.2016 तथा परिपत्र क्रमांक-27 दिनांक 11.05.2017 के क्रम में।

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आरटीई. वेब पोर्टल rte.raj.nic.in पर गैर सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों द्वारा कार्य करते समय तकनीकी/सामान्य समस्याएँ अनुभूत की जाती हैं। गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा. विद्यालयों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों द्वारा इस संबंध में समाधान करवाने हेतु आपके कार्यालय को पत्र प्रेषित कर व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया जाता है, परन्तु लम्बे समय तक उनकी समस्याओं का समाधान करने की कार्यवाही आपके कार्यालय स्तर पर संपादित नहीं किए जाने के कारण निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में भौतिक सत्यापन कार्य/पुनर्भरण कार्य में विलम्ब होता है अथवा पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है किः-

1. **जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में आरटीई. संबंधी कार्य की मॉनिटरिंग हेतु आरटीई. प्रकोष्ठ का गठन करना-** कार्यालय में कार्यरत APC. RTE./ आरटीई. प्रभारी अधिकारी की देखरेख में आरटीई. वेब पोर्टल पर गैर सरकारी विद्यालयों एवं संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों/गैर सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार/निदेशालय स्तर से जारी टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य संपादित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। वर्तमान में यह पाया गया कि आपके कार्यालय में इस संबंध में प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु आरटीई. प्रकोष्ठ का गठन अब तक नहीं किया गया अथवा प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। अतः तत्काल इसकी व्यवस्था करें।
2. **गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर अनुभूत की जाने वाली तकनीकी/सामान्य समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करना-** कार्यालय में कार्यरत APC. RTE./ आरटीई. प्रभारी अधिकारी/कार्मिक द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ कार्यालयों/अभिभावकों से तकनीकी/सामान्य समस्याओं के प्राप्त होने पर अभिलेख संधारित करवाकर नियमानुसार त्वरित रूप से निस्तारण करने की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जावे। यदि आवश्यक हो तो तकनीकी समस्याओं के निस्तारण हेतु केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम शिक्षा संकुल जयपुर (0141-2719073, rteccrhelp@gmail.com)/हेल्प सेंटर निदेशालय बीकानेर (0151-2220140, ddrtebknr@gmail.com) को स्पष्ट रूप से समस्याओं का उल्लेख करते हुए दूरभाष /पत्र/ई-मेल प्रेषित कर समस्याओं का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में ऐसा पाया गया है कि जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालय द्वारा इस संबंध में शिथिलता बरती जा रही है जिसके कारण गैर सरकारी विद्यालयों के संचालकों/बीईईओ. कार्यालयों/अभिभावकों को अनावश्यक

रूप से सीधे ही निदेशालय में अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करना पड़ता है। अतः इसे गंभीरता से लेवें।

3. निदेशालय के ध्यान में आया है कि बीईईओ. अथवा जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालयों के कार्मिक/अधिकारी द्वारा आरटीई. से संबंधित किसी भी शिकायत/समस्या के निस्तारण हेतु गैर सरकारी विद्यालय के संचालक/अभिभावकों को सीधे निदेशालय से व्यक्तिगत संपर्क करने हेतु मौखिक रूप से कहा जाता है, जिसके कारण निजी विद्यालयों के संचालक/अभिभावकों को निदेशालय में अनावश्यक रूप से आना पड़ता है जबकि समस्या का निस्तारण बीईईओ./जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालय द्वारा ही किया जाना होता है। इस प्रकार बीईईओ. अथवा जिशिअ. प्राशि. कार्यालयों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के संचालकों/अभिभावकों की समस्या के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि गैर सरकारी विद्यालयों/अभिभावकों की आरटीई. से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निस्तारण हेतु प्रथम रूप से बीईईओ. कार्यालय कार्यवाही करें, यदि समस्या का निस्तारण बीईईओ. कार्यालय स्तर से संभव नहीं हो तो बीईईओ. कार्यालय समस्या के निस्तारण हेतु जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालय को पत्र प्रेषित कराते हुए बीईईओ. कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें। जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालय बीईईओ. कार्यालय/गैर सरकारी प्रा./उप्रा. विद्यालयों/अभिभावकों से प्राप्त समस्याओं का अभिलेख संधारित कर नियमानुसार समाधान करने की तत्काल कार्यवाही संपादित करें। जिशिअ. प्रा. शिक्षा कार्यालय स्तर से समस्या का निस्तारण संभव नहीं होने की स्थिति में ही निदेशालय को पत्र/ईमेल प्रेषित करें तथा जिशिअ. प्राशि. कार्यालय स्तर से की गई कार्यवाही से भी अवगत करावें।

4. निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः- शिविरा/प्रारं/आरटीई./बी/सॉफ्टवेयर अपडेशन/18891/15-16/619 दिनांक 29.06.2016 तथा परिपत्र क्रमांक-27 दिनांक 11.05.2017 में उल्लेखित बिंदु संख्या (अ) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर करणीय कार्यवाही एवं दायित्व तथा बिंदु संख्या (ब) बीईईओ. कार्यालयों द्वारा आरटीई. पोर्टल पर करणीय कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिए गए निर्देशों के बारे में जिशिअ. प्राशि. कार्यालय द्वारा समस्त गैर सरकारी विद्यालयों एवं समस्त बीईईओ. कार्यालयों को पत्र प्रेषित किया जावे तथा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।

● **संयुक्त निदेशक,** प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

7. राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की दिनांक 09.12.16 से प्रभावी अधिसूचना।

● राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ● क्रमांकः एफ 11(166)DDBC(R&P)/SIED/2016/26508 जयपुर दिनांकः 19.05.2017 ● अधिसूचना

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 52307 दिनांक 06.08.1994 द्वारा क्र.सं. 5 पर बंजारा, बालदिया, लबाना क्र.सं. 15 गडरिया (गाडरी), गायरी क्र.स. 16 पर गाडिया-लोहार, गाडोलिया क्र.स. 20 पर गूजर, गुर्जर एवं क्र.स. 44 पर राईका, रैबारी (देबासी) को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 को दिनांक 31.07.2009 से राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 4 जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) जातियों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(164)/आरएण्डपी/सान्याअवि/02/46855 जयपुर दिनांक 25.06.99 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(164)/आरएण्डपी/सान्याअवि/12/83573 जयपुर दिनांक 28.11.2012 द्वारा गडरिया (गाडरी), गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग की सूची में क्र.सं. 5 पर सम्मिलित किया गया।

उक्त पश्चात् राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)/डीओपी/ए-।।/2015-(1) जयपुर दिनांक 16.10.2015 द्वारा राज्य में लागू किया गया। उक्त अधिनियम, 2015 की धारा 2(डी) में उक्त पाँच जातियों को यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी (दैबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में नाम निर्देशित किया गया।

उक्त अधिनियम, 2015 को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यूपी. नं. 1845/2016 कैप्टन गुरुविंदर सिंह (रिटायर्ड) व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 2795/2016 कानाराम धायल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं डी.बी.सी. डब्ल्यू.पी. नं. 1511/2016 श्रवण सिंह तंवर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 09.12.2016 द्वारा अधिसूचना 16.10.2015 और राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 को विखण्डित (Struck Down) किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में पुनः क्र.सं. 5 पर बंजारा, बालदिया, लबाना क्र.सं. 15 गडरिया (गाडरी), गायरी क्र.सं. 16 पर गाडिया-लोहार, गाडोलिया क्र.सं. 20 पर गुर्जर एवं क्र.सं. 44 पर राईका, रैबारी (देबासी) को सम्मिलित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन (Under subject to the out come of civil apeal no 1464-66/2017 pending before the hon'ble Supreme court) रहेगी।

उक्त अधिसूचना दिनांक 09.12.2016 से प्रभावी होगी।

● **(अशोक जैन)** अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव। ● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, क्रमांक शिविरा/माध्य/अभिलेख/ 5916/2017 दिनांक 30.5.2017 ● प्रशासनिक अधिकारी, मा.शि.राज. बीकानेर

8. विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के आधार नम्बर अनिवार्य किए जाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-मा/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/2017 दिनांक : 30-5-2017 ● समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय ● विषय : विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के आधार नम्बर अनिवार्य किए जाने के संबंध में। ● प्रसंग : राज्य सरकार का प्रत्रांक पं.21(05)प्राशि./आयो/Adhaar/2016 दिनांक 05.5.2017

उपर्युक्त निषयान्तर्गत एवं राज्य सरकार का प्रासांगिक पत्रांक पं. 21 (05) प्राशि./आयो/Adhaar/2016 दिनांक 05.5.2017 मय पत्रादि की छायाप्रतियाँ भेजकर लेख है कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भुगतान हेतु एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधि. 2009 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधार के उपयोग हेतु नम्बर लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रेशन करने की अन्तिम तिथि 30 जून, 2017 निर्धारित की गई हैं।

अतः पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने की सुनिश्चितता करें।

● (भवानी सिंह शेखावत) अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ● क्रमांक : प.21(5)प्राशि/आयो./Adhaar/2016 जयपुर, दिनांक 05.05.2017 ● 1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर। 5. निदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। 6. सचिव, मदरसा बोर्ड राजस्थान, जयपुर। ● विषयः विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के आधार नम्बर अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में। ● संदर्भ : अवर सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक : F3-24/2016-EE14dated 03-03-2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियो, असुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भुगतान हेतु एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आधार के उपयोग हेतु नम्बर लिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2017 निर्धारित की हैं।

उक्त अधिनियम की क्रियान्विति एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु अधिसूचनाएँ अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने की सुनिश्चितता करावें एवं पालनार्थ आवश्यक निर्देश जारी करवाने का श्रम करावें। जिन विभागों में कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं का डाटाबेस ऑनलाइन रखा जाता है, वह विभाग इन आधार नम्बरों को डाटाबेस में प्रविष्टि करवाने का भी श्रम करावें।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

● सुनील कुमार शर्मा, संयुक्त शासन सचिव

● No. F.3-24/2016-EE. 14 Government of India, Ministry of Human Resource Development Department of School Education and Literacy (EE.14 Section) ● Shastri Bhawan, New Delhi Dated 3rd March, 2017 ● The Principal Secretaries/Secretaries (Education) of all States and UTs except Assam Meghalaya and Jammu & Kashmir ● Subject : Notifications under Section 7 of the Aadhar Act. 2006 for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Scheme.

I am directed to enclose a copy each of two notifications published in the Gazette of India vide S O 688(E) dated 2.3.2017 and S.O. 689(F) dated 2.3.2017 issued under Aadhaar Act. 2016 for SSA scheme regarding (i) Payment of salary/honorarium to teachers and staff and (ii) benefits and entitlements to children in the age group of 6 to 14 years, under SSA, for kind information and necessary action. These can also be accessed at e-gazette (www.egazette.nic.in)

● Alok Jawahar, Under Secretary to the Govt. of India Tel.: 23381095 E-mail : alok.jawahar@nic.in

Government of India Ministry of Electronics & Information Technology. Unique Identification Authority of India (UIDAI) Regional Office - Delhi, F.No.A-11019/04/2010-UIDAI (RO-Delhi)

1. You may be aware that Government of India is considering use of Aadhaar as an identity for disbursal of various benefits. Grants under Sarva Shiksha Abhiyan, mid-day meal and Rashtriya Madhymik Shiksha Abhiyan are likely to be linked to aadhaar to ensure that benefits under the scheme are given only to the genuine beneficiaries.
2. Keeping in view the importance of Aadhaar, it becomes necessary that 100% students of Government run as well as privately run Schools be enrolled for Aadhaar, Moreover, as per Aadhaar requirements, children are mandatorily required to do biometric updation after attaining the age of 5 years and 15 years of age. CBSE has already Issued instructions to all its affiliated Schools for Aadhaar enrolments/updation of children.
3. In order to achieve 100% enrolment of children in Rajasthan, it is requested that all private schools may also be directed to organize regular (at least two in a year) Aadhaar enrolment camps for enrolment of children.

4. I shall be grateful if necessary instructions are issued to achieve 100% enrolment of students by 31st March, 2017.

Rajesh Kumar Singh
Deputy Director General

भारत का राजपत्र

असाधारण, भाग II खण्ड 3–उप–खण्ड (ii), प्राधिकार से प्रकाशित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) अधिसूचना, नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का. आ. 688(अ).–सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के प्रदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से सार्वत्रिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासन कर रहा है जिससे सार्वत्रिक पहुँच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग की और सामाजिक प्रवर्ग अंतरालों को पाटने तथा बालकों के शिक्षा के स्तरों में वृद्धि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

और, सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के मध्यक्षेपों का उपबंध है, जिसके अंतर्गत नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के सनिर्माण, शौचालयों और पेयजल, शिक्षकों, आवधिक शिक्षण प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहायता पाठ्यपुस्तकों, वर्दी और अधिगम उपलब्धि हेतु सहायता भी है।

और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन यथा अधिदिष्ट मानकों और स्तरमानों तथा निःशुल्क पात्रताओं के अनुसार विरचित की गई है जिसमें ऐसे विधिक ढाँचे के बारे में उपस्थित है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार बनाती है और जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यन्वयन के लिए एक साधन के रूप में अभिहित है;

और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 7 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा।

और, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, स्कीम के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों को करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को सुमेल राज्य शेयर के साथ केन्द्रीय शेयर का अंतरण करने के लिए केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागू निधि विभाजन पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय शेयर निर्मोचित किया जाता है।

और, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु छात्रों को शिक्षा देने और अन्य सहायता के लिए शिक्षक या कर्मचारीवृंद (जिसे इसमें इसके पश चात कृत्यकारी कहा गया है) का नियोजन किया जाना है और कृत्यकारियों को वेतन या मानदेय का संदाय किया जाता है तथा उन्हें प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधाएँ कहा जाएगा) प्रदान की जाती है, इसका कुछ भाग भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय होता है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अत्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक कृत्यकारियों से उसके पास आधार नम्बर होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक किसी ऐसे कृत्यकारी को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे फायदाग्राही आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन का राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का ऐसा भार साधक संबंधित विभाग से (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) जो कृत्यकारी से आधार संख्यांक देने की अपेक्षा करता है, ऐसे कृत्यकारियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएँ प्रख्यापित करने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वयन से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएँ उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परंतु कृत्यकारियों के आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएँ निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप–पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएँगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव मंडल उपनिदेशक को 15 जुलाई, 2017 तक प्रस्तुत करेंगे तथा मंडल उपनिदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई, 2017 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेंगे। 2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :-

क्र.सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
1.	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रात: 7: 00 से सायं 6: 00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5: 30 घंटे)
2.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रात: 7: 30 से सायं 5: 30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5: 00 घंटे)

3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रात: 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। 4. समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र-छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यत: विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2:40 बजे से 3:00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जाएगा। 5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अत: रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए। 6. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएँ एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएँ निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :-

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो से अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएँ एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

सह-शैक्षिक गतिविधियाँ : 1. समस्त सह-शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए। 2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'चाइल्ड राइट्स क्लब', 'वन एवं पर्यावरण क्लब', 'विज्ञान क्लब' एवं 'रोड सेफ्टी क्लब' की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। 3. विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को 'बाल सभा' का आयोजन किया जाए। 'बाल सभा' में बच्चों को बाल संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण आदि के माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्त्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हैं, को बुलाकर उनसे सम्बोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सह-शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। 4. माह के अन्तिम शनिवार को समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा एक कालांश में स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा। 5. शनिवारीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार बाल सभा आयोजन हेतु प्रत्येक शनिवार को समस्त आठ कालांश में से पांच-पांच मिनट कम करते हुए अन्तिम कालांश पश्चात् बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नांकित विवरणानुसार कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

प्रथम शनिवार	किसी महापुरुष के जीवन पर प्रेरक प्रसंग की जानकारी
द्वितीय शनिवार	शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियों का वाचन, विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए 'संस्कार सभा' के अन्तर्गत दादी/नानी को सानुरोध आमंत्रित कर परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन करवाना।
तृतीय शनिवार	राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों की समीक्षा एवं किसी महापुरुष अथवा स्थानीय संत-महात्मा का उद्बोधन
चतुर्थ शनिवार	सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन
पंचम शनिवार	प्रेरक नाट्य का मंचन और विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र भक्ति गीत गायन (माह में पाँचवा शनिवार होने पर)

उपर्युक्त निर्देशित कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार बाल सभा से पृथक रूप से प्रार्थना सभा पश्चात् शून्य कालांश में आयोजित किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। 6. सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2017 तक मनाएँगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएँ/एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियाँ यथा-उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्थाप्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2017 तक वार्षिकोत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) ही आयोजित किए जा सकते हैं। 7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। 8. समस्त विद्यालयों मे विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रति माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी। 'सर्व शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ' के प्लान के अनुसार (एस.एम.सी.) की उक्त बैठकों को समुदाय जागृति दिवस के रूप में मनाया जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। 9. विद्यालय प्रबंधन समिति के दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण माह अगस्त से अक्टूबर के दौरान आयोजित करवाए जाएँगे। 10. विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा का प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक तीन बैठकें अर्थात तीन माह में एक बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। 11. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एस.डी.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक भी प्रति माह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा।

प्रबोधन एवं प्रबन्धन: 1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएँ, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान यू-डाइस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें। 2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालांश प्रति कक्षा लगवाई जाए एवं विद्यालय में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।

उत्सव एवं अवकाश : 1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यत: मनाए जाएं। 2. उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहिले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांश में शिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांश में से 5-5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांश के पश्चात् शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए। 3. 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। 4. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। 5. प्रत्येक संस्थाप्रधान इस पञ्चाङ्ग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्थाप्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2017 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्त्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें। 6. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

मूल्यांकन एवं परीक्षा : 1. समस्त कक्षाओं की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर) इस पञ्चाङ्ग के अनुसार सम्पन्न की जाएं तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल, 2018 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। 2. परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे। 3. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमश: एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अथवा अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा। 4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए। 5. एसआईक्यूई/सीसीई संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। 6. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक: प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।

पूरक परीक्षा : माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 5 से 8 मई, 2018 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 9 मई, 2018 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिए जाएँ।

शिक्षा विभाग, राजस्थान
पञ्चाङ्ग 2017-18

राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/CBSE/CISCE से सम्बद्ध विद्यालयों/अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2017-2018 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्थाप्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) मांग के औचित्य की जाँच करेंगे तथा उनकी अनुशंसा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्थाप्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

सामान्य निर्देश : 1. शिक्षण सत्र: 2017-18 दिनांक 01 मई, 2017 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अप्रैल, 2017 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 5 के जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, कक्षा-8 व कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों को अस्थाई प्रवेश परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पश्चात् दिया जाकर आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्मावकाश उपरांत पुन: नियमित शिक्षण कार्य 19 जून, 2017 से आरम्भ है। 2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2017 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु) 3. मध्यावधि अवकाश 09 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2017 तक रहेगा। 4. शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2017 से 06 जनवरी, 2018 तक रहेगा। 5. ग्रीष्मावकाश 10 मई, 2018 से 18 जून, 2018 तक रहेगा। 6. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो/दूरदर्शन/समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। 7. यदि किसी कारणवश रेडियो/दूरदर्शन/लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा। 8. यदि किसी वर्ग/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा। 9. शिविरा पञ्चाङ्ग एवं राजस्थान सरकार के पञ्चाङ्ग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पञ्चाङ्ग की तिथि को सही मानते हुए इस पञ्चाङ्ग में वैसा ही संशोधन माना जाए। 10. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पञ्चाङ्ग में निर्धारित तिथियों में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा। 11. साप्ताहिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक आयरन की पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र-छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली (ब्ल्यू) गोली मध्याह्न भोजन उपरान्त दी जाए।

प्रवेश : 1. कक्षा-1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई है। 2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। 'आर.टी.ई. अधिनियम-2009' के अनुसार विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश वर्षपर्यन्त हो सकता है। 3. राज्य कर्मचारी/माता-पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा। 4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किए जाते हैं, तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। 5. सत्र : 2017-18 में ड्रॉप आउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के बालक-बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्थाप्रधान प्रति माह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना संकलित/प्रेषित करें। 6. चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे में चिह्नित शेष रहे ड्रॉप आउट एवं अनामांकित बालक-बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए। 7. ड्रॉप आउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नि:शुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गए बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। 8. विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक आजीविका कमाने हेतु पलायन करते हैं, इनकी पलायन अवधि के लिए माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जाएगा। 9. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों मे अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO) की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं को उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए। 10. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाए। 11. ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा।

प्रार्थना सभा : प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधियाँ-राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं।

विद्यालय प्रबन्धन : विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी.) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाएगी :-1. एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट, जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ जैसे चॉक, डस्टर, स्टेशनरी, परीक्षा सम्बन्धित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती है। इस राशि में से शौचालय/मूत्रालयों की साफ-सफाई हेतु प्रतिमाह 150 रू. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए)। जिला परियोजना समन्वयक (एस.एस.ए. / आर.एम.एस.ए.) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयों को 500 रू. प्रति माह की दर से 5000 रूपए वार्षिक (10 माह हेतु) शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रखरखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है। 2. प्रत्येक विद्यार्थी की 'शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम' के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

कालांशवार समय विभाजन : प्रतिदिन 8 कालांश में से कालांशवार समय विभाजन चक्र में 6 कालांश 40 मिनट एवं अंतिम 2 कालांश 35 मिनट के होंगे। प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर अवकाश 25 मिनट का होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु कुल शाला समय 6 घंटे 5 मिनट होगा।

समय सारिणी : एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र. सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय (संस्थाप्रधान हेतु)	7:50 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)	9:20 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)
3	विद्यालय समय (शिक्षकों हेतु)	8:00 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)	9:30 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)
4	विद्यालय समय (विद्यार्थियों हेतु)	8:05 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)	9:35 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	8:05 बजे से 8:35 बजे तक (30 मिनट)	9:35 बजे से 10:05 बजे तक (30 मिनट)
6	प्रथम कालांश	8:35 बजे से 9:15 बजे तक (40 मिनट)	10:05 बजे से 10:45 बजे तक (40 मिनट)
7	द्वितीय कालांश	9:15 बजे से 9:55 बजे तक (40 मिनट)	10:45 बजे से 11:25 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:55 बजे से 10:35 बजे तक (40 मिनट)	11:25 बजे से 12:05 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	10:35 बजे से 11:15 बजे तक (40 मिनट)	12:05 बजे से 12:45 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	11:15 बजे से 11:40 बजे तक (25 मिनट)	12:45 बजे से 01:10 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	11:40 बजे से 12:20 बजे तक (40 मिनट)	01:10 बजे से 01:50 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	12:20 बजे से 01:00 बजे तक (40 मिनट)	01:50 बजे से 02:30 बजे तक (40 मिनट)
13	सप्तम कालांश	01:00 बजे से 01:35 बजे तक (35 मिनट)	02:30 बजे से 03:05 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	01:35 बजे से 02:10 बजे तक (35 मिनट)	03:05 बजे से 03: 40 बजे तक (35 मिनट)

नोट: शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छ: कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध-लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शिविरा पञ्चाङ्ग 2017-18

जुलाई 2017

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

अगस्त 2017

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

सितम्बर 2017

रवि		3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

अक्टूबर 2017

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

नवम्बर 2017

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरु	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	
शनि	4	11	18	25	

दिसम्बर 2017

रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

जुलाई 2017 ● **कार्य दिवस–26, रविवार–05, अवकाश–0, उत्सव–3** ● **1 से 7 जुलाई**–आधार रेखा (बेसलाइन) आकलन/पदस्थापन (CCE/SIQE संचालित विद्यालयों में) **8 जुलाई**–'मीना मंच' का गठन (सर्व शिक्षा अभियान) **9 जुलाई**–गुरु पूर्णिमा (उत्सव) **11 जुलाई**–विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव) (SIERT) **15 जुलाई**–SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यमसे सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करवाना। 15 जुलाई से पूर्व नामांकन क्षमतानुसार प्रत्येक केजीबीवी में नामांकन पूर्ण करना तथा आवश्यकता होने पर मोटिवेशन कैम्पों का आयोजन करना (सर्व शिक्षा अभियान) **21 से 22 जुलाई**–सत्रारम्भ की संस्था प्रधान वाक्पीठ (प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा.विद्यालय) का आयोजन। **23 जुलाई**–लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव) **24 जुलाई**–समुदाय जागृति दिवस (सर्व शिक्षा अभियान) **24 से 29 जुलाई**–विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु फंक्शनल असेसमेन्टका आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **नोट :–** विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना। **माह जुलाई : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धितकार्यक्रम–** ● केजीबीवी शिक्षिकाओं हेतु ऑनलाइन कोर्स सामग्री निर्माण। ● एआरजी का प्रशिक्षण ● कम्प्यूटर प्रशिक्षण ● Consultation on Formulation of State Guide line for Menstrual Hygiene Management (State Level launching with Education, ICDS and Health Department Officers) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (राज्य स्तरीय) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (जिला स्तरीय) ● जीवन कौशल पर एमटी प्रशिक्षण। ● केजीबीवी संस्थाप्रधान व वार्डन की कार्यशाला। ● केजीबीवी शिक्षिकाओं हेतु विषयवार कार्यशाला।

अगस्त 2017 ● **कार्य दिवस–25, रविवार–04, अवकाश–2, उत्सव–3** ● **7 अगस्त**–रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव) **15–अगस्त** 1. स्वतन्त्रता दिवस (अवकाश–उत्सवअनिवार्य) 2. जन्माष्टमी(अवकाश–उत्सव) 3. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यमसे सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्नकरना। 4. 15 अगस्त से पूर्व–केजीबीवी बालिकाओं को समस्त प्रकार की आधारभूत सामग्री का वितरण (सर्व शिक्षा अभियान) **17 अगस्त से पूर्व**–विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीयएवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **17–19 अगस्त**–प्रथम परख का आयोजन। **21 अगस्त**–'अध्यापिकामंच' संचालन समिति का गठन एवं बैठक (सर्व शिक्षा अभियान) समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या) (सर्व शिक्षा अभियान) **22 से 23 अगस्त**–जिला स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता–सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) का आयोजन। **23 अगस्त**–जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार का अयोजन (SIERT) **27 से 29 अगस्त**–राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता–सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) का आयोजन। **29 अगस्त**–ध्यानचन्दजयन्तीपर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन (SIERT) **29 से 30 अगस्त**–जिला स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **30 अगस्त**–1. सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2017 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्चमाध्यमिकविद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यमसे सत्रपर्यन्त किए जाने वाले कार्यो हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयादेश/कार्यादेश जारी करना। **31अगस्त**–रामदेव जयन्ती/तेजादशमी (अवकाश–उत्सव) **माह अगस्त : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धितकार्यक्रम–** ● एआरजी का प्रशिक्षण ● कम्प्यूटर प्रशिक्षण ● जीवन कौशलपर एमटी प्रशिक्षण ● केजीबीवी वार्डन की कार्यशाला ● शाला सिद्धि कार्यशाला (राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (राज्य कोर ग्रुप) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (संभाग स्तर पर) ● आत्मरक्षा पर एमटी प्रशिक्षण ● मासिक कार्यशाला ● शिक्षिकाओं को स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण ● Divisional Level Workshop for Capacity Building for Wash in Schools (RPs/Engineers/Nodal Principals & BEEOs) ● सामान्य शिक्षकों, केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण ● यूपीएस शिक्षकों हेतु केआरपी प्रशिक्षण ● जीवन कौशलविकास पर अभिमुखीकरण।

सितम्बर 2017 ● **कार्य दिवस–20, रविवार–04, अवकाश–06, उत्सव–03** ● **1 से 5 सितम्बर**–प्रथम समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन) **2 सितम्बर**–ईदुल्जुहा (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार) **5 सितम्बर**–शिक्षक दिवस (उत्सव), **राज्य स्तरीय** शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डियों की बिक्री का शुभारम्भ। **5 से 9 सितम्बर**–द्वितीयसमूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन) **8 सितम्बर**–विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव) **9 सितम्बर**–अध्यापिकामंच की प्रथम बैठक (सर्व शिक्षा अभियान) **13 से 15 सितम्बर**–जिला स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा जनसंख्या शिक्षा मेला एवं रोल एवं फोक डान्सप्रतियोगिता का आयोजन (SIERT) **14 सितम्बर**–हिन्दीदिवस (उत्सव) **15 से 16 सितम्बर**–जिला स्तरीय शैक्षिकसम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश) **17 से 22 सितम्बर**–प्रथम समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **19 से 22 सितम्बर**–प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (ब्लॉकस्तरीय) **20 सितम्बर**–समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या)(सर्व शिक्षा अभियान) अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM) का आयोजन। **21 सितम्बर**–नवरात्र स्थापना (अवकाश) **23 सितम्बर**–बालिका शिक्षा के अन्तर्गत समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'मीना दिवस' (24 सितम्बर के उपलक्ष्यमें) का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान), किशोर जागृति दिवस (SIERT) **24 से 29 सितम्बर**–द्वितीयसमूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **25 से 27 सितम्बर**–प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (जिला स्तरीय) **25 से 30 सितम्बर**–(अन्तिम सप्ताह) विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु अंग–उपकरण वितरण कैम्पआयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **28 सितम्बर**–दुर्गाष्टमी(अवकाश) **29 सितम्बर–1.** राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्तराशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिकशिक्षा, राजस्थान,बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना एवं सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2017 के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)द्वारा मण्डल अधिकारी को प्रेषित करना। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यमसे किए जाने वाले कार्य/क्रय कार्यवाही पूर्ण करना। **30 सितम्बर**–विजयादशमी (अवकाश), डाइस डाटा भरने की आधार तिथि। **नोट–1.** प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन (09 से 14 सितम्बर के मध्य)-CCE/SIQE संचालित विद्यालयों में। 2. 24 सितम्बर–राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है) 3. विद्यार्थियों की सृजनात्मकप्रतियोगिता का ब्लॉकस्तर पर आयोजन (माध्यमिकशिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर) **माह सितम्बर : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धितकार्यक्रम–** ● एआरजी का प्रशिक्षण ● कम्प्यूटर प्रशिक्षण ● शिक्षिकाओं को स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण ● यूपीएस शिक्षकों हेतु एमटी प्रशिक्षण ● यूपीएस शिक्षकों के विषयवार शिक्षक प्रशिक्षण ● Divisional Level Workshop for Capacity Building for Wash in Schools (RPs/Engineers/Nodal Principals & BEEOs) ● सामान्य शिक्षकों,केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण ● शाला–सिद्धि प्रशिक्षण (प्रति ब्लॉकसंस्था प्रधान) ● केजीबीवी शिक्षिकाओं हेतु विषयवार कार्यशाला।

अक्टूबर 2017 ● **कार्य दिवस–12, रविवार–05, अवकाश–14, उत्सव–03** ● **1 अक्टूबर–** मोहर्रम (अवकाश–चन्द्रदर्शनानुसार) **2 अक्टूबर–विद्यालय समय परिवर्तन–1.** एक पारी विद्यालय–विद्यार्थियों हेतु प्रात: 09.35 से 3.40 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रात: 9.30 से 3.40 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रात: 9.20 से 3.40 बजे तक) 2. दो पारी विद्यालय – प्रात: 07 से सायं 05 बजे तक (प्रत्येकपारी 5.00 घंटे) **2 अक्टूबर–** गाँधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव) **2 से 3 अक्टूबर–** जिला स्तरीय जीवन कौशलविकास बाल मेला का आयोजन (SIERT) **3 से 5 अक्टूबर–** संभाग स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **4 से 8 अक्टूबर**–तृतीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन) **9 से 10 अक्टूबर–** राज्य स्तरीय खेल प्ले एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन (SIERT) **9 से 22 अक्टूबर–** मध्यावधि अवकाश। **19 अक्टूबर–** दीपावली (अवकाश) **20 अक्टूबर–** गोवर्धन पूजा (अवकाश) **21 अक्टूबर–** भैयादूज(अवकाश) **23 से 24 अक्टूबर–** राज्यस्तरीय शैक्षिक सम्मेलन। (शिक्षकों के लिए अवकाश) **24 अक्टूबर–** संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव) **26 से 28 अक्टूबर–** द्वितीय परख। **30 अक्टूबर से 04 नवम्बर**–तृतीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। **31 अक्टूबर–1.** इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस–उत्सव) 2. सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2017 के प्रस्तावों की समीक्षा कर मण्डल अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजना। **नोट:–** माध्यमिकशिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशलउन्नयनकी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। **माह अक्टूबर : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम** ● एआरजी का प्रशिक्षण ● मासिक कार्यशाला ● लीडरशिप एसआरजी प्रशिक्षण ● यूपीएस शिक्षकों के विषयवार शिक्षक प्रशिक्षण ● Divisional Level Workshop for Capacity Building for Wash in Schools (RPs/Engineers/Nodal Principals & BEEOs) ● सामान्य शिक्षकों, केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण।

नवम्बर 2017 ● **कार्य दिवस–25, रविवार–04, अवकाश–01, उत्सव–05** ● **1 नवम्बर**–कालिदास जयन्ती (उत्सव) **4 नवम्बर**–गुरु नानक जयन्ती (अवकाश–उत्सव) **10 से 11 नवम्बर**–तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। **11 नवम्बर**–राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव) **14 नवम्बर**–बाल दिवस (उत्सव), बाल समारोह (बाल दिवस पर सभी प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि. में) (सर्व शिक्षा अभियान) **17 से 18 नवम्बर**–जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता। **18 नवम्बर**–समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या), माँ–शिक्षक बैठक (Mother Teacher Meeting) का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **19 नवम्बर**–'नेशनल मीन्सकम मेरिट' परीक्षा का आयोजन (SIERT) **19 से 25 नवम्बर**–कौमी एकता सप्ताह का आयोजन। **26 नवम्बर**–संविधान दिवस (उत्सव) **27 से 30 नवम्बर**–'राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा जनसंख्या शिक्षा' मेला का आयोजन (SIERT) **28 से 30 नवम्बर**–राज्य स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना (सर्व शिक्षा अभियान) **नोट–1.** द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन–25 से 30 नवम्बर (CCE/SIQE संचालित विद्यालयों में) 2. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा (अ) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, (ब) राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, (स) राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन (अजमेर बोर्ड कार्यक्रम) **माह नवम्बर : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम** ● एआरजी का प्रशिक्षण ● लीडरशिप एसआरजी प्रशिक्षण ● सामान्यशिक्षकों,केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण ● शाला सिद्धि कार्यशाला (राज्य स्तरीय) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (जिला स्तरीय) ● केजीबीवी शिक्षिकियाओं हेतु विषयवार कार्यशाला।

दिसम्बर 2017 ● **कार्य दिवस–19, रविवार–5, अवकाश–07, उत्सव–03** ● **1 दिसम्बर**–विश्व एकता दिवस (उत्सव)।, विश्व एड्स दिवस (SIERT) **2 दिसम्बर**–बारावफात (अवकाश–चन्द्रदर्शनानुसार) **3 दिसम्बर**–विश्व विकलांग दिवस (सर्व शिक्षा अभियान) **7–8 दिसम्बर**–राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन। **10 दिसम्बर**–मानव अधिकार दिवस (उत्सव) **11–23 दिसम्बर**–अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का आयोजन। **14 से 15 दिसम्बर**–राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन व दल गठन। **18 दिसम्बर**–समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या)(सर्व शिक्षा अभियान) **19–25 दिसम्बर**–राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। **25 दिसम्बर**–क्रिसमस डे एवं गुरु गोविन्दसिंह जयन्ती (अवकाश–उत्सव) **25 दिसम्बर से 06 जनवरी**–शीतकालीन अवकाश (राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान को दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौतीकी कार्यवाही करना) **26 से 28 दिसम्बर**–राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। **27 से 30 दिसम्बर**–राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। **29 से 31 दिसम्बर**–राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। **नोट–1.** जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है, उन विद्यालयों में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किया जाए। 2. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर) **माह दिसम्बर : 2017 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम–** ● केजीबीवी संस्थाप्रधान की कार्यशाला ● मासिक कार्यशाला ● सामान्य शिक्षकों,केजीबीवी शिक्षिकाओं एवं संदर्भ व्यक्तियों हेतु 10 दिवसीय आईसीटी प्रशिक्षण ● एचएम लीडरशिप प्रशिक्षण ● जीवन कौशल विकास पर अभिमुखीकरण।

जनवरी 2018 ● **कार्य दिवस–21, रविवार–04, अवकाश–06, उत्सव–05** ● **1 से 6 जनवरी**–शीतकालीन अवकाश। **11 से 13 जनवरी**–राज्य स्तरीय जीवन कौशलविकास बाल मेला का आयोजन (SIERT) **12 जनवरी**–स्वामी विवेकानन्दजयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस–उत्सव), केरियर डे का आयोजन (माध्यमिक/उच्चमाध्यमिकविद्यालय) **14 जनवरी**–मकर सक्रान्ति (उत्सव) **15 से 31 जनवरी**–केजीबीवी में शैक्षिककिशोरी मेलों का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **16 जनवरी**–समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या) (सर्व शिक्षा अभियान) **20 जनवरी**–अध्यापिकामंच की द्वितीयबैठकका आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **22 जनवरी**–बसन्तपंचमी/सरस्वती जयन्ती (उत्सव), गार्गी पुरस्कार समारोह। **23 जनवरी**–सुभाष चन्द्रबोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव) **24 जनवरी**–राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **26 जनवरी**–गणतंत्र दिवस (अवकाश–उत्सवअनिवार्य) **30 जनवरी**–शहीद दिवस (प्रात: 11.00 बजे दो मिनट का मौन) **नोट :–** शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन एवं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर) **माह जनवरी : 2018 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम–** ● मासिक कार्यशाला ● एचएम लीडरशिप प्रशिक्षण ● State Level Resources Person Training on National Deworming Day-2018 ● शाला सिद्धि कार्यशाला (राज्य स्तरीय) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (जिला स्तरीय) ● शाला सिद्धि कार्यशाला (राज्य समीक्षा बैठक) ● केजीवीबी शिक्षिकाओं हेतु विषयवार कार्यशाला।

फरवरी 2018 ● **कार्य दिवस–23, रविवार–04, अवकाश–01, उत्सव–03** ● **8 से 10 फरवरी**–तृतीय परख का आयोजन। **10 फरवरी**–स्वामी दयानन्द जयन्ती (उत्सव), स्कूल आधारित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन (सर्व शिक्षा अभियान) **13 फरवरी**–महा शिवरात्रि (अवकाश–उत्सव) **15 फरवरी**–राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मॉप ऑप दिवस (10 फरवरी को विद्यालयों में अनुपस्थित रहे बच्चों को डीवर्मिंग की दवा दी जाएगी), समुदाय जागृति दिवस (अमावस्या) (सर्व शिक्षा अभियान) अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM) का आयोजन। **16 से 17 फरवरी**–सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि) का आयोजन। **28 फरवरी**–राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव) **नोट :–1.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। 2. तृतीय योगात्मक आकलन का आयोजन–05 से 10 फरवरी (CCE/SIQE संचालित विद्यालयों में) **माह फरवरी–2018 में सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यक्रम–** ● शाला–सिद्धि कार्यशाला (राज्य कोर ग्रुप की बैठक)

मार्च 2018 ● **कार्य दिवस–22, रविवार–04, अवकाश–05, उत्सव–05** ● **1 मार्च**–होलिका दहन (अवकाश) **2 मार्च**–धुलण्डी (अवकाश) **15 मार्च**–विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव) **19 मार्च**–चेटीचण्ड (अवकाश–उत्सव) **25 मार्च**–रामनवमी (अवकाश–उत्सव) **29 मार्च**–महावीर जयन्ती, अहिंसा दिवस (अवकाश–उत्सव) **30 मार्च**–राजस्थान दिवस (उत्सव), गुड–फ्राइडे (अवकाश)

अप्रैल2018 ● **कार्य दिवस–24, रविवार–05, अवकाश–01, उत्सव–01** ● **1 अप्रैल**–विद्यालय समय परिवर्तन–**1.** एक पारी विद्यालय–विद्यार्थियों हेतु प्रात: 08.05 से 02.10 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रात: 8 बजे से 2.10 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रात:7.50 से 2.10 बजे तक)। **2.** दो पारी विद्यालय–प्रात: 07 से सायं 06 बजे तक (प्रत्येकपारी 5.30 घंटे) **13 से 25 अप्रैल**–वार्षिक परीक्षा का आयोजन। **14 अप्रैल**–डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती (अवकाश–उत्सव) **26 अप्रैल**–विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया का आरम्भ एवं नामांकन हेतु विद्यार्थियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ। **30 अप्रैल**–वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यो की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार–विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। SDMC की साधारण सभा का आयोजन एवं करणीय कार्यो के संबंध में प्रस्ताव पारित करना। **नोट:–**कक्षा–1 से 4 में चतुर्थ योगात्मक आकलन का आयोजन–20 से 25 अप्रैल (CCE/SIQE संचालित विद्यालयों में), कक्षा 5 हेतु संबंधित जिले की DIET द्वारा चतुर्थ योगात्मक आकलन के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन किया जाएगा, जिसकी तिथियाँ पृथक से घोषित की जाएगी।

मई 2018 ● **कार्य दिवस–08, रविवार–04, अवकाश–19, उत्सव–01** ● **1 मई**–नवीन सत्र : 2018–19 प्रारम्भ। **1 से 9 मई**–प्रवेशोत्सव–प्रथमचरण का आयोजन। **5 से 8 मई**–पूरक परीक्षा का आयोजन। **7 मई**–रवीन्द्रनाथ ठाकुर जयन्ती (उत्सव)। **9 मई**–पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति–पत्र का वितरण। **10 मई से 18 जून**–ग्रीष्मावकाश। **नोट :–1.** विद्यार्थियों की सृजनात्मकप्रतियोगिता का राज्यस्तर पर आयोजन (माध्यमिकशिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर) 2. संस्थाप्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हों, तो वह विद्यार्थियों को टी.सी. जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी.सी. पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करते हुए तथा इसका अनुमोदन सम्बन्धितजिला शिक्षा अधिकारी से करवाकर अधिकृत किए गए शिक्षक को पाबन्दकरें, ताकि विद्यार्थियों को टी.सी. प्राप्त करने में कोई असुविधा न हों।

जून 2018 ● **कार्य दिवस–11, रविवार–04, अवकाश–15, उत्सव–03** ● **1 से 18 जून**–ग्रीष्मावकाश। **16 जून**–ईदुलफितर (अवकाश–चन्द्र दर्शनानुसार) **16 जून**–महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश उत्सव) **19 जून–1.** ग्रीष्मावकाश उपरांत शिक्षण कार्य पुन: प्रारम्भ। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठकका आयोजन एवं सत्रपर्यन्त कार्ययोजना का अनुमोदन। **21 जून**–अन्तर्राष्ट्रीययोग दिवस (उत्सव) **19 से 30 जून**–प्रवेशोत्सव–द्वितीयचरण का आयोजन। **28 जून**–भामाशाह जयन्ती (राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह) **30 जून–SDMC** की कार्यकारिणी समिति की बैठकमें अनुमोदित कार्य योजना को अन्तिमरूप दिया जाना।

© सर्वाधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पास सुरक्षित हैं।

जनवरी 2018

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	31
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

फरवरी 2018

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	
शुक्र	2	9	16	23	
शनि	3	10	17	24	

मार्च 2018

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31

अप्रैल 2018

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

मई 2018

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

जून 2018

रवि		3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

अनुज्ञापित; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर ऐसे सदस्य की फोटो सहित पहचान का प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए अनिहित किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधारहित प्रसुविधाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा, अर्थात्–

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति कृत्यकारियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से तथा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय, तहसील या ब्लॉक अथवा मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूल आदि के माध्यम से वैयक्तिक सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीक आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकित कराने के लिए सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन कृत्यकारी उनके आस–पास में ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे नजदीकी स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो विभाग से जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों या तहसील या ब्लॉक या मंडल शिक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्कूलों आदि के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से उनके स्कूल के संबंधित पदधारियों के पास अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा 1 के उप–पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए या उक्त प्रयोजन के लिए उपबंधित वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(सं. 3–24/2016 ईई 14)
रीना रे, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of School Education and Literacy)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 688(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India is Administering Sarva Shiksha Abhiyan, a Centrally Sponsored Scheme, for universalising elementary education across the country in partnership with the State Governments and Union territory Administrations so as to achieve the goals such as universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in education and enhancement of learning levels of children;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan provides for a variety of interventions, include opening of new schools, construction of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks, uniforms and support for learning achievement;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme framed in accordance with the norms and standards and free entitlements as mandated under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which provides a legal framework that entitles all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsery elementary education till its completion and has been designated as the vehicle for implementation of the RTE Act, 2009;

And whereas, section 7 of the RTE Act, 2009 provides that the Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provisions of this Act;

And whereas, under Sarva Shiksha Abhiyan, central share is released to States and Union territories for transferring, the same together with the matching state share as per the applicable fund sharing pattern between Centre and State or Union territories, to the State Implementation Societies, for undertaking the approved activities under the Scheme;

And whereas, teachers or staff (hereinafter called functionaries) are employed to impart education to children and other support for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan and the functionaries are paid salary or honorarium and provided training and training material (hereinafter called benefits), part of which is a recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016 (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

I. (i) A functionary desirous of availing the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication,

(2) A functionary desirous of availing the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan. who does not possess the Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he

or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such functionary may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme (hereinafter referred to as Department) in the State. Government or Union Territory administration which requires a functionary to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the functionaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in tha State Government or Union Territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the functionaries, benefits under the Scheme shall be given to such Individual subject to the production of the following identification documents, namely,-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) any other documents specified by the concerned State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in the State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the functionaries, the Department in the State Government or Union territory administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices by the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal Education Officers, Supervisors, Schools. etc shall be given to the functionaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres: available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) in case, the functionaries under the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through the offices of District Education Officers, Tehsil or Block or Mandal(Education Officers, Supervisors, Schools, etc, is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations; and the functionaries can be requested to register their request for Andhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of their respective School or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of his publication in the Official Gazette in all State and Union Territories except in the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

(No. 3-24/2016-EE-14)
RINA RAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 689 (अ)–सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकृत करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और जबकि भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात एमएचआरडी कहा गया है) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी से पूरे देश के सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सर्व शिक्षा अभियान का प्रशासन कर रहा है जिससे सार्वत्रिक पहुँच और प्रतिधारण शिक्षा में लिंग और सामाजिक प्रवर्ग अंतरालों को पाटने तथा बालकों के शिक्षा के स्तरों में वृद्धि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

और, सर्व शिक्षा अभियान में विविध प्रकार के मध्यक्षेपों का उपबंध है, जिसके अंतर्गत नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूलों और अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के संनिर्माण, शौचालयों और पेयजल, शिक्षकों, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहायता, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी और अधिगम उपलब्धि हेतु सहायता भी है;

और सर्व शिक्षा अभियान स्कीम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई.) अधिनियम, 2009 के अधीन यथा आदेशित मानकों और स्तरमानों तथा निःशुल्क पात्रताओं के अनुसार विरचित की गई है जिसमें ऐसे विधिक ढांचे का उपबंध है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार बनाता है;

और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 7 में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का इस अधिनियम उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा और सर्व शिक्षा अभियान को निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए एक साधन के रूप में अभिहित किया गया है जिनके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, स्कीम के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों को करने के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों (एसआईएस) को सुमेल राज्य शेयर के साथ केन्द्रीय शेयर का अंतरण करने के लिए केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य लागू निधि विभाजन पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय शेयर निर्मोचित किया जाता है;

और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्–

i. सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाएँ और हकदारियाँ प्राप्त करने के पात्र 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों से उनके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

ii. सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रसुविधाएँ और हकदारियाँ प्राप्त करने के पात्र 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों से जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है परंतु वे आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने के हकदार हों। ऐसे बालक आधार हेतु नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

iii. यदि स्कूल के नजदीकी क्षेत्र में नामांकन की सुविधा नहीं है या बालक किसी अन्य कारण से आधार हेतु नामांकन कराने में समर्थ नहीं होता तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे बालक को एक विशिष्ट संख्या आवंटित करेगा जिसका उसकी पृथक पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा तथा ऐसे बालक को भी इस योजना के अधीन प्रसुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

iv. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन हेतु यूआईडीएआई. रजिस्ट्रार होंगे या बनने की प्रक्रिया में होंगे और वे यूआईडीएआई. के परामर्श से नामांकन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर विशेष आधार नामांकन कैम्पों का आयोजन कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रख्यापित प्रसुविधाओं और सेवाओं में से किसी प्रसुविधा या सेवा का उपभोग करने के इच्छुक ऐसे बालकों, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन कैम्पों में या यूआईडीएआई. के विद्यमान रजिस्ट्रार के पास, आसपास के क्षेत्र में किसी भी आधार नामांकन केन्द्र में भी जा सकते हैं। आधार अधिनियम की धारा 5 में यथा विहित आधार नामांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

v. उंगलियों या हाथ में चोट, विकृति, विच्छेदन या किसी अन्य सुसंगत कारण से यदि कोई दिव्यांग बालक उंगलियों के प्रिंट देने में असमर्थ है तो उसका केवल इरिस स्केन किया जाएगा। तथापि ऐसे दिव्यांग बच्चों, जो आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 द्वारा परिकल्पित कोई बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करने में असमर्थ हैं, आधार नामांकन हेतु आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6(2) के निबंधानुसार यूआईडीएआई. द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

vi. यदि आधार के लिए उपयोग किए जाने वाला अधिप्रमाणन या आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो भी बालक सर्व शिक्षा अभियान के अधीन तब तक प्रसुविधाएँ प्राप्त करते रहेंगे जब तक वे समय या आप वर्जित नहीं हो जाते, यदि वे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं, अर्थातः–

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप या

(ii) इस अधिसूचना के पैरा 6 में यथानिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु किए गए अनुरोध की एक प्रति;

(iii) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी विशिष्ट संख्या और

(ख) माता–पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस आशय का एक परिचय–पत्र कि बालक उनके साथ रह रहा है और वह किसी अन्य स्कीम या स्कूल से बालक के लिए इस प्रकार की सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहा हैः

परंतु उपर्युक्त दस्तावेजों की संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के भार साधक विभाग द्वारा अनिहित किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य के पात्र बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता तथा आधार नामांकन हेतु प्रदान की गई सुविधाओं के ब्यौरों के बारे में राज्य परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों, जिला शिक्षा कार्यालयों, ब्लॉक संसाधन केन्द्रों, कलस्टर संसाधन केन्द्रों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. यदि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन पात्र बालक ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन करवाने में असमर्थ हैं तो राज्य परियोजना अधिकारियों से सुविधाजनक स्थान पर नामांकन की सुविधाएँ सृजित करने की

अपेक्षा की जाती है और बालकों से अपने माता–पिता या संरक्षकों के माध्यम से स्कूल में नाम, पता, मोबाइल नम्बर जैसे अन्य विवरण सहित अपना नाम देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

4. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

(सं.3–24/2016ईई–14)
रीना, अपर सचिव

NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 689(E).-Whereas, the use of Aadhaar as an identifier for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government and delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents,to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Human Resource Development in the Government of India (hereinafter referred to as MHRD) is administering Sarva Shiksha Abhiyan, a Centrally Sponsored Scheme, for universalising elementary education, across the country in partnership with the State Governments and Union territory Administrations, so as to achieve the goals such as universal access and retention, bridging of gender and social category gaps in education and enhancement of learning levels of children;

And whereas, the Sarva Shiksha Abhiyan provides for a variety of interventions, including opening of new schools, construction of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provisioning for teachers, periodic teacher training and academic resource support, textbooks, uniforms and support for learning achievement;

And whereas, Sarva Shiksha Abhiyan Scheme. framed in accordance with the norms and standards and free entitlements as mandated under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, which provides a Legal framework that entitles all children in the age group of 6 to 14 years free and compulsory elementary education till its completion;

And whereas, section' 7 of the RTE Act, 2009 provides that the Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out. the provisions of the RTE Act and the Sarva Shiksha Abhiyan has been designated as the vehicle for implementation of RTE Act, 2009 for which central share is released to States and Union territories for transferring the same together with the matching state share as per the applicable fund sharing pattern between Centre and State or Union territory to the State Implementation Societies (SISs), for undertaking the approved activities under the scheme.

And whereas, implementation of Sarva Shiksha Abhiyan involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

(i) Children between the age of 6 to 14 years, eligible to receive benefits and entitlements under the Sarva Shiksha Abhiyan, would be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(ii) Children between the age of 6 to 14 years, eligible to receive benefits and entitlements under the Sarva Shiksha Abhiyan, who do not possess an Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, are requested to apply for Aadhaar enrolment as by 30th June, 2017, provided they are entitled to obtain Aadhaar number as per section 3 of the Aadhaar Act. Such children may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(iii) In case there is no enrolment facility in the neighbourhood areas to a school or a child is not able to enrol for Aadhaar for any other reason, the School Education Department of the State or Union Territory shall allocate a unique number to such child which will be used to separately identify him or her and benefits under this scheme shall be given to such child also,

(iv) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local-authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI. Children desirous for availing any of the benefits and services offered under Sarva Shiksha Abhiyan, who do not possess Aadhaar number or have not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special- Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI. The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the Aadhaar Act shall be followed.

(v) In case of children with special needs who arc unable to provide fingerprints, owing to reasons such as injury, deformities, amputation of the fingers or hands or any other. relevant reason, only Iris scans will be collected. However, for such children with special needs who are unable to provide any biometric information contemplated by the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the procedure specified by the UIDAI in terms of regulation 6(2) of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, shall be followed to carry out enrolment for Aadhaar.

(vi) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, eligible

children shall continue to avail the benefits under Sarva Shiksha Abhiyan till they become time or age barred, if the following documents are produced. namely:-

(a) (i) If they have enrolled for Aadhaar then Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 6 of this notification;
(iii) Unique number issued by School Education Department; and

(b) An undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing same services or benefits for the child from any other Scheme or School:

Provided that the above documents shall be checked by an officer designated by the department in charge of implementation of Sarva Shiksha Abhiyan in the State Government or Union territory Administration.

2. In order to Provide convenient and hassle free benefits under Sarva Shiksha Abhiyan to eligible children between 6 to 14 years, the State Governments, and Union territory Administrations shall make wide publicity through the offices of the State Project Officers, District Education Offices, Block Resourcs Centres, Cluster Resource Centres, etc. about the need for enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.
3. In case, eligible children under Sarva Shiksha Abhiyan are not able to enrol due to non- availability of enrolment centre in the Block or Tehsil or Taluka, the State Projects Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and children through their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names' with other details, such as same, address, mobile number with the school.
4. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 3-24/2016-EE-14]
RINA RAY, Addl. Secy

9. विद्यालय को प्राप्त सहायता राशि/क्राउड फण्डिंग के प्रबन्धन में SDMC/SMC की भूमिका के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/SDMC/22423/2015-17 दिनांकः 25.05.2017 ● समस्त संस्था प्रधान राउमावि/रामावि ● विषयः विद्यालय को प्राप्त सहायता राशि/काउड फण्डिंग के प्रबन्धन में SDMC./SMC. की भूमिका के सम्बन्ध में।

सामाजिक सरोकारों के तहत सामाजिक सम्बद्धता वाले कार्यों के प्रबंधन एवं नियोजन में समुदाय की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण धार्मिक स्थानों, धर्मशालाओं, गौ शालाओं, मुसाफिरखानों आदि में देखा जा सकता है, जहाँ प्रबन्धन भी समुदाय की भागीदारी से होता है एवं संचालन हेतु राशि भी समुदाय द्वारा संग्रहित की जाती है। मंदिरों/मस्ज़िदों/गुरुद्वारों, जल-प्याऊ, गौ शालाओं और अन्य चैरिटेबल ट्रस्टों में रखी गई दान पेटियाँ समुदाय की भागीदारी, प्रबंधन एवं नियोजन का सुन्दर स्वरूप हैं। उक्त सहायता में सभी का योगदान भी होता है एवं सहायता का स्वरूप गुप्त होने के कारण सभी की संतुष्टि समाहित रहती है।

यद्यपि विद्यालयों में आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि कार्यक्रमों में सहायता/प्रोत्साहन राशि विद्यालयों को प्राप्त होती है, तथापि व्यवस्थित रूप से संग्रहण एवं उसके नियोजन की समुचित प्रक्रिया न होने से वह सुव्यवस्थित नहीं है। 'क्राउड फण्डिंग' को व्यवस्थित रूप दिए जाने के लिए इसके संग्रहण एवं नियोजन में समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। विद्यालय भी समुदाय की दृष्टि में आस्था का केन्द्र है। विद्यालयों में भविष्य का समुदाय तैयार होता है। इस क्रम में प्रत्येक विद्यालय में एक समुदाय का लघु स्वरूप अभिव्यक्त होता है। अतः विद्यालय हेतु 'क्राउड फण्डिंग' की प्राप्ति एवं उसका प्रबंधन भी समुदाय अर्थात् SDMC./SMC. के सहयोग से होना चाहिए, जिससे समुदाय का यह विश्वास बना रहे कि उनके द्वारा विद्यालय में उन्हीं के बालक-बालिकाओं हेतु दी जाने वाली सहायता का समुचित उपयोग हो रहा है।

इस हेतु धौलपुर जिले के कुछ विद्यालयों में की गई पहल अनुकरणीय हो सकती है। वहाँ के कुछ विद्यालयों में सरस्वती मंदिर अथवा कार्यालय कक्ष के बाहर बरामदे में एक बड़ी सी पेटी रखी गई है, जिसे नाम दिया गया है 'अक्षय पेटिका।' इस पेटिका में दो ताले लगे हुए हैं, जिसकी एक चाबी संस्था प्रधान और दूसरी SDMC./SMC. द्वारा मनोनीत समुदाय के किसी व्यक्ति के पास रहती है, जिसका मनोनयन SDMC./SMC. की बैठक में प्रस्ताव लेकर किया जाता है। उक्त 'अक्षय पेटिका' में विद्यालय में आने वाला कोई भी विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय का सदस्य, जो विद्यालय को दी जाने वाली सहायता को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, अपनी सहायता राशि इस पेटिका में डाल सकता है। विद्यार्थी और अध्यापक विभिन्न अवसरों (जन्मदिवस, विवाह, विवाह की वर्षगांठ, पदोन्नति) पर इस पेटिका में कुछ राशि डालते हैं। हाल ही में धौलपुर जिले के राउमावि. सैपऊ में उक्त 'अक्षय पेटिका' का विधिवत उद्घाटन भी किया गया, जिसमें न केवल वहाँ उपस्थित नागरिकों वरन् उपखण्ड अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, ए.डी.पी.सी., संस्थाप्रधान, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा भी उक्त पेटिका में संग्रहित राशि को विधिवत खाते में प्रविष्ट किया जाकर विद्यालय एवं विद्यार्थियों की आवश्यकतानुरूप व्यय किया जाता है।

उक्त 'अक्षय पेटिका' का प्रत्येक विद्यालय में संधारण न केवल 'क्राउड फण्डिंग' का व्यवस्थित स्वरूप है, वरन् इसके प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी इसे और भी प्रभावी बना सकती है। सैपऊ (धौलपुर) की ही भाँति अन्य विद्यालय भी उक्त पहल को सामाजिक सरोकार का स्वरूप देकर न केवल समुदाय की भागीदारी बढ़ा सकते हैं, वरन् विद्यालय के आकस्मिक/अतिरिक्त व्यय हेतु स्वपोषित हो सकते हैं।

● **(नथमल डिडेल)** आइ.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) छात्रवृत्ति भुगतान बाबत।

● पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा-द/पन्नाधाय/जीअयो/2016-17 दि. 31.05.2017

योजना का संक्षिप्त परिचय-

केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) एवं आस्था कार्डधारी परिवारों के मुखिया/कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सम्बल देने के उद्देश्य से निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा तथा ऐसे परिवार के कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना।

प्रारम्भ होने का वर्ष- 2006

लाभान्वित वर्ग- बीमित बी.पी.एल. परिवारों के कक्षा 9 से 12 अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को।

पात्रता-

1. बीमित सदस्य के कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को यह छात्रवृत्ति देय है।
2. अभिभावक का इस योजना के अन्तर्गत बीमित होना आवश्यक है।
3. छात्र/छात्रा के अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान देय नहीं।

छात्रवृत्ति दर- रुपये 100 प्रति छात्र प्रतिमाह अथवा 300 रु. प्रति छात्र तिमाही के आधार पर प्रतिवर्ष 1200 रु. प्रतिछात्र किन्तु अधिकतम 4 वर्षों के लिए देय है।

कार्यकारी एजेन्सी-

1. ग्रामीण क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवक के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. शहरी क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

क्रियान्विति के चरण

समस्त संस्थाप्रधान विद्यालय में प्रवेश के दौरान ही ऐसे बालकों को चिह्नित करें तथा उनके आवश्यक दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही समस्त पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों की सूचना भी संग्रहित करें। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम आगामी अगस्त माह में जारी किया जाएगा। इसमें निम्नांकित चरणों में कार्य सम्पन्न किया जाना है।

1. संस्थाप्रधान द्वारा पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र भरवाकर सूचीबद्ध करना।
2. संस्थाप्रधान द्वारा आवेदन पत्रों को संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को प्रस्तुत करना एवं उसकी प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ संस्थाप्रधानों से प्राप्त सूची को समेकित कर जिला स्तर पर भरे गए आवेदन पत्रों का संकलित रिकार्ड तैयार करना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे गए आवेदनों की जानकारी लेना।
5. समस्त आवेदन पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे जाने का प्रमाण-पत्र संबंधित मंडल अधिकारी को प्रस्तुत करना।
6. मंडल अधिकारी द्वारा समेकित प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करना।

11. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में नियम 6 डी के परन्तुक (iii) में वर्णित 'पंचायत समितियों में कम से कम पाँच (5) वर्ष की सेवा की हो' के स्थान पर 'पंचायत समितियों में कम से कम तीन (3) वर्ष की सेवा की हो' किए जाने हेतु नियम संशोधन बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/वरिष्ठता/के-4/11356(105)/13-14/160 दिनांक 02.06.2017 ● निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● विषयः राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में नियम 6 डी के परन्तुक (iii) में वर्णित 'पंचायत समितियों में कम से कम पाँच (5) वर्ष की सेवा की हो' के स्थान पर 'पंचायत समितियों में कम से कम तीन (3) वर्ष की सेवा की हो' किए जाने हेतु नियम संशोधन बाबत। ● प्रसंगः राज्य सरकार का पत्र पत्रांक प 16 (1) शिक्षा-2/2016 दिनांक 29.05.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में नियम 6 डी के परन्तुक (iii) में वर्णित 'पंचायत समितियों में कम से कम पाँच (5) वर्ष की सेवा की हो' के स्थान पर 'पंचायत समितियों में कम से कम तीन (3) वर्ष की सेवा की हो' किए जाने के संशोधन बाबत कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(6) डीओपी/ए-।।/84 दिनांक 29.05.2017 जारी कर संशोधन कर दिया गया है।

अतः अधिसूचना दिनांक 29.05.2017 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

●संयुक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

● राजस्थान सरकार कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग ● सं.एफ.2 (6)डीओपी/ ए-।।/84 जयपुर दिनांक 29.05.2017 ● अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम 2017 है। (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 6 घ का संशोधन**–राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 6 घ के परन्तुक के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति '5 वर्ष' के स्थान पर अभिव्यक्ति '3 वर्ष' प्रतिस्थापित की जाएगी।

● (सुनील शर्मा) संयुक्त शासन सचिव। कार्मिक (क.ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर

● Government of Rajasthan Department of Personnel (A-Gr.-II) ● No.F.2(6)DOP/A-II/84 Jaipur, dated: 29.05.2017 ● Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971, namely:-

1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Rajasthan Educational Subordinate Service (Amendment) Rules, 2017.
   (2) They shall come into force with immediate effect.
2. **Amendment of rule 6D-** In clause (iii) of proviso to rule 6D of the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971, for the existing expression '5 Years' the expression '3 Years', shall be substituted.

By order and in the name of the Governor
● **(Sunil Sharma)** Joint Secretary to the Government

12. 'सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार' योजनान्तर्गत वर्ष–2014 एवं 2015 हेतु सूची

● विषय : 'सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार' योजनान्तर्गत वर्ष : 2014 एवं 2015 हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर चयनित विद्यालयों एवं संस्थाप्रधानों की सूची प्रकाशन बाबत। ● प्रसंग : प.17(8)शिक्षा-1/2008, जयपुर, दिनांक : 09.04.2008

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक निर्देशानुसार ''सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार'' योजनान्तर्गत वर्ष : 2014 एवं 2015 हेतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग में जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर चयनित विद्यालयों एवं संस्था प्रधानों की सूची निम्नानुसार है:-

संलग्न-उपर्युक्तानुसार (चार सूचियाँ)

● **(विजय शंकर आचार्य)** उप निदेशक (माध्यमिक) ● क्रमांक : शिविरा-मा/निप्र/डी-1/21902/ वि.पु./2015/103 दिनांक : 14.06.2017

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार-2014 हेतु चयनित
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम
		राज्य स्तर	
1.	पाली	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाडन, पाली	श्री रामसिंह पुरोहित
		मण्डल स्तर	
1.	चूरू	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाजला (झुंझुनूं)	श्रीमती सुशीला जानु
2.	जोधपुर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय तारातरा, बाड़मेर	श्री संदीप शर्मा
3.	कोटा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कलक्ट्री, झालावाड़	श्री बंशीधर सोनी
4.	अजमेर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनजारी, अजमेर	श्री शशिकान्त मिश्रा
5.	उदयपुर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भगोरा गढ़ी, बाँसवाड़ा	श्री सुभाष चन्द्र जोशी
6.	भरतपुर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिबस्या, सवाई माधोपुर	श्री नाथूलाल गुप्ता
7.	बीकानेर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय साहूवाला, हनुमानगढ़	श्री तिलक सिंह सोलंकी
8.	पाली	राजकीय आ.मा. विद्यालय दोरनड़ी, सोजत, पाली	श्री जगदीश चन्द्र
		जिला स्तर	
1.	कोटा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गन्धीफली, कोटा	सुश्री गरिमा राठौर
2.	बून्दी	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुडली, केशोरायपाटन, बून्दी	श्री रामस्वरूप मीणा
3.	बारां	राजकीय माध्यमिक विद्यालय जीरोद, बारां	श्री प्रमोद कुमार शर्मा
4.	झालावाड़	राजकीय माध्यमिक विद्यालय तोपखाना, झालावाड़	श्री असगर अली अंसारी
5.	टोंक	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खजूरिया, टोंक	श्री राधेश्याम बाहेती (से.नि. 31.1.14)
6.	बीकानेर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रोड़ा, बीकानेर	श्रीमती संतोष चौधरी
7.	हनुमानगढ़	राजकीय माध्यमिक विद्यालय निरवाल, हनुमानगढ़	श्री चेतराम
8.	श्री गंगानगर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कमीनपुरा, श्री गंगानगर	श्री सुखपाल सिंह
9.	सिरोही	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिन्दरथ, सिरोही	श्री भंवर लाल सोनी

सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार-2014 हेतु चयनित
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम
		राज्य स्तर	
1.	कोटा	राजकीय उच्च माध्यमिक वि. डाबी (बून्दी)	श्री ओम प्रकाश मुद्गल
		मण्डल स्तर	
1.	जयपुर	राजकीय बालिका उ.मा.वि. चौड़ा रास्ता, जयपुर	डॉ. अलका तिवाडी
2.	चूरू	राजकीय उ.मा.वि. लोहा (चूरू)	श्री कुलदीप कुमार व्यास
3.	जोधपुर	श्रीमती गोमा देवी गहलोत रा.बा.उ.मा.वि. कालीबेरी	श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव
4.	कोटा	राजकीय उ.मा.वि. बकानी, झालावाड़	श्री शिवलाल मीणा
5.	अजमेर	राजकीय उ.मा.वि. सराधना, अजमेर	श्रीमती तरनजीत कौर
6.	उदयपुर	राजकीय बा.उ.मा.वि. ठीकरिया (बांसवाडा)	श्रीमती गायत्री स्वर्णकार
7.	भरतपुर	राजकीय उ.मा.वि. रामगढ़ मुराड़ा (सवाई माधोपुर)	श्री कमलेश कुमार जोशी
8.	बीकानेर	राजकीय उ.मा.वि. हनुमानगढ़ जंक्शन (हनुमानगढ़)	श्री बलविन्द्र सिंह
9.	पाली	आचार्य श्री भिक्षु रा.उ.मा.वि. सिरयारी (पाली)	श्री प्रकाश चन्द्र सिंगाड़िया
		जिला स्तर	
1.	जयपुर	राजकीय उ.मा.वि. बाधावास, सांभर, जयपुर	श्री दलवीर सिंह
2.	सीकर	राजकीय उ.मा.वि. सांवलोदा धायलान, सीकर	श्री मालचन्द भास्कर
3.	झुंझुनूं	राजकीय उ.मा.वि. उदावास, झुंझुनूं	डॉ. उमादत्त झाझड़िया
4.	बून्दी	राजकीय उ.मा.वि. खेरखटा, बून्दी	श्री ओम प्रकाश लढ़ा
5.	बारां	राजकीय उ.मा.वि. कोटडी, छबड़ा, बारां	श्री छोटे लाल टेलर
6.	झालावाड़	राजकीय उ.मा.वि. मिश्रोली, झालावाड़	श्री बालाराम बालोदिया
7.	अजमेर	राजकीय जैन गुरुकुल उ.मा.वि. ब्यावर, अजमेर	श्री कान्ता प्रसाद चौहान
8.	भीलवाड़ा	राजकीय बालिका उ.मा.वि. हुरड़ा, भीलवाड़ा	श्रीमती वीणा अग्रावत
9.	चित्तौड़गढ़	राजकीय उ.मा.वि. निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़	श्री अरविन्द कुमार मून्दडा
10.	बांसवाड़ा	राजकीय बालिका उ.मा.वि. खान्दू कॉलोनी, बाँसवाड़ा	श्री शम्मे फरोज बतूल 'अंजुम'
11.	राजसमन्द	राजकीय बालिका उ.मा.वि. रेलमगरा, राजसमन्द	श्रीमती उषा टेलर
12.	धौलपुर	राजकीय उ.मा.वि. बाड़ी, धौलपुर	श्री महेश कुमार मंगल
13.	सवाईमाधोपुर	राजकीय उ.मा.वि. भगवतगढ़, सवाई माधोपुर	श्री नीरज कुमार भास्कर
14.	बीकानेर	राजकीय उ.मा.वि. सेवगों की बगीची, नत्थुसरगेट, बीकानेर	श्री रमेश कुमार रंगा
15.	पाली	राजकीय आ.उ.मा.वि. माण्डा, पाली	श्री देवाराम
16.	जालौर	राजकीय आ.उ.मा.वि. सांकरना, जालौर	श्री श्याम सुन्दर सोलंकी

सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार-2015 हेतु चयनित
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम
		राज्य स्तर	
1.	नागौर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पांचोता, नावां, नागौर	श्री दीपक कुमार गौड़
		मण्डल स्तर	
1.	चूरू	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पलसाना, सीकर	श्रीमती राजरानी अरोड़ा
2.	जोधपुर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोड़ता अचलावता, जोधपुर	श्री मोहन लाल देवासी
3.	कोटा	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पलायथा, बारां	श्रीमती निशा शर्मा
4.	अजमेर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनाकर, अजमेर	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
5.	उदयपुर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सालिया, गढ़ी, बांसवाड़ा	श्री भेमाजी यादव
6.	बीकानेर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय असरजाना, हनुमानगढ़	श्री विनोद कुमार (कार्यवाहक प्रअ.)
		जिला स्तर	
1.	बारां	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अरनियां, अटरू, बारां	श्री रामदयाल नागर
2.	बीकानेर	राजकीय उ.मा.वि. कालासर, बीकानेर (नव कमौन्नत)	श्री मुनीराम लेघा

सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार-2015 हेतु चयनित
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	संस्था प्रधान का नाम
		राज्य स्तर	
1.	चुरू	राजकीय उ.मा.वि. सिंहासन, सीकर	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत
		मण्डल स्तर	
1.	जयपुर	राजकीय उ.मा.वि. कलसाड़ा, अलवर	डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
2.	चूरू	राजकीय मोहता बालिका उ.मा. विद्यालय राजगढ़, चूरू	श्रीमती सुमन जाखड़
3.	जोधपुर	राजकीय उ.मा.वि. आंगणवा, जोधपुर	श्री सोहन राम विश्नोई
4.	कोटा	राजकीय उ.मा.वि. भदाना, कोटा	श्री गंगाधर मीना
5.	अजमेर	राजकीय सावित्री बालिका उ.मा.वि. अजमेर	श्रीमती रंजू पारीक
6.	उदयपुर	राजकीय बालिका उ.मा.वि. टाउन नई बस्ती, डूंगरपुर	श्रीमती गिरिजा वैष्णव
7.	भरतपुर	राजकीय उ.मा.वि. बाड़ी, धौलपुर	श्री महेश कुमार मंगल
8.	बीकानेर	राजकीय उ.मा.वि. किशनपुरा दिखनादा, हनुमानगढ़	श्री जितेन्द्र कुमार
		जिला स्तर	
1.	जयपुर	राजकीय सेठ आ.ला.पो.मूक बधिर उ.मा.वि., जयपुर	श्री महेश वाधवानी
2.	सीकर	राजकीय उ.मा.वि. तारपुरा, सीकर	श्री हुकम सिंह महला
3.	हनुमानगढ़	राजकीय उ.मा.वि. भूकरका, हनुमानगढ़	श्री महेन्द्र सिंह सिहाग
4.	बीकानेर	राजकीय उ.मा.वि. सर्वोदय बस्ती, बीकानेर	श्री राजकुमार सोनी
5.	झुंझुनूं	राजकीय उ.मा.वि. नूआँ, झुंझुनूं	श्री नईम अहमद
6.	जैसलमेर	राजकीय उ.मा.वि. हमीरा, जैसलमेर	श्री धनगिरी गोस्वामी
7.	बाड़मेर	राजकीय बालिका उ.मा.वि. पचपदरा, बाड़मेर	श्रीमती विमला
8.	कोटा	राजकीय बालिका उ.मा.वि. कुन्हाडी, कोटा	श्रीमती कृति मेहरोत्रा
9.	बारां	राजकीय उ.मा.वि. कटावर, बारां	श्री तुलसी राम नागर
10.	झालावाड़	राजकीय बालिका उ.मा.वि. भवानी मण्डी, झालावाड़	श्री हन्दु हाडा
11.	उदयपुर	राजकीय बालिका उ.मा.वि. गरीब नगर, उदयपुर	श्रीमती प्रेरणा नौसालिया
12.	बांसवाड़ा	राजकीय उ.मा.वि. परतापुर, बांसवाड़ा	श्री रमेश चन्द्र पाटीदार
13.	राजसमन्द	राजकीय उ.मा.वि. रेलमगरा, राजसमन्द	श्रीमती उषा टेलर
14.	धौलपुर	राजकीय उ.मा.वि. विरौंधा, धौलपुर	श्री वीरी सिंह

13. हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाइड्स संगठन की राज्य कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु।

● राजस्थान सरकार ● शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ● क्रमांक पं.1(09)शिक्षा-2/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.4.2017 ● निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। ● विषय : हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड्स संगठन की राज्य कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड, संगठन की राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नांकित वरिष्ठ अधिकारियों को उनके सामने अंकित पदों पर अवेतनिक रूप से (Ex-Officio) कार्य करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संगठन में पद नाम	पद नाम
1.	राज्य मुख्य आयुक्त पद पर	शासन सचिव, शिक्षा
2.	राज्य आयुक्त (स्काउट) पद पर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3.	राज्य आयुक्त (कब) पद पर	संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

● भवदीय, शासन उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा

● हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य, राज्य मुख्यालय ● राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उ.मा. विद्यालय के पास गांधी ग्राउण्ड, चेतक सर्कल, उदयपुर।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(09) शिक्षा-1/2014 पार्ट दिनांक 27.04.2017 की अनुपालना में हिन्दुस्तान स्काउट व गाइड्स राज्य मुख्यालय में राज्य मुख्य आयुक्त के पद का दिनांक 27.04.2017 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सूचनार्थ

● **(नरेशपाल गंगवार)** आई.ए.एस. राज्य मुख्य आयुक्त ● क्रमांकः FI(1)हिन्दुस्तान/स्काउट व गाइड/2017 दिनांक 27.05.2017

● हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य, राज्य मुख्यालय ● राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उ.मा. विद्यालय के पास, चेतक सर्कल, उदयपुर।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(09) शिक्षा-1/2014 पार्ट दिनांक 27.04.2017 की अनुपालना में हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड्स राजस्थान राज्य, राज्य मुख्यालय में राज्य आयुक्त (स्काउट) के पद का दिनांक 18.05.2017 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सूचनार्थ

● **(नथमल डिडेल)** आइ.ए.एस. राज्य आयुक्त (स्काउट) ● क्रमांकः FI(1)हिन्दुस्तान/स्काउट व गाइड/2017 दिनांक 01.06.2017

पद ग्रहण स्वीकृति पत्र

मैं आज दिनांक 15.05.2017 को राज्य आयुक्त (कब), हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स का पद ग्रहण करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

● **(कमलेश आबूसरिया)** शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

● हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य, राज्य मुख्यालय ● राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उ.मा. विद्यालय के पास, चेतक सर्कल, उदयपुर। ● F1[1] हिन्दुस्तान/स्का. गाइड/नियुक्ति/2017 दिनांक 15.05.2017

कार्यालय आदेश

हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स राजस्थान राज्य संगठन की राज्य कार्यकारी समिति में निम्नांकित अधिकारियों को उनके सामने अंकित पदों पर अवैतनिक रूप से कार्य करने की नियुक्ति की जाती है।

क्र.स.	नाम	पदनाम	संगठन के पद नाम
1.	श्री सुनील शर्मा	संयुक्त शासन सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा) आयोजना	राज्य आयुक्त (समन्वय)
2.	श्री रामेश्वर जाट	अनुभागाधिकारी (शिक्षा ग्रुप-2)	राज्य मुख्यालय, आयुक्त (समन्वय)

राज्य मुख्य आयुक्त

● हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, राजस्थान राज्य, राज्य मुख्यालय ● राजकीय गुरु गोविन्द सिंह उ.मा. विद्यालय के पास, चेतक सर्कल, उदयपुर।● F1[1]हि.स्का.गा./2017/99 दिनांक 06.06.17

कार्यालय आदेश

हिन्दुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स राजस्थान राज्य संगठन की राज्य कार्यकारी समिति में निम्नांकित अधिकारियों को उनके सामने अंकित पद पर अवैतनिक रूप से कार्य करने की नियुक्ति की जाती है।

क्र.स.	नाम	पद नाम	संगठन के पद नाम
1	श्री सत्यनारायण यादव	अनुसंधान अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)	सहायक राज्य आयुक्त (कब) प्रारम्भिक शिक्षा

राज्य मुख्य आयुक्त

14. विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ●परिपत्र

अविनाश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में तथा उप रजिस्ट्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर परिवाद संख्या 16/01/1490/6892 दिनांक 04.05.2016 की आदेशिका दिनांक 21.04.16 तथा क्रमांक शिविरा-माध्य/साप्र/डी-2/स.न्या./या-483-04/05 दिनांक 23.06.2016 के क्रम में उन स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं में जहाँ पर भोजनशाला में मिड-डे मील बनाया/पकाया जाता है, उन विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश के क्रम में पुनः पारित किये जाते है, पालना को सुनिश्चित करावें।

1. प्रत्येक विद्यालय में अग्निशमन यंत्र अवश्य हो।
2. विद्यालय की विद्युत आपूर्ति लाईन, विद्युत उपकरण, स्वीच बोर्ड तार नंगे न हो, सुरक्षित एवं उपयुक्त हो। इस बाबत संस्था प्रधान तथा विद्यालय विकास कोष समिति के सदस्य सत्र आरम्भ होने से पूर्व जाँच कर पुष्टि कर लेवें।
3. आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में रसोई, कक्षा कक्षों से पर्याप्त दूरी पर खुले स्थान पर हो।
4. विद्यालय की प्रयोगशाला कक्ष विद्यालय परिसर कक्षा कक्षों से पृथक ऐसे स्थान पर हो जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके तथा जल भण्डारण वहाँ से अधिक दूर न हो।
5. विद्यालय में जल भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा यह ऐसे स्थान पर हो जहाँ आवश्यकता/आपात स्थिति में आसानी से पहुँचा जा सके।
6. विद्यालय में कक्षों की प्रत्येक पंक्ति पर पर्याप्त दूरी पर रेत के थैले (सेन्ड बैग) तथा रेत की बाल्टियाँ (सेन्ड बकेट) रखी हो, जो दुर्घटना पर अविलम्ब उपलब्ध हो सके।
7. विद्यालय में टूटा-फूटा सामान, रद्दी कागज, लकड़ी, ज्वलनशील एवं अनुपयोगी सामग्री को सुरक्षित स्थानों पर रखा जावें। समय समय पर अनुपयोगी सामग्री के अपलेखन हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें।
8. विद्यालय में अग्नि सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों, आपदा प्रबन्ध अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों के दूरभाष नम्बर एवं पते उपलब्ध हो जिससे आवश्यकता/आपात स्थिति में बचाव कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।
9. सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान न करने की वैधानिक पालना/चेतावनी हो।
10. प्रार्थना सभा में समय समय पर अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्देश दिये जावें।
11. अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठकों में विद्यालय की अग्नि सुरक्षा की समीक्षा एवं इसे दृढ़ करने की चर्चा/कार्यवाही की जावे।

12. विद्यालय का निरीक्षण करने समय विद्यालय की अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित स्थितियों का जायजा लिया जावें।
13. आपात स्थिति में बचाव के सर्वोत्तम तरीकों को विवेकानुसार इस्तेमाल किया जा सकता। है।

● **(नथमल डिडेल)** आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/डी-2/विविध/2016-17 दिनांक 15.06.2017

15. विद्यालयों/कार्यालयों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र

राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 06.07.2016 एवं निर्देश क्रमांक शिविरा-माध्य/साप्र/डी-3/विविध सूचना/10 दिनांक 08.04.2011 तथा 26.08.2016 के अनुसरण में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों में स्थित पेजयल संग्रहण टंकियों की नियमित सफाई करने, उचित मापदण्ड के अनुसार से उन पेयजल टंकियों में जल को सुरक्षित रखने के उचित तरीकों को काम में लाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि विद्यालयों/कार्यालयों में यथा विद्यार्थियों/कार्मिकों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता रहे। उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।

1. विद्यालय/कार्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
2. प्रत्येक विद्यालय/कार्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुरक्षित एवं उपयुक्त हो। इस बाबत कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान तथा विद्यालय विकास कोष समिति के सदस्य नियमित रूप से उचित अंतराल पर साफ-सफाई की जाँच कर पुष्टि करें।
3. पेयजल टंकियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उचित प्रकार से ढक कर रखे जाने की उचित व्यवस्था रखी जावें जिससे विद्यार्थियों/कार्मिकों को केवल साफ सुथरा एवं कीटाणु रहित दोषमुक्त पेयजल ही उपलब्ध हो, बल्कि संभावित दूषित जल जनित बीमारियों से भी बचाव रहे।
4. विद्यालय/कार्यालय में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा यह ऐसे साफ-सुरक्षित स्थान पर हो जहाँ आवश्यकता होने पर आसानी से पहुँचा जा सके।
5. पेयजल टंकियों की सफाई तथा नियमित अन्तराल पर जाँच का ब्यौरा एक रजिस्टर में संधारित किया जाना चाहिये, इस हेतु शाला/संस्था प्रधान नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लावें।
6. अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठकों में विद्यालय की टंकियों की सफाई/पेयजल समीक्षा एवं इसे दृढ़ करने की चर्चा/कार्यवाही की जावें।
7. निरीक्षण दल द्वारा कार्यालय/विद्यालय का निरीक्षण अथवा आकस्मिक विजिट करने के समय विद्यालय की उक्त पेयजल सम्बन्धित स्थितियों का जायजा लिया जावें।
8. बरसात के दिनों में जलजनित रोगों की आशंका बनी रहती है अतः वर्षाकाल में विशेष रूप से टंकियों के साफ शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था रखी जानी चाहिये। शाला/संस्था से सम्बन्धित क्षेत्र विशेष के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से भी उक्त के सम्बन्ध में उचित सलाह/सहयोग/मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
9. पतझड़ का समय पूर्ण होने के बाद गर्मी तत्पश्चात वर्षा का मौसम होता है। शाला/संस्थाप्रधान स्तर से वर्षाकाल से पूर्व ही विद्यालय/संस्था के ऊपरी मंजिलों/छत्रों की पतझड़ के कारण एवं अन्य साफ-सफाई तथा वर्षा जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था निर्धारण की जानी चाहिये।
10. आपात स्थितियों में बचाव के सर्वोत्तम तरीकों को विवेकानुसार इस्तेमाल किया जा सकता है।

● **(नथमल डिडेल)** आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/डी-2/विविध/2016-17 दिनांक 15.06.2017

16. अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान बाबत संशोधन।

● राजस्थान सरकार ● वित्त विभाग नियम अनुभाग ● प.8(10)वित्त/नियम/2009 जयपुर, दिनांक 14.06.2017 ● आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 योगेश शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.12.2016 की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गए थे कि राजकीय सेवा में सेवारत पति-पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। यह आदेश माह जनवरी 2017 के वेतन से प्रभावी किया गया था।

उपरोक्त संदर्भित जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की पालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

आदेश दिनांक 30.01.2017 की पालना में जिन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान माह जनवरी 2017 से रोका गया है, का एरिया मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के प्रावधानानुसार देय होगा।

● **(मंजू राजपाल)** शासन सचिव, वित्त (बजट) ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/अभिलेख/5916/2017 दिनांक 19.6.2017

माह : जुलाई, 2017	**विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम**	प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ्यक्रमांक	पाठ का नाम
1.7.2017	शनिवार	जयपुर		शिक्षा मंत्री/शिक्षा सचिव का संदेश		
3.7.2017	सोमवार	जयपुर		विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सत्र 2017–18 एक नजर		
4.7.2017	मंगलवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
5.7.2017	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
6.7.2017	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
7.7.2017	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
8.7.2017	शनिवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
10.7.2017	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
11.7.2017	मंगलवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		विश्व जनसंख्या दिवस–उत्सव
12.7.2017	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
13.7.2017	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
14.7.2017	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
15.7.2017	शनिवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
17.7.2017	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
18.7.2017	मंगलवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
19.7.2017	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
20.7.2017	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
21.7.2017	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
22.7.2017	शनिवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
24.7.2017	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
25.7.2017	मंगलवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
26.7.2017	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
27.7.2017	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
28.7.2017	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
29.7.2017	शनिवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
31.7.2017	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		

● निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, अजमेर।

आवश्यक सूचना

'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा– नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अतः अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय–समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता। जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBBJ बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग–अलग संलग्न करें।

–वरिष्ठ संपादक

आत्मविश्वास

बालिकाओं में आत्मरक्षा

❒ जगदीश सेन

जीवन में आत्मबल या आत्मविश्वास की महती आवश्यकता है। अतः वर्तमान समय में यह अति आवश्यक हैं कि हम समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलें। बदलते परिवेश में महिलाएँ/बालिकाएँ आत्मबल या आत्म-विश्वास की कमी के कारण अपने आपको असुरक्षित सी महसूस करने लगी हैं। वे अपने आपको कोसती है कि उन्हें महिला-बालिका नहीं होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो वे यह सोचें कि 'आप विधाता की अद्‌भुत कृति है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है।' यही सबसे बड़ा आत्मबल है। मनोचिकित्सक भी कहते हैं-''खुद पर गर्व करें, इससे आत्मबल बढ़ेगा।''

मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा से ही बालिकाओं को सक्षम बनाया जाना चाहिए जिससे कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी ताकत के साथ उन चुनौतियों का सामना कर सकें। बालिकाओं को सक्षम और योग्य बनाया जा सके। इसके लिए विद्यालयों में पढ़ने लिखने के साथ-साथ आत्मसुरक्षा (सेल्फ-डिफेंस) की ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण भीड़-भाड़ भरे माहौल अथवा पुरुष बाहुल्य वाले क्षेत्रों में महिलाएँ-बालिकाएँ अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं, अतः जब तक मानव की आधी आबादी को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक अपने समाज को हम सभ्य समाज का दर्जा नहीं दिला सकते।

इस हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाए जाने की आवश्यकता हैं। बालिकाओं के मन में जो डर व भय बैठा हुआ है उसे दूर करने के लिए उन्हें यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि वे इस दिशा में आत्मनिर्भर बनें। इस हेतु समय-समय पर बालिकाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन विभिन्न विभागों-यथा शिक्षा, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग, नेहरु युवा केन्द्र समाज कल्याण विभाग, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा (N.G.O.) द्वारा समय-समय पर किया जाना चाहिए।

महिलाओं-बालिकाओं में बढ़ती अप्रिय घटनाओं का एक महत्त्वपूर्ण कारण ग्रामीण परिवेश में जागरूकता की बेरोजगारी कमी का होना हैं। अशिक्षित वर्ग द्वारा अमूमन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता हैं। बालिकाओं में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के निम्नांकित रूप से विभिन्न महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

माता-पिता या अभिभावक की भूमिका – बालिकाओं को आत्म रक्षा के लिए प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका उनके माता-पिता, अभिभावक या संरक्षक की रहती हैं उन्हें चाहिए कि वे समय-समय पर प्रेरणा देकर उन्हें मानसिक रूप से तैयार करें। यदि किसी स्थान पर वे असहज महसूस करें या खतरे की संभावना लगे तो उन्हें अपने माता-पिता या पारिवारिक सदस्यों से अवश्य चर्चा करनी चाहिए और होने वाले खतरों के बारे में अवगत करवाना चाहिए जिससे कि भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी घटना से समय पूर्व सुरक्षा की जा सके।

खेलों की भूमिका – आत्मसुरक्षा में खेलों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है खेल बालिकाओं के इस क्षेत्र में जीवन का टर्निंग पोइण्ट हो सकता है खेलों के माध्यम से उनमें आत्म रक्षा, आत्म सम्मान, नेतृत्त्व क्षमता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, सामूहिक योगदान जैसे कौशल का व्यक्तिगत विकास होगा। अतः विद्यालय स्तर पर प्रत्येक बालिका हेतु खेल अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। बालिकाओं को अपने आप को शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए मुख्य रूप से जूडो कराटे व कुश्ती जैसे व्यक्तिगत खेलों में अनिवार्यतः भाग लेना चाहिए जिससे वे आत्मरक्षा के कौशल सीख सके। अतः खेलों को अनिवार्य शिक्षा में जोड़ा जाना चाहिए, दर्जनों प्रेरक पुस्तकें लिखने वाले विद्वान लेखक डॉ. फ्रेक क्रेन ने लिखा है कि ''जो लोग खेलकूद पसंद नहीं करते वे दुनिया के गरीब लोगों में शुमार हैं।'' खेलकूद की गतिविधियों में दिलचस्पी लेंगे तो आप बुरे दौर में भी खुश रहने और आत्मसुरक्षा की विद्या सीख लेंगे। हरियाणा प्रान्त के छोटे से गाँव की महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने जिस प्रकार रुढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ कर गीता फोगाट एवं सुनीता ने बालिकाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल पूरे भारत भर में पेश की हैं। वह अनुकरणीय है।

पुलिस की भूमिका –बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने की सबसे महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होती है, महिलाओं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या दुष्कर्म की घटनाओं पर तुरन्त कार्यवाही की जाकर अपराधियों को सजा देनी चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन-शिष्टाचार' के तहत अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मनचलों की धरपकड़ कर उन्हें सजा दी गई उसी प्रकार देश की हर राज्य सरकारों को ऐसे ही अभियान चला कर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालिका विद्यालयों एवं कॉलेजों के बाहर मंडराते मनचलों एवं आवारा प्रवृत्ति के युवकों द्वारा बालिकाओं को छेड़ने उन पर भद्दी फब्तियाँ कसने की बढ़ती घटनाओं के फलस्वरूप जयपुर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान-ऑपरेशन रोमियों के माध्यम से उन असामाजिक तत्त्वों की धरपकड़ की गई ऐसा ही अभियान पुलिस विभाग द्वारा आकस्मिक रूप से समय-समय पर आयोजित करने चाहिए। पुलिस विभाग द्वारा Toll Free Help Line No. जारी करने चाहिए जिस पर प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही विभाग द्वारा होनी चाहिए। इस हेतु पुलिस विभाग द्वारा निम्न उपाय किए जाने चाहिए।

1. बालिका उ.मा.वि. व कॉलेज के बाहर

पुलिसकर्मी तैनात किए जाएँ।

2. प्रत्येक चौराहे एवं प्रमुख स्थानों पर Help line No. डिसप्ले हो।
3. ऐसे स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी तैनात हो जहाँ भीड़भाड़ ज्यादा हो।
4. पुलिस चौकी-थानों में महिला डेस्क की व्यवस्था हो।
5. पुलिसकर्मियों द्वारा समय-समय पर बालिका विद्यालय कॉलेजों में आत्म सुरक्षा सम्बन्धी सेमीनार, वार्ता, संगोष्ठी व खुली चर्चा का आयोजन हो।
6. Help line No. से प्राप्त Call पर त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था हो।

4. N.G.O. की भूमिका – देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के पंजीकृत गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) को चाहिए कि वे अपने ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर आयोजित करें जिसके माध्यम से महिलाएँ-बालिकाओं को आत्मरक्षा की जानकारी प्रशिक्षण द्वारा दी जा सके जिससे बालिकाओं-महिलाओं में आत्मविश्वास जाग्रत हो, जिससे अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। इस हेतु ऐसे ही प्रेरणास्पद पोस्टर-बैनर प्रकाशित करके उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाने चाहिए। विशेष तौर पर बालिका विद्यालयों, बालिका कॉलेज, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन व अन्य बालिका प्रशिक्षण संस्थानों पर जहाँ अधिक से अधिक लोगों द्वारा इन्हें देखा एवं पढ़ा जा सकें। N.G.O. के माध्यम से प्रेरणादायक नुक्कड़ नाटकों का मंचन भी किया जा सकता हैं।

5. शिक्षण संस्थानों की भूमिका – विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 'आत्मरक्षा' विषय पर बालिकाओं के समय-समय पर सेमीनार संगोष्ठियाँ, वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। इस विषय पर खुली बहस पर चर्चा में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बालिका को आत्मरक्षा की जानकारी प्राप्त हो सके। इस हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षण संस्थानों जैसे विद्यालय, कॉलेज एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन शिक्षण संस्थानों में चलने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक विषय के तौर पर भी लागू किया जाना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि Co-Educational बालिकाएँ अन्य बालिकाओं की तुलना में अधिक Bold होती है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वे अपनी बच्चियों को Co-Education दिलाएँ जिससे उनकी झिझक दूर हो सके। इसके अलावा विद्यालयों में संचालित मीना मंच, अध्यापिका मंच, स्काउट्स, कब-बुलबुल, गाइड्स के प्रशिक्षण शिविरों में आत्मरक्षा कौशल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

6. मीडिया की भूमिका – मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ मीडिया द्वारा समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए जिससे कि बालिकाओं-महिलाओं को सतर्क किया जा सके एवं उन्हें आत्मरक्षा के कौशल (गुर) सीखने को मिले। 'सत्यमेव जयते' जैसे प्रेरणास्पद कार्यक्रमों को प्रसारित करके मीडिया द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम – महाराष्ट्र के जलगांव की जिला कलेक्टर रूबल अग्रवाल ने 'डिजिटल इण्डिया' अभियान का विशेष उपक्रम-गुड्डा-गुड्डी तैयार किया हैं जिसकी माननीय प्रधानमंत्री ने भी सराहना की और इसे देशभर में प्रमोट करने के आदेश भी दिए। इस प्रोजेक्ट में 5 फीट की बालिका के कट आउट के हाथ में 17 इंच का डिसप्ले है, इसमें लिखित

माता ने हमें पुकारा है।
जन्म-मरण, क्षण-क्षण जीवन,
लौकिक उत्कर्ष परम साधन,
पुत्रों का एक सहारा है-
उस माँ ने हमें पुकारा है।
माता ने हमें पुकारा है।।
जिसका गायन सुनते आए,
गंगा सागर की लहरों में,
भारति के शीतल झोंकों में,
उषा के मुखरित प्रहरों में
उस ही की आर्त्त पुकार लिए
चीखी लोहित की धारा है।
जननी ने हमें पुकारा है,
माता ने हमें पुकारा है।।

संदेश के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तीकरण, महिला अत्याचारों के खिलाफ कानूनों की जानकारी दी जाती हैं। इस प्रोजेक्ट को देशभर में शैक्षणिक व सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा, जो एक सराहनीय प्रयास है, इससे महिलाएँ-बालिकाएँ अपने कानूनों के प्रति जागरुक होगी।

रेल्वे की भूमिका – रेल्वे स्टेशनों एवं यात्री गाड़ियों में भी बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल्वे ने भी रेल में यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, डकैती की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा से सम्बन्धित व आवश्यकता होने पर 182 नं. पर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। उक्त नं. डायल करने पर रेल्वे सुरक्षाकर्मियों द्वारा तुरन्त सहायता प्रदान करने की पहल की गई है, जो सुरक्षा के लिहाज से सराहनीय कदम हैं।

बढ़ती छेड़छाड़ की घटना एवं अप्रिय वारदातों को रोकने के लिए एक विशेष 'एप' तैयार किया गया हैं जो इंटरनेट के बिना भी ट्रेन में चोरी, छेड़छाड़ जैसी आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) में यात्रियों को तत्काल सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से 'आर मित्र' लाँच कर दिया हैं। इसे एंड्राइड वर्जन के मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता हैं। इससे शिकायतकर्त्ता की लोकेशन भी RPF के पास संबधित जोनल सिक्योरिटी कंट्रोल तक पहुँच जाएगी। शिकायत का निपटारा होने के बाद RPF की ओर से एक फीड बैक कॉल भी शिकायतकरत्ता के पास जाएगी। यह एप महिलाओं के अलावा बुजर्गों एवं बच्चों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। Sept. 15 में सर्वप्रथम हुबली में इस एप का ट्रायल शुरू किया गया है। शीघ्र ही पूरे भारत भर में इस एप का उपयोग किया जा सकेगा।

इसके साथ ही RPF के जवानों की संख्या एवं महिला पुलिस की महिला कोच में तैनाती भी बढ़ते अपराध को रोकने में कारगार सिद्ध होगी। अतः रेल्वे विभाग को इनकी संख्या प्रत्येक कोच में एक-एक करनी चाहिए।

महिला-बालिका सुरक्षा के कुछ सेफ्टी एप्स-

- दामिनी, सेफ्टीपिन, टैक्सीपिक्सी, सेफ हैंड

- गार्जियन, विदयू, ऑटोविजल, फाइटबैक
- ऑनवॉच, लाइव 360, फैमिली लैक्चरर, सेंसनल
- स्ट्रीटसेफ, सर्किल ऑफ 6, बी-सेफ, कैब फोर मी, ओला बैक etc.

महिलाओं/बालिकाओं के Help Line No.-

महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार का हेल्पलाइन नं. 1091 व 1090 हैं। असुरक्षित महसूस होने पर महिलाएँ इस नं. पर सूचना दे सकती हैं।

राजस्थान में गरिमा हेल्पलाइन नं. 7891091111व 181 हैं। इस प्रकार अन्य राज्यों में पुलिस हेल्पलाइन नं. होते है उन्हें सेव कर लेना चाहिए।

व्हॉट्स एप – महिलाओं-बालिकाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्स-एप नं. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए है राजस्थान में- 8764888100 व 8764868200 हैं।

फेसबुक –F महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कई फेसबुक एकाउण्ट्स जारी किए गए हैं। महिलाएँ इनसे जुड़ सकती हैं।

ऑनलाइन शिकायत- महिलाएँ-बालिकाएँ घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई सुगम समाधान, सम्पर्क राजस्थान, राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा हैं।

http.// sugamrpg. raj.nic.in
http.// sampark. rajasthan.gov.in
http.// rscw rajasthan. gov.in/onlinecomplaints.aspx
http.//ncw.nic.in/onlinecomplaintsv2/frmcomplaints.aspx

डिफेंस की डोज –

- जहाँ तक संभव हो ग्रुप में रहें, चलें एवं हमेशा अलर्ट रहें।
- अनजान व्यक्तियों से लिफ्ट नहीं लें।
- यथा संभव देर रात्रि में कहीं जाने से बचें।
- अपना Mob. हमेशा साथ रखें एवं इसका सदुपयोग करें।
- बस में आरक्षित महिला सीट का उपयोग करें। यह आपका अधिकार है।
- अपने Mob. No. अनजान व्यक्तियों को न दें।
- रेल्वे में यात्रा आरक्षित महिला कोच में करें। यदि पुरूष यात्री इसमें चढ़ें तो अपनी आपत्ति दर्ज करें।
- कहीं भी जाने से पूर्व पारिवारिक सदस्यों को अवश्य बताएँ।
- हल्की सी छेड़छाड़ को भी नजरअंदाज न करें।
- Mob.में खास नं. को Speed Dial Mode पर Save रखें।
- फेसबुक, व्हाट्स-एप etc. पर अनजान व्यक्तियों से चेटिंग न करें।
- भारतीय संभ्यता एवं संस्कृति के लिहाज से पोशाक पहनें।
- पुलिस Help line No. निकटतम Police Station के No. का ज्ञान Save रखें।
- घबराने वाले हाव-भाव न लाएँ पूर्ण आत्मविश्वास से लबरेज रहें।
- किसी भी अप्रिय घटना को छुपाए नहीं, रिपोर्ट करें।
- खतरे को भांपना सीखें, ऐसी जगह पर जाने से बचें।
- हर किसी पर आँख मींच कर भरोसा न करें।
- अपने हैण्डबैग में सेफ्टी किट हमेशा साथ रखें।

(सेफ्टी किट में मिर्च स्प्रे, पाउडर, हिडनपेन चाकू, बजने वाला पर्सनल सेफ्टी-अलर्ट व स्टेनगन फ्लैशलाइट इत्यादि रखा जा सकता है।)

अब बालिकाएँ अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरुक हैं, शालीनता की हद पार करने वालों को महिलाएँ-बालिकाएँ ताकत और तकनीक की मदद से सबक सिखा रही हैं। इनका साथ परिवार और समाज भी दे रहा है, बस जरूरत है, होशियारी के साथ हिम्मत दिखाने की ताकि हर लड़की स्वयं अपनी आत्म रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रह सके।

रा.बा.उ.प्रा.वि. माण्डा, पाली
मो. 9001113344

खो-खो, वॉलीबॉल (19 वर्ष छात्रा) राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी

S.G.F.I. की कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठक राजानन्द गाँव (छत्तीसगढ़) में 3 व 4 जून 2017 को सम्पन्न हुई। राज्य की अधिकृत इकाई के मनोनीत सदस्य/प्रतिनिधि के रूप में प्रकाशचन्द्र जाटोलिया, उप निदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा सहभागिता निभाई गई।

सत्र 2017-18 की 63वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के पंचांग निर्धारण के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु (03) खेलों के प्रस्ताव निदेशक महोदय द्वारा S.G.F.I. को प्रेषित किए गए थे, इनमें से दो खेलों की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

	खेल व आयु वर्ग	आयोजक विद्यालय	संभावित तिथि
1	वॉलीबॉल 19 वर्ष छात्रा	रा.उ.मा.वि., ढांढण (सीकर)	नवम्बर 2017
2	खो-खो 19 वर्ष छात्र-छात्रा	एल.बी.एस. पब्लिक उ.मा.वि. निवाई (टोंक)	अक्टूबर 2017

खेल एवं युवा मामलात, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2017-18 से 63वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में संभागी खिलाड़ियों के लिए योग्यता फार्म व अंकतालिका के साथ-साथ आधार कार्ड (Adhaar Card) संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।

LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

वर्ष 2016-17 के लिए श्री राधाकृष्ण परिहार वर्तमान उपाध्यक्ष S.G.F.I., जो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में 26 वर्ष तक अनवरत सेवा प्रदान कर उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शिक्षा) के पद से 30-6-2016 को सेवानिवृत हुए हैं, को SGFI द्वारा Life time Achievement Award (for lifelong commitment towards advancement of school Games) से ट्राफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर गौरवांवित हुआ।

वैज्ञानिक व्याख्या

अंधविश्वास और कुरीतियाँ

❒ डॉ. भरत शर्मा 'भरत'

आदिकाल से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के अंध विश्वासों में विश्वास करता आया है। परन्तु जैसे-जैसे विज्ञान ने तरक्की की, अंधविश्वास खंडित होने लगे। मनुष्य का ज्ञान उसकी समझदारी तक ही सीमित है। उसके पश्चात् अज्ञानतावश वह अंधविश्वासों से पुनः घिर जाता है। आधुनिक युग में जहाँ प्राचीन अंधविश्वास खंडित हुए, वहाँ नयों ने जन्म ले लिया, जैसे प्राचीन मानव तूफान व बिजली कड़कने को ईश्वर का क्रोध समझता था, वैसे ही आधुनिक युग में अनेक झूठी बातों में विश्वास करने लगा।

दुःखद व चिंतनीय विषय यह है कि अभी भी हमारे देश में बड़ी संख्या में जनता निरक्षर है। विज्ञान के प्रयोगों, हाथ की सफाई इत्यादि की मदद से कुटिल वृत्ति वाले कुछ लोग दूसरों की कमजोरियों, अज्ञानता व मजबूरी का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र से 'चमत्कारी पुरुष' जैसे- तांत्रिक, सिद्धपुरुष आदि का ढोंग रचा है। जबकि वास्तविकता यह है कि चमत्कार या जादू कोई दिव्य शक्ति या मंत्र शक्ति नहीं है। वह मात्र विज्ञान या तकनीक पर आधारित एक कला है जो कि हाथ की सफाई, चतुराई, फुर्ती व लगातार अभ्यास से निखरती है। प्रस्तुत पत्र में अंधविश्वास यानि तथाकथित चमत्कारों को रसायन विज्ञान के प्रयोग के माध्यम से दूर करने की व्याख्या की गई है।

गजब का रुमालः- इथाइल एल्कोहल व पानी के 1:6 में मिश्रण कर रुमाल पर उडेलने के बाद उस पर आग लगाई जाती है तो रुमाल जलता नहीं है। दर्शक इसे जादू मान बैठते हैं। जबकि हकीकत यह है कि तरल मिश्रण का बहुत तेजी से वाष्पीकरण होने के कारण आग को इतना समय नहीं मिलता कि रुमाल को उसके जलन तापमान तक ले जाए इसलिए वह जलता नहीं है।

मानसिक शक्ति से आग लगानाः- 'पवित्र अग्नि स्थल' जैसे प्लेट पर रखकर कुछ मंत्रों को बुदबुदाने के बाद घी की बूंदे उस पर डालते हैं तो कुछ समय बाद बिना माचिस लगाए उसमें आग लग जाती है।

हकीकत यह है कि कागज की प्लेट में पोटेशियम परमेंगनेट का एक क्रिस्टल रहता है उसमें घी के स्थान पर ग्लीसिरीन की कुछ बूंदे डाली जाती हैं। रासायनिक क्रिया से हवन कुंड में आग लग जाती है।

नीबू से खून निकलना : नीबू के थोड़े रस को सिरींज की सहायता से निकालकर उसी सिरींज में 'फैरिक क्लोराइड' लेकर, दोनों के मिश्रण को पुनः नीबू में प्रविष्ट कराते हैं। अब नीबू को चाकू से काट कर निचोड़ेंगे तो लाल रस निकलेगा जो देखने में खून जैसा दिखाई देगा।

नारियल में भूत : पानी वाले जटाओं सहित नारियल के ऊपर के खोल की एक आँख में सलाई से छेदकर पोटेशियम परमेंगनेट आधी चुटकी भर डाल कर उसे हिला लेते हैं। नारियल की जटाओं में सोडियम रखकर जटायें बन्द कर देते हैं। नारियल की जटाओं पर पानी डालेंगे तो लपटें निकलने लगेगी। इसके बाद नारियल तोड़कर दिखायें तो खून रूपी पानी निकलेगा। इसी तरह नीबू को काटकर उसमें सोडियम मिला दिया जाए तो स्वतः ही आग की लपटें लग जाती हैं।

देवी के हाथों का निशान : इस प्रयोग में हम हाथों का निशान कपड़े पर उत्पन्न कर लोगों को बताते हैं कि यह देवी के हाथों का निशान है।

पानी में पिसी हुई हल्दी को घोलकर उसमें सफेद कपड़ा भिगोकर उसे सुखा देते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के हाथ को चूने के पानी से धुलवाते हैं तथा उस हाथ को कपड़े पर लगाते हैं, तो उस कपड़े पर हाथों के रंगीन निशान उभर आते हैं।

हकीकत यह है कि चूने का पानी हल्दी की प्रतिक्रिया स्वरूप लाल रंग का पदार्थ बनकर चिह्नों को प्रस्तुत करता है।

हल्दी से सिंदूर बनाना : चूने के घोल में अंगूठा गीला कर, उसी हाथ से हल्दी लेकर किसी भी व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाते हैं तो हल्दी से लगाये हुए तिलक का रंग बदलकर सिन्दूरी हो जाता है।

हकीकत यह है कि चूने का पानी और हल्दी मिलकर लाल रंग का पदार्थ बनाते हैं इसी कारण तिलक का रंग लाल हो जाता है।

जलाने पर भी कपड़ा न जलना : कार्बनडाइसल्फाइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार करते हैं। इस मिश्रण में एक रुमाल को अच्छी तरह भिगोकर बाहर निकालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं, रुमाल धधक कर जलने लगता है। जब रुमाल में लगी आग को बुझाते हैं तो रुमाल पर लगी आग का निशान तक नहीं होता है।

यह कोई जादू नहीं है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। रासायनिक तत्व हल्के व ज्वलनशील होते हैं। अतः कपड़े में आग लगाने से पहले यह पदार्थ जलने लगते हैं। यहाँ यह ध्यान रखें कि रुमाल गीला रहने तक उस पर लगे रसायन ही जलते हैं, रुमाल नहीं।

बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन : अक्सर आपने किसी कार्यक्रम में बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन करते जादूगर को देखा होगा, खून भी निकलता है व पथरी भी।

लेकिन यह कोई जादू नहीं है बल्कि रसायनों का ही प्रयोग है। जिस व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता है उसे मेज पर लिटाकर पेट साफ करने के बहाने रुई पर फैरिक क्लोराइड लगा कर उसका पेट पौंछ देते है। अब रुई सोडियम सल्फोसाइनाइट में भिगोकर अपने दाएँ हाथ में छुपा लेते हैं तथा उसी हाथ में पत्ती लेकर पत्ती से व्यक्ति का पेट चीरने का उपक्रम करते हैं। इसी समय हाथ में छुपी रुई को निचोड़ते हैं। फलस्वरूप खून निकलता दिखाई देता है। रुई में पत्थर के टुकड़े छिपाकर धीरे-धीरे पत्थर को गिराते है।

हकीकत यह है कि पेट पर रुई द्वारा लगाए गए फेरिक क्लोराइड से जब सोडियम सल्फोसाइनाइट की प्रतिक्रिया होती है तो खून

जैसा रंग उत्पन्न होता है। बाद में रुई में छिपे पत्थर के टुकड़ों के गिरने से पथरी निकलने का आभास होता है।

आग के गोले खाना : कपूर की गोली को माचिस की तीली से जलाकर जलते हुए कपूर को अपने मुँह में रखना ऐसा लगता है कि व्यक्ति आग खा रहा है।

जबकि हकीकत यह है कि चमड़ी को जलन बिन्दु तक पहुँचने के लिए 3 सैकण्ड तक लगातार आग से सम्पर्क होने की जरूरत है। कपूर केवल ऑक्सीजन से ही जल सकता है जब जलता हुआ कपूर मुँह के अंदर रखा जाता है तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण जलना बंद हो जाता है।

सफेद कागज पर आग से अक्षर दिखना : सफेद कागज पर नीबू के रस से कोई अक्षर लिखकर सुखा दिया जाता है। बाद में कागज को आग दिखाई जाए तो 'टारटरिक एसिड' काला होता है तथा कागज पर लिखे अक्षर दिखाई देने लग जाते है।

सिक्के से राख बनना : एल्यूमिनियम के सिक्के पर 'मरक्यूरिक क्लोराइड' द्रव लगा कर उसे मुट्ठी में बंद कर लिया जाए तो हवा के अभाव में एल्यूमिनियम मरक्यूरिक क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है। थोड़ी देर में सिक्का राख बन जाता है।

इस प्रकार चमत्कारों, तथाकथित जादू की वैज्ञानिक व्याख्या के द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों, मिथ्या धारणाओं को दूर किया जा सकता है तथा समाज में निरक्षर सीधे-साधे व्यक्तियों को ढोंगी व पाखण्डी व्यक्तियों द्वारा ठगे जाने से बचाया जा सकता है। विद्यालयों में इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग कर छात्रों को अंधविश्वासों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रयोग विशेषज्ञों व अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में ही किए जाने चाहिए।

शिक्षक
श्री खेताजी धन्नाजी राजकीय आदर्श
उच्च माध्यमिक विद्यालय
दादाई, पाली (राज.)
मो. 9928631640

वेद की पावन ऋचा से,
आज तक जो राग गूंजे।
वंदना के उन स्वरों में,
तुच्छ वन्दन क्या करें?

अध्यापन

शिक्षक की सबसे बड़ी सेवा

❒ डॉ. वृद्धिचन्द गोठवाल

शिक्षा का उद्देश्य 'सर्वजनहिताय, सर्वजन सुखाय' है। पर वर्तमान में ज्ञान की गंगा और भारत की गंगा दोनों ही प्रदूषित हो रही है। जिसे उपयुक्त शिक्षा और सेवा के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने एवं ज्ञानार्जन हेतु शिक्षक की अध्यापन सेवा प्रमुख है। जो शिक्षक स्वयं पढ़ता है और नवाचारों पर ध्यान देता है, कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करता है, वही श्रेष्ठ अध्यापन करा सकता है। जिस शिक्षक की अध्यापन शैली श्रेष्ठ एवं प्रभावी होती है, उसे शिष्य ताजिन्दगी याद करते हैं एवं समाज में उसकी प्रशंसा और इज्जत बढ़ती है। पुराने कई शिक्षकों का भी इसलिए गुणगान होता है कि उनका पढ़ाया गया जीवनोपयोगी सिद्ध हुआ। चालीस वर्ष की शिक्षक सेवा के उपरान्त मेरे कई शिष्य पचहत्तर वर्ष के चलते हुए अत्यधिक सम्मान देते हैं तथा यत्र-तत्र जहाँ कहीं भेंट हो जाती है बड़े प्रेम एवं श्रद्धा से चरण स्पर्श करते हैं और अध्ययन-अध्यापन कार्य की प्रशंसा करते हैं, तब मुझे बड़ा आत्म सन्तोष होता है, और कह सकता हूँ कि शिक्षक की सबसे बड़ी सेवा उसका अध्यापन है। जिनकी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति विषय का अध्ययन, मनन, चिन्तन की होती है उनका अध्यापन कार्य श्रेष्ठ तथा बालोपयोगी होता है। यदि शिक्षक स्वाध्यायी नहीं है और विषयवस्तु से अनभिज्ञ है, वह कक्षा में प्रभावी अध्यापन नहीं करा पाता है और उसका कुपरिणाम बालकों को भुगतना पड़ता है, तो फिर शिक्षक किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हैं?

विभाग, शासक और समाज शिक्षक से अपेक्षा करता है कि उसके बालकों को महान बनाए। इसलिए शिक्षक को भी अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ अध्यापन पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक की मास्टरी है और मेहनत से अध्यापन करवाता है तो उसके विषय में कोई बालक परीक्षा में असफल हो ही नहीं सकता, बल्कि गुणवत्ता ग्रहण करके अव्वल श्रेणी में स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब से दायित्वहीनता ने प्रवेश किया, स्थिति चरमरा गई। आजकल एक नई तकनीक का प्रचलन है, शिक्षक का मन कक्षा से बढ़कर घर पर अच्छा पढ़ाने का हो चला अर्थात् अध्यापन भी शिक्षक के मूड का हो गया है। इसे सेवा कहा जाए या छात्रों का शोषण? प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक द्वारा आज भी 'तू पढ़' की शैली से अध्यापन कराया जाता है। पाठ का वाचन एक बालक के बाद दूसरे से कराया जाता है और संकेत से पाठ पूरा हो जाता है। कई लोग इस पद्धति को रामभरोसे की शिक्षा कहते हैं। फिर लिखित कार्य और उसकी जाँच पड़ताल कहाँ, किसको फुरसत? गुणवत्ता आए तो कहाँ से आए और समाज असन्तोष जाहिर करे तो क्या बुराई है? बात प्राथमिक शिक्षा की हो या उच्च शिक्षा की, अध्यापन की उत्कृष्ट सेवा का भाव रहस्यमय ही है। शिक्षक की बुराई या उसके गुणगान के प्रश्न का मुद्दा नहीं, बल्कि बात शिक्षा सेवा एवं दायित्व निर्वाह की है।

एक अच्छे शिक्षक के लिए विचारों की ताजगी अध्यापन कार्य की पहली शर्त है एवं दृष्टिकोण की नवीनता उसका प्रमुख आकर्षण और अछूते पक्ष को उभारना उसकी जान है। इसलिए शिक्षक को अपने अध्यापन सेवा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शिक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो इसकी तो गारण्टी होनी ही चाहिए। कार्य ही पूजा है इस आदर्श की पालना में शिथिलता ने ही शिक्षा सेवा को भुलाया है। बालकों की जिज्ञासा को शान्त करना एवं उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। एक अच्छा शिक्षक अपनी अच्छी तैयारी, सद्व्यवहार और समय के सदुपयोग से अध्यापन कार्य को विशेष सेवा का दर्जा दे सकने में सफल हो सकता है। यही शिक्षक का आदर्श होता है। शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की अध्यापन सेवा एक क्रान्तिकारी कदम है।

पूर्व व्याख्याता, कपासन-चित्तौड़गढ़
मो: 9414732090

11 जुलाई जनसंख्या दिवस

राजस्थान की जनसंख्या के विविध आयाम

❒ डॉ. अजय जोशी

राजस्थान अपनी महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति, अपनी कला संस्कृति, शिल्प व इतिहास के कारण देश के महत्त्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। देश की जनसंख्या के संदर्भ में भी राज्य की अपनी अलग स्थिति है। विश्व जनसंख्या दिवस पर जब पूरे विश्व में जनसंख्या के विविध आयामों पर चर्चा होती है तो राजस्थान की जनसंख्या के विविध आयामों पर चर्चा या राज्य की जनसंख्या के विविध आयामों को विभिन्न रूपों तथा दृष्टियों से प्रकट किया जा सकता है।

क्षेत्रफलः– जनसंख्या का अध्ययन करने से पूर्व राज्य की भौगोलिक स्थिति व उसके क्षेत्रफल पर दृष्टिपात करना जरूरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय पूरे देश का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किमी. था जबकि राज्य का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी. था। अर्थात् राजस्थान देश के कुल भू-भाग का 10.40 प्रतिशत है। इस विशाल भू-भाग में रेगिस्तान, पठार, पहाड़ तथा वन क्षेत्र है। राज्य का बड़ा भू-भाग पाकिस्तान से लगता हुआ है। इसका अपना पूरा सामरिक महत्त्व है।

जनसंख्याः– वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी जबकि पूरे देश की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी। यह जनसंख्या अब बढ़कर लगभग 131 करोड़ हो गयी है। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 5.6 प्रतिशत है। इस विशाल भू-भाग को देखते हुए जनसंख्या का अधिक दबाव राज्य पर नहीं है।

वृद्धि दरः– यदि जनसंख्या वृद्धि दर की आनुपातिक तुलना करें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2001 से 2011 के दशक में देश के जनसंख्या की वृद्धि की दर 17.7 प्रतिशत थी। जबकि राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत है। यह वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक है जो चिन्ता का कारण हो सकती है लेकिन यह समुचित मानव संसाधन प्रबंध द्वारा समाप्त भी हो सकती है। यही नहीं जनसंख्या राज्य के लिए मानवीय पूंजी का काम भी कर सकती है।

जनसंख्या का घनत्वः– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में जहाँ प्रतिवर्ग कि.मी. 382 व्यक्ति निवास करते थे वहीं राज्य में मात्र 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. में निवास करते है। इसका आशय यह है कि राज्य की जनसंख्या दर में यदि कुछ वृद्धि होती भी है तो हमारे यहाँ उपलब्ध भूमि व अन्य संसाधनों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। उपलब्ध मानव शक्ति का सदुपयोग राज्य के विकास में सहयोगी के रूप में किया जा सकता है।

लिंगानुपातः– पुरुष और महिला लिंगानुपात के मान लेते है तो राजस्थान की स्थिति थोड़ी चिन्ताजनक मानी जा सकती है। क्योंकि पूरे देश के प्रति हजार महिलाओं की संख्या की तुलना में राज्य में महिलाओं की संख्या कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पूरे देश में प्रति हजार 943 महिलाएँ थी वहीं राजस्थान में प्रति हजार महिलाओं की संख्या 928 ही थी। इस दृष्टि से राज्य में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं की सार्थकता और बढ़ जाती है। इस हेतु सरकारी स्तर के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर बहुत कुछ किया जा सकता है।

साक्षरता दरः– साक्षरता दर के मामले में भी राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरे देश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 73 प्रतिशत थी वहीं राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत ही थी। राज्य में पुरुष साक्षरता दर 79.2 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता की दर 52.1 प्रतिशत थी। पूरे देश में यह दर क्रमशः 80 प्रतिशत और 64.6 प्रतिशत थी। इन आँकड़ों पर दृष्टिपात करें तो हमारी पुरुष साक्षरता के मामले में स्थिति सामान्यतः ठीक है क्योंकि यह लगभग देश के औसत के समान ही है लेकिन महिला साक्षरता की दर के मामले में राज्य काफी पिछड़ रहा है। बालिका शिक्षा की दृष्टि से अभी राज्य में बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए विभिन्न रूपों में कई प्रोत्साहन भी दिए जा रहे है। इन प्रयासों में तेजी लाते हुए बालिका शिक्षा का स्तर सुधारा जाना जरूरी है। इस दिशा में निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संगठनों की भी प्रभावी भूमिका हो सकती है।

जन्म-मृत्यु दरः– जनसंख्या के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते समय जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। आर.एस.आर. बुलेटिन सितम्बर 2014 द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार जहाँ देश में जन्म दर प्रति हजार 21.4 है वहीं राज्य में यह दर 25.6 है। इसी प्रकार वर्ष 2013 में मृत्यु दर भी जहाँ देश में प्रति हजार जनसंख्या दर 7.0 थी वहीं राज्य में मृत्यु दर 6.5 ही थी। यह स्थिति कुछ हद तक संतोषजनक है लेकिन शिशु मृत्यु दर के मामले में राज्य की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। मार्च 2013 में प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से देश में दर 47 थी। बीमारी व कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी जैसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो राज्य में शिशु मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। इस दर में कमी करने हेतु व्यापक उपायों की जरूरत निरन्तर बनी हुई है।

कुल मिलाकर राजस्थान की जनसंख्या में अपनी बहुत सी विशेषताओं के साथ-साथ कई कमियाँ भी विद्यमान है। राज्य की जनसंख्या के विविध आयामों के अनुसार नीतियाँ व योजनाएँ बनाकर उनका समुचित क्रियान्वयन किया जाए तो हमारी जनसंख्या हमारा बहुमूल्य मानवीय संसाधन बन कर न केवल राज्य वरन् संपूर्ण देश के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती है।

सेवानिवृत्त प्रोफेसर
बिस्सों का चौक, बीकानेर
मो. 9414968900

अमरत्व के पुजारी हम,
पुत्र इस धरा के।
उज्ज्वल हमीं करेंगे,
भवितव्य मातृ भू के।।

जनसंख्या दिवस

जनसंख्या वृद्धि - घटती समृद्धि

❒ सुभाष चन्द्र कस्वाँ

लखनऊ स्थित माल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रसव-कक्ष में 31 अक्टूबर 2011 को 7 बजकर 25 मिनट पर जन्मीं नरगिस के साथ विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई। वहीं पर 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई जो भारत सहित पूरे विश्व के समक्ष चुनौतियों से परिपूर्ण है। सन 2011 को बीते 6 साल हो जाने जा रहे है। इन छः वर्षों में जनसंख्या विशेषज्ञों की राय में उपर्युक्त आँकड़ों में सालाना 8 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हुई है। आज से पचास साल पहले के छायाचित्र हम दिल्ली व अन्य मेट्रो शहरों के देखें तब पता चलता है कि बड़ी-बड़ी सड़कों पर एक बिल्ली आसानी से सड़क पार कर जाती थी। आज कमोबेश उन शहरों की यह स्थिति है कि एक व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कई मिनट बर्बाद करने पड़ते हैं। रेलवे जंक्शन के पास रेल पटरियों के पास सोने वालों की संख्या नहीं के बराबर थी। इन पाँच-छः दशकों में हुई जनसंख्या वृद्धि ने तो देश का नजारा ही बदल डाला। जनसंख्या वृद्धि ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। जनसंख्या वृद्धि ने गंगा जल को भी नहीं बख्सा। आज गंगा में गंगाजल के साथ इसके किनारे पर बसे शहरों की गंदी नालियों से निष्कासित जल इसमें बह रहा है। आज गंगा की जल समस्या इतना डरावना दृश्य दिखा रही है जिसकी शुद्धीकरण के लिए अरबों रुपये की योजना बनानी पड़ रही है।

बढ़ती जनसंख्या ने देश के बड़े शहरों में झुग्गी-झोंपड़ियों का विस्तार किया है। दल-दल में रह रहे लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जनसंख्या विस्तार से एक बड़ी आबादी कुपोषण के आगोश में जकड़ी हुई है। पर्याप्त संतुलित व भरपेट खाना न मिलने की वजह से गरीब तबके के लोग व उनके बच्चों की पसलियों को बिना एक्स-रे की मदद से गिना व जाँचा जा सकता है। भारत में यद्यपि अनाज की कमी नहीं है लेकिन अन्न भण्डारों के सही रखरखाव व उचित नियोजन न होने की वजह से प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज बारिश में सड़-गल व चूहों तथा अन्य जन्तुओं की भेंट चढ़ जाता है। पूरे देश में विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए 'मिड डे मील' यद्यपि सरकार की एक अच्छी पहल हैं जिससे अन्न भण्डारों में पड़े अन्न का सही उपयोग हो रहा है। इस प्रकार की अन्य योजनाएँ अन्न के क्षेत्र में लागू कर हम बढ़ती आबादी को राहत अवश्य दे सकते हैं।

जनसांख्यकीविद् मानते हैं कि भारत में लोग परिवार नियोजन के मोरचे पर अच्छा निष्पादन नहीं बना पाए हैं। परिवार कल्याण योजना से मिली परिवार नियोजन की सुविधा लोग नहीं उठा पाए हैं जिसकी अपेक्षा विभाग ने पाल रखी थी। बच्चों की आबादी का ट्रेंड उनकी परवरिश पर व बढ़ते स्कूली खर्चे ने लोगों को परिवार छोटा करने के लिए विवश कर दिया। सन 1952 से 1980 तक जिन परिवारों में तीन या उससे अधिक बच्चे पैदा होते थे उन्हें उनकी परवरिश व पढ़ाई की अधिक चिन्ता नहीं सताती थी। लेकिन 1980 से 2000 के बीच के परिवारों ने एक या दो बच्चों को स्वीकारना शुरू कर दिया। ऐसे परिवारों की संख्या 65 फीसदी हो गई। आर्थिक वजन कम करने के लिए सन् 2000 से 2016 के मध्य 'सिंगल चाइल्ड' का ट्रेंड 10 प्रतिशत तक बढ़ गया।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष स्टीव जोंस ने अध्ययन करके बताया है कि पृथ्वी पर मनुष्य जितनी संख्या में होने चाहिए उससे 10,000 गुना से भी अधिक जनसंख्या के साथ पसर गए हैं। यदि पृथ्वी पर पशु सत्ता (Animal Kingdom) चलती तो विश्व में अन्य पशुओं के अनुपात में मनुष्यों की संख्या काफी कम होती, हम मनुष्य आज इसके विपरीत 7 अरब से ऊपर का आंकड़ा पार कर रहे हैं। जनसंख्या इजाफा में एक बड़ा कारण कृषि भी है जिसने मनुष्यों को पशुओं से अलग किया। इसके लिए हमने वन उजाड़े, खतरा बढ़ा तो सुरक्षा के लिए जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देने लगे। यदि पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी 8-9 लाख के करीब होती तो शायद कृषि की आवश्यकता ही नहीं होती। जंगल में स्वतः पनपे फल-फूल हमारी भूख मिटा देते। औद्योगिक क्रान्ति भी किन्हीं अर्थों में जनसंख्या बढ़ाने में सहायक रही है। मशीनों को चलाने के लिए कुशल मजदूरों की आवश्यकता हुई। जीवन स्तर बदलने से परिवारों की संख्या भी बढ़ने लगी। पूंजीपति व कारखाना मालिक कम पारिश्रमिक पर बाल मजूदरों को भी काम पर रखने लगे। माता-पिता को अब बच्चा भार नहीं लगने लगा। परिणामस्वरूप परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। यहीं से 'बालश्रम' की समस्या शुरू हुई जो हमारे लिए एक प्रकार का सामाजिक कलंक अभी भी बना हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति जिसमें चिकित्सा शास्त्र को शामिल कर सकते हैं, ने भी व्यक्ति की औसत आयु 46 वर्ष से बढ़ाकर आज 70 वर्ष के करीब ला दी है, से भी जनसंख्या का विस्तार हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1950 से लगातार बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या वृद्धि से भारतीय समाज शुरू से चिंतित रहा है। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है- ''बहुप्रजा निकृतिमा विशेषतः'' अर्थात् अधिक संतान से बहुत दुःख उठाना पड़ता है। अतः दुःख दूर करने के लिए आवश्यक है कि कम संतान उत्पन्न की जाए। वेदों में एक जगह पर कहा है- एक दम्पति की प्रथम संतान 'धर्म' की उपज है शेष 'काम' की। आज हम मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के सहारे नहीं जी सकते। उनके अनुसार जनसंख्या पर प्रकृति का नियंत्रण समय-समय पर होता रहता है। आज यह बेमानी इसलिए लग रही है कि मनुष्य प्रकृति को ललकार कर उस पर विजय पाने की दिशा में बढ़ाए गए कुछ कदमों में विजय हासिल कर चुका है। अतः इस स्थिति में हमें प्रकृति की ओर न जाकर जैविकीय हालत पर नजर डालनी होगी जिससे जनसंख्या वृद्धि रुके व हमारी समृद्धि बढ़े।

प्राध्यापक
राजकीय फूलचंद जालान
आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय
नूँआ (झुंझुनूं) राज- 333041
मो: 9460841575

रपट

शिक्षामंत्री के प्रयासों से राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को पदवेश का नि:शुल्क वितरण

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्रप्रभार) श्री वासुदेव देवनानी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व योगदान का उत्कृष्ट उदाहरण अजमेर नगर में माह मई 2017 में पुन: देखने को मिला। शिक्षामंत्री महोदय द्वारा पूर्व में अपने विधानसभा क्षेत्र एवं आसपास की समस्त राजकीय विद्यालयों में हिन्दुस्तान जिंक लि., कायड़, अजमेर की ओर से फर्नीचर उपलब्ध करवाने एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की ओर से 30 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाकक्ष निर्मित करवाने के उपरांत राजकीय विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने अथक् प्रयासों और अक्षय पात्र फांउण्डेशन के सहयोग से राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पदवेश का वितरण किया।

अजमेर शहर एवं आसपास के 110 राजकीय विद्यालयों के लगभग पन्द्रह हजार विद्यार्थियों को इन पदवेशों का वितरण किया गया। इन पदवेशों का वितरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सभागार में एक समारोह आयोजित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा राज्यमंत्री व पंचायतीराज राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष संसदीय सचिव श्री सुरेश सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष श्री बी.एल. चौधरी व उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर तथा 'अक्षय पात्र फांउण्डेशन' के न्यासी सदस्य स्वामी श्री रघुपतिदास जी थे।

शिक्षामंत्री ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के क्षेत्र में हुए क्रान्तिकारी परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्यो और अधिकारियों को कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपना सहयोग बढ़ा रही है, अत: अधिकारी भी आगे होकर समाज के साथ सक्रिय भागीदारी बढ़ाते हुए राजकीय विद्यालयों में संसाधन बढ़ाने का प्रयास करें। परीक्षा परिणाम व मिशन मेरिट को अपना ध्येय बनायँ जिससे राजकीय विद्यालयों में जन-जन का विश्वास बढ़ सके और राजकीय विद्यालयों का नामांकन अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर सके। प्रधानाचार्यो को भौतिक संसाधन बढ़ाने हेतु अभिभावकों, विद्यालय विकास व प्रबन्धन समिति के सदस्यों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर प्रेरित करना चाहिए। शिक्षामंत्री महोदय द्वारा अक्षय पात्र फाउण्डेशन के न्यासियों को इस पुनीत कार्य हेतु धन्यवाद भी दिया गया। संसदीय सचिव श्री सुरेश सिंह रावत ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों में राज्य सरकार की नीतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कार्यक्रम में नन्हें बालक-बालिकाओं को शिक्षामंत्री महोदय द्वारा स्वयं अपने हाथों से पदवेश पहनाकर समस्त प्रधानाचार्यो एवं अधिकारियों के समक्ष एक उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की जिससे उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो सके।

इसी प्रकार संसदीय सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष द्वारा भी विद्यार्थियों को पदवेश पहनाए गए। 'अक्षय पात्र फांउण्डेशन' के न्यासी सदस्य श्री रघुपतिदास जी द्वारा संस्था की गतिविधियों से उपस्थित अतिथियों व अधिकारियों को अवगत करवाया गया। कार्यक्रम के अन्त में उपस्थित सभी अधिकारियों व विद्यार्थियों को 'अक्षय पात्र फांउण्डेशन' की ओर से नि:शुल्क प्रसाद का वितरण किया गया। समारोह में धन्यवाद उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर श्री जीवराज जाट द्वारा दिया गया।

अमित शर्मा
शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
अजमेर मण्डल, अजमेर
मो. 9251037377

40 लाख रुपये से अधिक जन सहयोग

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी (टोडा भीम) करौली के ऊर्जावान प्रधानाचार्य श्री कैलाश चन्द मीना ने अपने 18 माह के अल्प कार्यकाल में ही विद्यालय विकास में जन सहयोग का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया।

प्रधानाचार्य के प्रयासों से विद्यालय को 40 लाख रुपये का जन सहयोग मिला।

शाला की भामाशाह सूची 26 जनवरी 2016 के अनुसार सत्रह लाख पाँच हजार आठ सौ रुपये (1705800/-) से शाला में बालक एवं बालिकाओं हेतु शौचालय निर्माण विद्यालय का मुख्य दरवाजा, शाला हेतु फर्नीचर, लैपटॉप, प्रिण्टर डेस्क, स्टूल, कुर्सी टेबिल इत्यादि प्राप्त हुए।

भामाशाह सूची सत्र 2016-17 के अनुसार बाईस लाख निन्यान्वे हजार दो सौ रुपये (22,99,200/-) के जन सहयोग से शाला में दो बड़े कमरे बरामदे सहित का निर्माण, बाउण्ड्री वाल का निर्माण, स्टील आलमारी, वाटर कूलर, पंखा, ग्रीनबोर्ड, स्टूल टेबिल सैट प्राप्त हुए। शाला परिसर में समतलीकरण हेतु लगभग 1100 ट्राली मिट्टी भरने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न हुआ जिसकी लागत तीन लाख रुपये से अधिक है।

स्थानीय अभिभावकों की अपेक्षा है कि शाला प्रधानाचार्य के नेतृत्व में शाला के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी सफलता के उच्चतम शिखर छूकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।

-वरिष्ठ संपादक

पुस्तक समीक्षा

राजस्थान में जनजागरण एवं पत्रकारिता

लेखक : डॉ. रामचन्द्र रुण्डला **प्रकाशक** : आस्था प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3 **संस्करण** : 2014 **पृष्ठ संख्या**: 208 **मूल्य** : ₹ 650.00

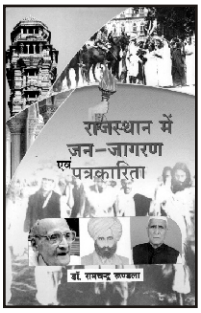

भारतीय संस्कृति में स्मृति का अत्यधिक महत्त्व है। महाभारत में वेदव्यास जी ने भी आह्वान किया-राजन्! संस्मृत्य। संस्मृत्य। स्मृति से अतीत हमारे मनः चक्षुओं में साकार हो उठता है और हम वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता से समाज जीवन को लाभान्वित करने का प्रयास कर सकते है। विद्या वही सार्थक हैं जो हमारे स्मृतिकोश में सुरक्षित है। प्रस्तुत पुस्तक 'राजस्थान में जनजागरण एवं पत्रकारिता' में विद्वान् लेखक डॉ. रामचन्द्र रुण्डला ने समाज जीवन के, राजनैतिक आन्दोलनों के अनेक मानस स्मृति चित्रों की लोक जीवन में साकार प्रस्तुति कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। हमारे यहाँ कहा गया है- अन्वेषिणी बुद्धि वह, तम में भी टटोलनेवाली -सचमुच डॉ. रुण्डला ने अपनी अन्वेषिणी बुद्धि से तमाच्छादित ऐतिहासिक घटनाओं को प्रकाश में लाने का महनीय कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादित किया है।

प्रस्तुत पुस्तक के अनेक महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं जिनमें से एक है इतिहास। इतिहास लेखन का भारतीय सूत्र है- न मूलं लिख्यते किंचित- अर्थात मूल और पुष्ट आधार के बिना कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। विद्वान लेखक अपने प्रत्येक विचार की पुष्टि में अकाट्य एवं प्रामाणिक संदर्भों का उल्लेख करके इतिहास के इस सूत्र की कसौटी पर सौ टका खरा सिद्ध हुआ है। इतिहास का अर्थ भी यही है कि ऐसा निश्चय ही घटित हुआ था- लेखक ने अर्थ को सार्थक किया है।

प्रसिद्ध इंगलिश इतिहासकार अर्नोल्ड रायनबी ने कहा था- ''भारतीय इतिहास का विश्व को उपहार है-मानव को मानवीय बना देना। यह भारतीय आत्मा का स्वर है।'' प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर लगता है कि यह हमारी आधुनिक पीढ़ी को भारतीय आत्मा के स्वर से परिचित कराने का एक गंभीर प्रयास है।

अमेरिकी लेखक मार्क ट्वैन ने लिखा था- ''भारत एक असाधारण देश है, जहाँ के निवासियों ने इतिहास लेखन में कुछ भी भुलाया नहीं, किसी भी तथ्य की अनदेखी नहीं की।'' यह अनदेखी शब्द अति मूल्यवान है। बहुधा लेखक अप्रिय घटना की अनदेखी कर देते हैं पर प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने स्वातंत्र्य समर और जनजागरण के अंधेरे-उजालों सभी पक्षों का समावेश कर अपनी तटस्थ एवं निरपेक्ष वृत्ति का परिचय दिया है।

जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने लिखा था- भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों में एक भी ऐसा नहीं है जो उत्तेजक, उथल-पुथल मचा देने वाला और प्रेरक नहीं है'' प्रस्तुत पुस्तक में स्वातंत्र्य समर की कसौटी पर यह कथन सर्वथा सटीक पाया जाता है।

मैंने पाया कि प्रस्तुत पुस्तक में प्रतिभा को स्वर प्राप्त हुए हैं। इसकी रचना आदि से अंत तक सुसंगत है। यह पुस्तक सभी आयु के लोगों, सभी धर्मों के लोगों के लिए राष्ट्रवाद का संदेश लेकर आई है।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना लेखक ने छह अध्यायों में की है। 1. राजस्थान में पत्रकारिता के उद्भव की पृष्ठभूमि 2. राजस्थान में पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास 3. अजमेर-जयपुर क्षेत्र के प्रमुख पत्र एवं पत्रकार 4. समाचार पत्रों में प्रतिबिम्बित शासन का स्वरूप 5. समाचार पत्र एवं राजनैतिक जाग्रति 6. समाचार पत्र एवं सामाजिक जाग्रति-इन सभी छः अध्यायों को उपसंहार शीर्षक आलेख में सारगर्भित रूप से संजोया गया है।

ज्ञान के विज्ञान के भी
क्षेत्र में हम बढ़ पड़ेंगे।
नील नभ के रूप के नव
अर्थ भी हम कर सकेंगे।।

भोग के वातावरण में
त्याग का संदेश देंगे।
त्रास के घन बादलों से
सौख्य की वर्षा करेंगे।।

प्रत्येक अध्याय को छः उपशीर्षकों में विवेचित किया गया है और सातवां उपशीर्षक है-संदर्भ सूची। इस सातवें उपशीर्षकों ने पुस्तक की विषयवस्तु को उच्च कोटि की प्रामाणिकता प्रदान की है।

लेखक ने मराठी, बंगाली और गुजराती पत्रकारिता के साथ प्रारंभ करके हिन्दी पत्रकारिता का आद्योपांत विवरण प्रस्तुत करने हेतु गुरु-गंभीर प्रयास किया है, यद्यपि विषय के कलेवर को देखते हुए सम्पूर्ण समावेश संभव भी नहीं रहता। जैसे कि बीकानेर क्षेत्र पर पुस्तक में अपेक्षाकृत कम सामग्री प्रस्तुत हुई है।

लोक शिक्षण, राजनैतिक जागरण, रियासती कुशासन पर प्रहार, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार विषयों को लेखक ने बोधगम्य, सुरुचिपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है, तदर्थ वे बधाई के पात्र हैं।

आजादी के 70 वर्ष पश्चात नई पीढ़ी के समक्ष हमारे संघर्ष की गरिमामयी प्रस्तुति आज की महती आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति इस पुस्तक से होती है।

उपसंहार- मैं कहना चाहूँगा कि संस्मरण समकालीन साहित्य की संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या है। इसमें कथा रस के साथ स्मृति रस भी विद्यमान रहता है। यह रचना हमारे समय की धरोहर है। विरल पक्ष उजागर करते हुए लेखक ने सारगर्भित अभिमत से भी पुस्तक को समृद्ध किया है। इसमें हमारा इतिहास अंकित है जिसके सहारे हम सत्य को आत्मसात् कर सकते हैं।

इस पुस्तक से अतीत के चश्मे से वर्तमान के दर्शन और भविष्य निर्माण की प्रेरणा प्राप्त होती है। कामना करता हूँ कि इनका सृजन अविरल बना रहे और ये दिल को छू लेने वाली ऐसी ही रचनाओं से मां भारती के कोष को समृद्ध करते रहें। पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है। 'सुज्ञेषुकिं बहुना।''

समीक्षक : **जानकीनारायण श्रीमाली**
सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (शिक्षा विभाग)
ब्रह्मपुरी चौक, बीकानेर
मो: 09829692829

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shalaprangan.shivira@gmail.com** पर भिजवाकर सहयोग करें। -**वरिष्ठ संपादक**

वार्षिकोत्सव सम्पन्न

शहीद सत्यवीर राजकीय माध्यमिक विद्यालय बसई भोपालसिंह (नीमराणा) अलवर में शाला में वार्षिकोत्सव मनाया गया तथा इसी के साथ कक्षा-10 का विदाई समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीमराणा पंचायत समिति प्रधान श्रीमती सविता मनोज यादव रही तथा अध्यक्षता श्री धर्मवीर सोलंकी, प्रधानाध्यापक, रा.मा.वि. बीरनवारन (नीमराणा) ने की। वर्ष भर शाला में आयोजित प्रतियोगिताओं की विजेता प्रतिभाओं तथा गत वर्ष अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर शाला के आजीवन भामाशाहों को प्रमाण-पत्र देकर व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। शाला प्रधान ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापन किया जिन्होंने विद्यालय विकास योजना हेतु 80,000/- रुपये एकमुश्त रमसा कार्यालय में जमा करवाए। शाला प्रधान की अपील पर प्रधान श्रीमती सविता मनोज यादव ने विद्यालय चारदीवारी व टाइल लगवाने के कार्यों को स्वीकृति देकर विद्यालय विकास में योगदान देने की बात कही। इस प्रकार पूरा कार्यक्रम विद्यालय विकास और उपलब्धियों की झाँकी की भाँति रहा।

केन्द्रीय विद्यालय नं.4 जयपुर की निकिता शर्मा प्रतियोगिता में प्रथम

विश्व कैंसर दिवस पर राजस्थान कैंसर सोसायटी, जयपुर द्वारा कैंसर विजेताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भव्य समारोह में मुख्य अतिथि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गाँधी अस्पताल एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. डी.पी. पूनिया, सवाई मानसिंह अस्पताल के उप प्राचार्य डॉ. दीपक माथुर एवं राज. कैंसर सोसायटी के महासचिव डॉ. राज गोविन्द शर्मा, ब्रैस्ट कैंसर कोशिश की अध्यक्षा श्रीमती सरोज चौहान ने कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को सम्बोधित कर सम्मानित किया।

कैंसर जागरूकता के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सोसायटी द्वारा कैंसर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। प्रदेश भर से प्राप्त पोस्टरों में से केन्द्रीय विद्यालय नं. 4, कक्षा पाँचवी की निकिता शर्मा को प्रथम स्थान और केन्द्रीय विद्यालय नं. 4 के कक्षा सातवीं के कौशल शर्मा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। निकिता शर्मा को कुलपति, डॉ. डी.पी. पूनियाँ एवं सोसायटी के महासचिव द्वारा स्मृति-चिह्न, प्रमाण-पत्र एवं 1000 रुपये का चैक तथा कौशल शर्मा को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर स्मृति-चिह्न, प्रमाण-पत्र एवं 500 रुपये का चैक देकर सम्मानित किया गया।

भामाशाहों का सम्मान किया

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना में श्री रामस्वरूप जी शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापक (स्काउट प्रभारी) द्वारा मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना के तहत कक्षा कक्ष निर्माण के लिए विद्यालय को 2 लाख रुपए प्रदान किए गए। दूसरे भामाशाह श्री पुरुषोत्तमदास जी बूब (सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी) की तरफ से चार कक्षा-कक्षों में लोहे की चद्दर से निर्माण कराने हेतु 71 हजार रुपए प्रदान किए गए। श्री राजेन्द्र सिंह जी परोदा (अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूतपूर्व सेवानिवृत्त महानिदेशक भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली पद्म विभूषण से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक) द्वारा कक्षा 9 एवं 11 के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया।

चौपड़ा स्कूल गंगाशहर बीकानेर में कम्प्यूटर लैब का उद्घाटन

(8-9 मार्च 17) राजकीय सेठ भैरुदान चौपड़ा उ.मा. विद्यालय गंगाशहर (बीकानेर) में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) श्री बी.एल. स्वर्णकार ने विद्यालय के सुसज्जित प्रधानाचार्य कक्ष, कम्प्यूटर लैब व स्टाफ का उद्घाटन एवं एलुमिनी मीट का शुभारम्भ किया व स्कूल परिसर का मुआयना कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निदेशक महोदय ने शाला के खेलकूद मैदानों का निरीक्षण कर खेलों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। साथ ही छात्रों को कम्प्यूटर लैब का अधिकतम उपयोग करने का सुझाव दिया। संयुक्त निदेशक श्री विजय शंकर आचार्य व उपनिदेशक (माध्यमिक) श्री ओमप्रकाश सारस्वत ने भी शैक्षिक नवाचार व उन्नयन हेतु शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की। शालाप्रधान श्री मोहरसिंह यादव ने शाला गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संयोजन व धन्यवाद श्री सुनील कुमार बोड़ा द्वारा किया गया।

सम्मान समारोह

जिला परिक्षेत्र के सुदूरवर्ती राजकीय उच्च मा. विद्यालय नेवा की ढाणी, बाप, जोधपुर में गत 20 फरवरी 2017 को सत्र 2016-17 में स्थानांतरित शिक्षकों श्री बलजिन्द्र सिंह बराड़ (व्याख्याता अंग्रेजी), श्री गजसिंह चौहान (व्याख्याता हिन्दी) व श्री समय सिंह मीणा (व.अ. विज्ञान) को विदाई एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद व अभिनन्दन समारोह (विदाई समारोह) का आयोजन किया गया। इस मौके पर अभिभावकगण, ग्रामवासी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समारोह को का. प्रधानाचार्य श्री नरेन्द्र कविया व वरिष्ठ व्याख्याता श्री लेखराम गोदारा ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का माहौल श्री बराड़ के विदाई के कारण गमगीन रहा। श्री बराड़ के स्थानांतरण होने पर ग्रामवासी, अभिभावक, विद्यालय स्टाफ के साथ-साथ बच्चे भाव-विभोर होकर रोने लगे। जनप्रतिनिधि श्री हजारीराम विश्नोई ने बताया कि विद्यालय इतिहास में पहली बार ऐसी विदाई देखी है जिसमें विद्यार्थियों को चिकित्सकीय उपचार देना पड़ा हो। उन्होंने अनुकरणीय कार्य और व्यवहार की सराहना करते हुए आग्रह किया कि वे विद्यालय व विद्यार्थियों से जुड़े रहे। श्री बराड़ को ग्राम पंचायत द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया एवं समस्त विद्यार्थियों, ग्रामवासियों को सैंकड़ों उपहार व असीम स्नेह के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबको स्मृति चिह्न भेंट किए। कार्यक्रम उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा गाड़ी से श्री बराड़ को उनके गृह निवास-श्री गंगानगर तक पहुँचाया गया।

संकलन : **नारायण दास जीनगर**

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

मंगल की प्राचीन सुनामी से जुड़े क्रेटर के प्रभाव का पता लगाया गया

ह्यूस्टन– वैज्ञानिकों ने मंगल पर एक क्रेटर की पहचान की है जो संभवतः एक क्षुद्रग्रह से बना है। इसकी वजह से तीन अरब साल पहले सुनामी की 150 मीटर ऊँची लहरें उठी थी। 'क्रेटर' ज्वालामुखी के शीर्ष पर बना गड्ढा होता है, जहाँ से लावा निकलता है। अध्ययनकर्ताओं ने 120 किलोमीटर चौड़े बॉल की पहचान की है जिसे लोमनसोव कहा गया है। अमेरिका के लुनार एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के स्टीव क्लीफोर्ड ने बताया यदि तीन अरब साल पहले सुनामी के यह साक्ष्य हैं तो उत्तरी मैदानों में सागर मौजूद रहा होगा। यह अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्च जर्नल 'प्लैनेट्स' में प्रकाशित हुआ है।

थ्रीडी प्रिंटर से जबड़ा बनाया भारतवंशी ने

लंदन– ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक सर्जन ने 3डी प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए 53 वर्षीय कैंसर के मरीज के जबड़े को बनाने में कामयाबी हासिल की है। वेस्ट मिडलैंड्स की रॉयल स्टोक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के दया गहीर चेहरा, सिर और गर्दन की सर्जरी के माहिर हैं। हाल ही में उन्होंने स्टीफन वॉटरहाउस नामक एक मरीज की सर्जरी की। रेडियोथेरेपी के बाद कैंसर से पीड़ित रहे वॉटरहाउस का जबड़ा टूट गया था। उनको गले का कैंसर हुआ था। डॉ. गहीर ने उनके पैर से हड्डी के अंश से जबड़े को पुराने आकार में लाने का काम सफलतापूर्वक किया है।

किशोरावस्था में व्यायाम करने से हड्डियाँ मजबूत रहेगी

कनाडा– किशोरावस्था में अगर नियमित व्यायाम करेंगे तो हड्डियाँ ज्यादा मजबूत रहेंगी। इससे फ्रैक्चर होने का जोखिम भी कम होगा। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह बताया है। युवावस्था की ओर बढ़ने वाले किशोर अगर समय रहते अपने हड्डियाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें आगे परेशानियाँ हो सकती हैं। अक्सर दिनभर घर में बैठकर टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना किशोरों के लिए खतरे की घंटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रो. हीथ मैके ने कहा, किशोरावस्था में पूरा दिन सोफे पर बैठकर स्क्रीन ताकने की बजाय ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करना चाहिए, ताकि युवावस्था में उन्हें कोई समस्या न हो।

रोबोट समुद्र के भीतर कीमती धातु खोजेगा

सिडनी– जमीन पर कीमती धातुओं की कमी को देखते हुए खनन कंपनियाँ अब समुद्र का रुख करने की तैयारी कर रही हैं। वह अब समुद्र की गहराई में कीमती धातुओं की खोज के लिए अत्याधुनिक रोबोट तैयार कर रही हैं। ऐसी एक पहल 2019 में पापुआ न्यू गिनी में करने की तैयारी चल रही है। कनाडा की खनन कंपनी नॉटिल्स मिनरल्स पापुआ न्यू गिनी में 2019 में तांबे और सोने के खनन के लिए रोबोट भेजने की योजना पर काम कर रही है। गहरे समुद्र में खनन पर निगरानी करने वाली संस्था द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने 25 देशों को समुद्री खनन के लिए मंजूरी दी है। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का मानना है कि इस पहल के बाद उन्हें कीमती धातुओं की खोज में सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा।

हर तरह के कैंसर के इलाज की दवा

मास्को– रूसी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कैंसर की दवा का परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह दवा हर तरह के और किसी भी स्तर के कैंसर के इलाज में कारगर होगी। यह दवा अगले चार सालों में मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रोफेसर एंड्रे सिम्बिर्टसेव के मुताबिक थर्मल शॉक प्रोटीन इस दवा का प्रमुख घटक है। इसका निर्माण मानव कोशिकाओं से होता है और यह विभिन्न तनाव के क्षणों में सक्रिय हो जाती है।

वैज्ञानिकों ने रामपत्री से कैंसर की दवा बनाई

नई दिल्ली– भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के रामपत्री पौधे से कैंसर की एक नई दवा बनाई जा रही है जो दुनियाभर में कैंसर रोगियों के जीवन की रक्षा करने में मददगार हो सकती है। इससे पहले बार्क कैंसर के कोबाल्ट थेरेपी उपचार के लिए भाभाट्रोन नाम की मशीन भी बना चुका है। इसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में हो रहा है। बार्क द्वारा रामपत्री नामक पौधे के अणुओं से बनी दवा फेफड़े के कैंसर और बच्चों में होने वाले दुर्लभ कैंसर न्यूरोब्लास्टोमा के उपचार में असरदार साबित हो सकती है।

सबसे बड़े सौर संयंत्र का आखिरी चरण लॉंच

रबात– मोरक्को के शाह मोहम्मद छठे ने शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र नूर और जाजेत के चौथे और अंतिम चरण का शुभारंभ किया। नूर और जाजेत चौथा बिजली स्टेशन और जाजेत प्रांत में स्थित है, जो 7.5 लाख डॉलर से अधिक की फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के साथ 1.37 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। इस बिजली केन्द्र के 2018 की पहली तिमाही में शुरू होने की संभावना है। इसे सऊदी अरबिया अक्वा पॉवर ग्रुप के नेतृत्व में मोरक्कन एजेंसी फॉर डेवलपमेन्ट एनर्जी, जर्मन डेवलपमेंट बैंक के एफडब्ल्यू के संयोजन से बनाया गया है।

ट्रेपिस्ट-1 के ग्रहों पर जीवन तलाशेगा वेब्ब अंतरिक्ष दूरदर्शी

वाशिंगटन– अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक एक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरदर्शी की मदद से हाल में ट्रेपिस्ट-1 तारे के पास ढूँढ़े गए सात ग्रहों में किसी एक पर भी जीवन की मौजूदगी है या नहीं, इसकी तलाश की जाएगी। वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय के गैर-सौरीय ग्रह कार्यक्रम के वैज्ञानिक डाउग हडगिन्स ने कहा, इन ग्रहों पर वायुमंडल से जुड़े रहस्य को सुलझाने में जेम्ब वेब्ब अंतरिक्ष दूरदर्शी काफी अहम साबित होगा। हडगिन्स ने कहा, साथ ही नासा के स्पिट्जर, हब्बल और केपलर जैसे मिशन भी इन ग्रहों के बारे में पता लगाएंगे। 2018 में लांच किए जाने वाले वेब्ब दूरदर्शी का मुख्य लक्ष्य स्पेक्ट्रोस्कोपी (किरणों के वर्ण क्रम को मापने की विद्या) के इस्तेमाल के जरिए उन ग्रहों के वायुमंडल के अवयवों का पता लगाना है।

संकलन : **नारायण दास जीनगर**

जालोर

आदर्श रा.उ.मा.वि. बादनवाड़ी तह. आहोर में श्री जबरसिंह पुरोहित द्वारा पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 21,000 रुपये, पं.स. बादनवाड़ी के सम्भ्रान्त ग्रामीणों से जन सहयोग से 50 स्टूल, 50 टेबल, 5 शिक्षक टेबल प्राप्त, लागत 51,000 रुपये। **रा.आदर्श उ.मा.वि. डूंगरी (R) तह. रानीवाड़ा** में कार्यरत शिक्षकों की पत्नियों ने मिलकर एक कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया जिसकी लागत 3,50,000 रुपये, विद्यालय परिवार के प्रयासों से भामाशाहों द्वारा 3,00,000 रुपये की लागत से फर्नीचर, श्री बसन्त, श्री जवाहर पुरोहित द्वारा 2,25,000 रुपये की लागत से मुख्य दरवाजे का निर्माण करवाया गया, श्री परबत सिंह राजपूत द्वारा सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया।

जोधपुर

आदर्श रा.उ.मा.वि. नागौरी गेट को श्रीमती कमला सांखला (स. कर्मचारी) से दो पंखे प्राप्त हुए जिसकी लागत 2500 रुपये, श्रीमती अंजना सैनी (शा.शि.), श्री किशोर कुमार घोष (व्या. अंग्रेजी) से एक-एक पंखा प्राप्त हुआ जिसकी लागत 1100-1100 रुपये, श्री गोपाल सांखला से पानी की दो टंकियाँ प्राप्त हुई जिसकी लागत 8,800 रुपये, श्री नारायण खत्री से पानी के कनेक्शन की सामग्री प्राप्त हुई जिसकी लागत 2,000 रुपये, श्रीमती पुष्पा गोयल से एक स्टील अलमारी प्राप्त हुई जिसकी लागत 5,800 रुपये, एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. पावटा B रोड जोधपुर द्वारा 100 नग स्टील टेबल और स्टूल प्राप्त हुई जिसकी लागत 1,26,100 रुपये और 32 पंखे (ओरपेट) प्राप्त हुए जिसकी लागत 37,152 रुपये, श्रीमती अरुंधति सैन (व.अ.) से डीवीडी. प्राप्त हुई जिसकी लागत 1400 रुपये, श्री जालम सिंह (व.अ. गणित) से एक स्टील अलमारी प्राप्त हुई जिसकी लागत 4,100 रुपये, एफ.सी.आई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लि. पावट B रोड जोधपुर द्वारा 50-50 नग स्टील टेबल और स्टूल प्राप्त हुई जिसकी लागत 57,600 रुपये, श्रीमती पुष्पा गोयल अ. श्यामलता सोलंकी अ., चौहान इलेक्ट्रीकल्स बड़ली का चौक जोधपुर जुगल किशोर जाजू से प्रत्येक से एक छत पंखा प्राप्त हुआ तथा प्रत्येक की लागत 1100 रुपये। **रा.उ.मा.वि. नाथडाऊ** को सर्वश्री बाबू सिंह राठौड़ (विधायक), भंवर सिंह भाटी, नाथू सिंह द्वारा 100 ट्री गार्ड बनाकर विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 75000 रुपये, श्री भंवर सिंह इन्दा से एक लेपटॉप प्राप्त हुआ जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री सवाई सिंह एवं श्री शिव सिंह से 21-21 स्टूल मेज सेट प्राप्त हुए जिसकी लागत 50,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि. मालकोसनी तह. बिलाड़ा** में श्रीमान मदनलाल धोबी एवं श्री रतनगिरी जी द्वारा विद्यालय का मुख्य द्वार का निर्माण करवाकर विद्यालय को सप्रेम भेंट।

झालावाड़

रा.आ.उ.मा.वि. लीमी तह. खानपुर को सेठ घासीलाल जैन से 30,000 रुपये, शाला परिवार के सहयोग से 25,000 व ग्रामवासियों से 70,000 रुपये विद्यालय में शाला विकास हेतु दिए। **रा.आ.उ.मा.वि. पचपहाड़** को एस.बी. बी.जे. बैंक शाखा भवानीमंडी से 5 पंखे, सर्वश्री लालचन्द पोरवाल, नरेश माथवानी, कन्हैयालाल द्वारा 50 विद्यालय गणवेश विद्यालय को सप्रेम भेंट, श्री अब्दुल समद खान से पाँच

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-वरिष्ठ संपादक**

हमारे भामाशाह

पंखे, श्री मदन लाल सोनी द्वारा एक फर्श, डॉ. रजत अरोड़ा से 24 सेट फर्नीचर, शाला स्टाफ द्वारा विद्यालय परिसर में सरस्वती माता मन्दिर निर्माण हेतु 45,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री अमर प्रकाश जोशी ने 10,000 रुपये नकद विद्यालय को दिए। **रा.आ.उ.मा.वि. करनवास तह. खानपुर** को शाला स्टाफ, वर्तमान व भूतपूर्व सरपंच, एस.डी.एम.सी., सदस्यों व ग्रामवासियों द्वारा 1,02,400 रुपये एकत्रित कर शाला विकास हेतु विद्यालय को दिए गए। **रा.आ.उ.मा.वि. भैसानी तह. पचपहाड़** को शाला स्टाफ, एस.डी.एम.सी. सदस्यों व ग्रामवासियों द्वारा 96,000 रुपये की लागत से विद्यालय में एक मंच का निर्माण करवाया गया। **रा.आ.उ.मा.वि. हिम्मतगढ़ तह. पिडावा** को भामाशाहों के सहयोग से 50 सैट फर्नीचर लागत 50,000 रुपये व जनसहयोग से खेल मैदान समतलीकरण व हैण्डपम्प लगवाने हेतु 44,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.उ.मा.वि. गोविन्दपुरा तह. झालरापाटन** में प्रधानाचार्य से 20,700 रुपये, शौचालय हेतु प्राप्त हुए। अन्य मरम्मत हेतु प्रहलाद गोयल से 11,000 रुपये, काशीराम से 4,500 रुपये, दिनेश गुप्ता से 5,000 रुपये, भीमसिंह से 10,000 रुपये, मीरा मीणा से 1,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री जगदीश सुमन से तीन पंखे लागत 3,000 रुपये व गेहूँ भरने के लिए एक बड़ा बक्सा लागत 6,500 रुपये, एक छोटा बक्सा लागत 5,000 रुपये, रिंकू जी से 2,100 रुपये शाला विकास हेतु नकद प्राप्त हुए। **रा.आ.उ.मा. वि. मनोहरथाना** को भूतपूर्व सरपंच श्री नीतिराज सिंह से वाटर कूलर व अन्य विकास कार्य हेतु 50,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.उ.मा.वि. गुढ़ा तह. पचपहाड़** को शाला स्टाफ से 5400 रुपये फर्नीचर हेतु प्राप्त हुए, श्री बालचन्द से एक पंखा प्राप्त हुआ लागत 1,300 रुपये, अन्य विकास कार्यों हेतु सर्व श्री राजेश कुमार चंदेल (प्रधानाचार्य) से 5,100 रुपये प्राप्त हुए, शंकर सिंह से 21,000 रुपये नकद, विक्रम सिंह से 5,100 रुपये नकद पूरन सिंह से 5,100 रुपये नकद, चन्द्र सिंह से 5,100 रुपये नकद व नेपाल सिंह से 1,100 रुपये नकद प्राप्त हुए। **रा.आ.उ.मा.वि. डग** को श्री प्रेमचंद सोमानिया से 25,000 रुपये की राशि विद्यालय विकास हेतु प्राप्त हुई। **रा.आदर्श बा.मा.वि. गरनावद तह. भवानीमण्डी** में श्री मुकेश ओझा जनपद से छात्रा शौचालय निर्माण हेतु 25,000 रुपये प्राप्त हुए, श्री अशोक जोगी से कुर्सियों हेतु 4,500 रुपये प्राप्त हुए, श्री अक्षय राठौड़ से पाँच पंखे हेतु 4,500 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.मा.वि. बिन्दा तह. झालरापाटन** को श्री मांगीलाल मीणा से कुर्सियों हेतु 4,500 रुपये, श्री हरीराम मीणा से नकद 2,500 रुपये, श्री धन्नालाल मीणा से 1,000 रुपये पंखे हेतु प्राप्त हुए, स्टाफ सदस्यों द्वारा अलमारी राउण्ड कुर्सी, कार्यालय कुर्सी व टेबल हेतु 3,500 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.उ. मा.वि. पचौला तह. अकलेरा** को प्रधानाचार्य व विद्यालय स्टाफ द्वारा कम्प्यूटर व प्रिन्टर हेतु 33,000 रुपये व पेयजल टंकी हेतु 10,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.उ.मा. वि. गागरोन तह. झालरापाटन** को ग्रामवासियों से आठ फर्श व 100 विद्यार्थियों को गणवेश हेतु 22,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.उ. मा. वि. सेमलीखाम** को ग्रामवासियों से 25 सैट फर्नीचर हेतु 22,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आ.उ.मा.वि. सिलेगढ़** को श्री विष्णुप्रसाद पाटीदार से एक गोदरेज अलमारी प्राप्त हुई जिसकी लागत 9,000 रुपये, श्री लोकेश मेघवाल से कुर्सियाँ प्राप्त हुई जिसकी लागत 4,000 रुपये, श्री शंकरलाल मेहर से एक सोफासेट प्राप्त हुआ जिसकी लागत 7,000 रुपये, गैलानी फर्नीचर विक्रेता द्वारा डोटी चौकी हेतु 17,000 रुपये नकद प्रदान किए गए।

शेष अगले अंक में.....

संकलन- रमेश कुमार व्यास

शिविरा पत्रिका (मासिक) : जुलाई, 2017 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : प्रकाश चन्द जाटोलिया, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

चित्र वीथिका-जुलाई, 2017

अजमेर शहर के 110 राजकीय विद्यालयों के लगभग पन्द्रह हजार विद्यार्थियों को अक्षय पात्र फाउण्डेशन के सहयोग से निः शुल्कपदवेश का वितरण किया गया। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी राजकीय विद्यालय की बालिका को पदवेश धारण करवाते हुए साथ में हैं फाउण्डेशन के न्यासीसदस्य स्वामी श्री रघुपतिदास और अतिथि गण।

राज्य सरकार की प्रतिभाशाली विद्यार्थी लैपटॉप योजना के अन्तर्गत रा.आ.उ.मा.वि. मोलीसर बड़ा,चूरू जिले के नौ विद्यार्थियों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदान करते हुए संस्था प्रधान, अतिथि और एस.डी.एम.सी. के सम्मानित सदस्यगण।

'सकूरा स्टूडेण्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम' के अन्तर्गत जापान में 31 मई 2017 को भारतीय विद्यार्थियों के साथ जापान के प्रथम अन्तरिक्षयात्री मिस्टर मोहरी का संवाद कार्यक्रम।

'सकूरा स्टूडेण्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम' के तहत जापान भ्रमण पश्चात राजस्थान के विद्यार्थी रामरतन (जोधपुर), चारूल चौहान (उदयपुर), काजल राठौड़ (झालावाड़), भूपेन्द्र सांगिड़ (टोंक) स्वदेश वापसी पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री नथमल डिडेल सपत्नीक से आशीवर्चन लेते हुए।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान श्री नथमल डिडेल के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2017 को निदेशालय परिसर बीकानेर में प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास करते हुए शिक्षा अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

चन्द्रशेखर आज़ाद

(23, जुलाई 1906 - 27, फरवरी 1931)

हम दिन चार रहे न रहे...

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के युवा क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आज़ाद ने बचपन से ही भारतमाता को स्वतन्त्रता का चोला पहनाने की ठानी थी। इन्होंने अपने आपको 'आज़ाद' नाम से सम्बोधित कर पूरे भारतवर्ष में इस नाम को अमिट पहिचान दी। पिताजी सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी की परवरिश में गाँव में ही शिक्षा प्राप्त कर 15 वर्ष की अल्पआयु में उन्होंने क्रान्ति की मशाल अपने हाथों में उठा ली। जलियाँवाला बाग नरसंहार और रॉलेट-एक्ट विरोधी जनआंदोलन के दौरान 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' का भारतीयों ने बहिष्कार किया, इसी दौरान जुलूस में युवा साथियों के साथ 'आज़ाद' भी थे। पत्थर मारकर दरोगा को घायल करने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर दिसम्बर माह की ठण्ड में हवालात में बंद कर दिया गया परन्तु साहसी बालक को ठण्ड से डरने की बजाय आधी रात में दण्ड-बैठक लगाते हुए पसीने से तरबतर देख दरोगा दंग रह गया। न्यायालय में उनसे नाम पूछने पर निर्भयता से 'आज़ाद', पिता का नाम 'स्वाधीन' और घर 'जेल' बताया। न्यायाधीश ने 15 कोड़े मारने की सजा दी परन्तु 'आज़ाद' उस पर भी मुस्कराए और उस सजा पर भी अपना लोहा मनवाया। यहीं से शुरू हुई उनकी 'स्वाधीनता' की यात्रा। यह घटना उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण अध्याय बन चुकी थी। इसी पराक्रमी और निडर युवा ने काकोरी कांड, सांडर्स वध, सेन्ट्रल असेम्बली में बम फेंकना और असहयोग आन्दोलन में भी अपना सक्रिय योगदान देकर स्वाधीनता संग्राम को गति दी।

27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर साथी सुखदेव राज के साथ उन्हें एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया। पहले उन्होंने सुखदेव को वहाँ से भगाया, बाद में अकेले सामना करते-2 अपनी ही पिस्तौल की आखिरी गोली से स्वयं को हमेशा के लिए 'आज़ाद' कर दिया परन्तु अंग्रेजों के हाथों जीवित गिरफ्तार नहीं हुए। उस पार्क को आज 'चन्द्रशेखर आज़ाद पार्क' नाम से जानते हैं। इस बलिदान से हजारों युवक स्वतन्त्रता आंदोलन में कूद पड़े। इलाहाबाद म्यूजियम में आज भी उनकी पिस्तौल सुरक्षित है।

भारतमाता की स्वतन्त्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद का नाम सदा सर्वदा अमर रहेगा।

जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में माँगे मातृभूमि से यह वर।
तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे।।

संकलन : जय प्रकाश राणा, सूचना सहायक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, मो. 9461245972

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर-334011